लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Third Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०--अंक २१ से ३२--दिनांक ६ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १६५७)

अंक २१, सोमवार, ६ दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ६०४, ६०६, ६०७, ६०६, ६१२ से ६१४, ६१६ और ६१८ से ६२१ — २०८५-२१०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५, ६१०, ६११, ६१५, ६१७, ६२२ से ६२८ और ४८७ — २१०८-१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६३ से १३७१ और १३७३ से १३७५ — २११३-५०

मूंवडा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में — २१५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २१५०

राज्य सभा से संदेश — २१५०-५१

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना — २१५१

कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

विचार के लिए प्रस्ताव — २१५१-८३

दैनिक संक्षेपिका — २१८४-८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ से ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४८, ६५२ से ६५४ और ६५६ — २१८६-२२१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४६, ६५१, ६५५, ६५७ से ६६२, ६६२-क, ६६३ से ६७६, ६७६-क, ६८० और ६८१ — २२१५-२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३६० से १४६० — २२२७-६२

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२२९२–९३
कार्य मंत्रणा समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	२२९३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार के लिए प्रस्ताव	२२९३–२३०१
खण्ड २ और १	२२८५–२३००
पारित करने के लिए प्रस्ताव	२३००
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक —	
विचार के लिए प्रस्ताव	२३०१–०४
दैनिक संक्षेपिका	२३०५–१०
अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९	२३११–३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२	२३३६–५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४	२३५३–९०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२३९०–९२
राज्य सभा से सन्देश	२३९२
भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया	२३९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	२३९३

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	२३६३
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३६३–२४२१
खण्ड २ से ८ और १	२४१३–२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२४२०
दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२४२१–४३
दैनिक संक्षेपिका	२४४४–५०
अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८	२४७५–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५	२४७७–२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०३–०४
राज्य सभा से सन्देश	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
व्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल	२५०४–०५
समिति के लिये निर्वाचन	२५०५
नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	२५०५–०६
सभा का कार्य	२५०६
दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०६–५८
खण्ड २ से ६० और १	२५२०–५६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५५६

पृष्ठ

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधयक--
(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव ५५४९-६६

दैनिक संक्षेपिका २५६७-७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ २५७१-९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ २५९६-२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ २६०५-३२

सभा का कार्य २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७--पुर:स्थापित २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे या ी किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक--

विचार के लिये प्रस्ताव २६३३-५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक--

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधयक--

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३—५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६—६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८—६६, ३६७२—८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधयक—पुरःस्थापित २६६९—७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण क लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१—८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८—८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९—२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४—२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४—२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७—३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५—६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२६, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५६, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८६ २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ २७७७–२८०६

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध २८०६–०७

राज्य-सभा से संदेश २८०७

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८०७

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित २८०८

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित—

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव २८०८–१०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८१०–३७

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २८३७–४६

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन २८४६–६०

कार्य मंत्रणा समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन २८५३

दैनिक संक्षेपिका २८६१–६६

अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६० से ११६२, ११६४ से १२०२ और १२०४ २८६७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८ — २८६१–२६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७६५ और १७६७ से १८०२ — २६०२–२६

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २६२६–३०

कार्य मंत्रणा समिति--

सोलहवां प्रतिवेदन — २६३०–३१

वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य — २६३१

सदस्य की दोष-सिद्धि — २६३१

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--

विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव — २६३२

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव — २६३२–७२

सभा का कार्य — २६५८–५६

दैनिक संक्षेपिका — २६७३–७७

अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२६, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८ — २६७६–३००३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५६, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२६०, १२६०-क और १२६१ से १३०० — ३००३–२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८६०, १८६२ से १८६६, १८६६-क, और १८६७ से १६०४ — ३०२५–७१

जानकारी के लिये प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव--

हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें — ३०७२–७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति—

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति—

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति—

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७–९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१–९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने के सम्बन्ध में ३०९५–९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८–३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५–२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३–३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ... ३१५६–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ ... ३१७६–३२२७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ... ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३२२७

राज्य-सभा से संदेश ... ३२२८, ३२७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ... ३२२६–६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ... ३२६५–७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ... ३२७६

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ... ३२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ३२८१–८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ ... ३२८६–३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... ३३१६–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ... ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ... ३३३५–८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन ... ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३३८३–८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

चौथा प्रतिवेदन ... ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५-३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक--पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया --	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक--वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१-४९
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४९-६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३-६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७-७४
अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

लोक सभा

सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्तर रेलवे में रेलवे लाइनें

†*११२६. { श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में अधिक रेलवे लाइनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे लाइनें कौन सी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) कुछ निर्दिष्ट सेक्शनों का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है, समस्त आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र का नहीं ।

(ख) एक विवरण जिसमें सर्वेक्षण की गई अथवा सर्वेक्षण के अन्तर्गत लाइनें दी हुई हैं, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या नांगल-लूना लाइन का सर्वेक्षण किया गया है जैसा कि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था या नहीं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सर्वेक्षण पूर्ण हो गये हैं और इस समय उनकी बोर्ड द्वारा छानबीन की जा रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सर्वेक्षण की गई लाइनों का उत्तर रेलवे की सम्पूर्ण आवश्यकता से क्या अनुपात है और लक्ष्य का कितना भाग इन सर्वेक्षणों द्वारा पूर्ण हो जाता है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अनेक रेलवे लाइनों का परिचालन आधार पर सर्वेक्षण किया गया है । राज्य सरकारों द्वारा अनेक अन्य लाइनों की सिफारिश की गई थी परन्तु इन लाइनों का वास्तविक निर्माण तभी किया जाता है जब परिचालन आवश्यकतायें अत्यन्त आपात होती हैं और हमारे पास वैसा करने के लिये धन भी हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

302 L.S.D.—1.

†श्री भक्त दर्शन : इस वक्तव्य से ज्ञात होता है कि आठ लाइनों का सरवे किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात है कि इन लाइनों के सिवा बहुत सी लाइनों के सरवे किये गये और फिर उन को छोड़ दिया गया ? उदाहरण के तौर पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की लाइन का सरवे किया गया, लेकिन उस के पश्चात उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट की यह नीति है कि सरवे किया जाय और उस को छोड़ दिया जाय और फिर उस पर कोई कार्यवाही न की जाय ?

†श्री शाहनवाज़ खां : सरवे करने का मक़सद यही होता है कि देखें कि आया लाइन बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर सरवे से यह नतीजा निकलता है कि लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है और उससे आमदनी कम होगी, तो अक्सर उन सरवेज़ को वहीं छोड़ दिया जाता है।

दक्षिण रेलवे में अभ्यर्थियों का चुनाव

†*११२८. श्री इलयापेरुमाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में अभी तक तीसरी श्रेणी के पदों (प्रविधिक एवं अप्रविधिक दोनों) के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए; और

(ख) इसी अवधि में इन जातियों से कितने अभ्यर्थी चुने गये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]

†श्री ब० स० मूर्त्ति : अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित किये गये थे और क्या चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित संख्या के बराबर थी ?

†श्री शाहनवाज़ खां : जानकारी विवरण में दी हुई है।

†श्री ब० स० मूर्त्ति : विवरण में तो नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : यदि विवरण में नहीं है तो उनको उसकी जानकारी नहीं है।

†श्री शाहनवाज़ खां : यदि आप अनुमति दें तो मैं जानकारी दे सकता हूं। विवरण में तीसरी श्रेणी के लिए वर्षवार चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है।

†श्री ब० स० मूर्त्ति : मैं जानना चाहता हूं कि कितने पद विज्ञापित किये गये थे ?

†श्री शाहनवाज़ खां : १९५५ में अनुसूचित जातियों के लिए कुल ३८५ स्थान सुरक्षित किये गये थे। उसमें से ३८४ स्थान भरे गये थे और एक स्थान बच गया था। अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ अधिक स्थान थे। १९५६ में अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित किये गये स्थानों की संख्या ३२९ थी और वास्तव में भरे गये स्थानों की ३१७ अर्थात् १२ कम। १९५७ में ३० सितम्बर तक स्थानों की संख्या १७६ थी और वास्तव में भरे गये स्थानों की १६४ अर्थात् १२ बच गये थे।

†श्री ब० स० मूर्त्ति : अरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जातियों के कितने लोग चुने गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं पृथक पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या दक्षिण रेलवे तथा अन्य जोनों के चुनाव-बोर्ड में अनुसूचित जातियों के एक सदस्य का नामांकन करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अर्थात् तीसरी श्रेणी की सेवाओं के लिए ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : जी हां; और चौथी श्रेणी की भी । उनके चुनाव-बोर्ड हैं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब कोई अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी आवश्यक योग्यता का होता है अर्थात् सामान्य अभ्यर्थी के बराबर योग्यता का, तब भी चुनाव बोर्ड उसे रक्षित नियुक्ति के लिए ही चुनता है सामान्य कोटे में नहीं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक निश्चित कोटा है । हम पहले उस न्यूनतम कोटे को पूरा करते हैं । यदि वह कोटा पूरा हो जाता है और ऐसे लोग रहते हैं जो खुली प्रतियोगिता में चुने जाने की योग्यता रखते हैं तो उन्हें उस तरह से लेने पर कोई रोक नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : आन्ध्र, तामिलनाड और मैसूर क्षेत्रों से भर्ती किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अलग अलग कितनी है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम राज्यवार आंकड़े नहीं रखते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री ने कुछ कोटों के निश्चित किए जाने का प्रश्न उठाया । क्या ये कोटे केवल निम्नवर्गीय नियुक्तियों के लिए हैं अथवा क्या उच्च एवं वरिष्ठ नियुक्तियों के लिए भी कोई विनियम हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, हां । अनुसूचित जातियों के लिए संविधान द्वारा रक्षण की व्यवस्था की गई है । संघ लोक सेवा आयोग भी उनके लिए कुछ रिक्तताओं का रक्षण करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उच्च पदों के लिए ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, हां ।

पत्तन विकास कार्यक्रम

+

११३०. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री हेडा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री तंगामणि :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से हमारे पत्तन विकास कार्यक्रम की सहायता करने के लिए पहुंच की थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या विश्व बैंक ने हमारी पत्तन विकास योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कोई दल भेजा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]

†डा० राम सुभग सिंह : कुछ समय पहले परिवहन मंत्री ने कहा था कि विश्व बैंक ने विशाखपटनम् में शुष्कनिवेष के निर्माण के लिए कोई भी ऋण देने से इंकार कर दिया था। क्या अब बैंक द्वारा इसका भी विचार किया जाएगा क्योंकि विशाखपटनम् भी विवरण में सम्मिलित है ?

†श्री राज बहादुर : हमने पत्तनों की विकास योजनाओं, विशेषकर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और विशाखपटनम् पत्तनों के विदेशी भाग के सम्बन्ध में और विशाखपटनम् में एक ड्राई डॉक और एक ड्रेजर-कम-सर्वे लांचिंग पूल के लिए विश्व बैंक से ऋण के लिए अनुरोध किया था। मामला बैंक के विचाराधीन है। दल ने एक बार यह अवश्य कहा था कि अन्तिम दो पद उनके निर्देश पदों में सम्मिलित नहीं हैं।

†डा० राम सुभग सिंह : विवरण में उल्लिखित चार पत्तनों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

†श्री राज बहादुर : इन समस्त परियोजनाओं के लिए हमें ३८,६७,५५,००० रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या इन चार पत्तनों का दौरा करते हुए मिशन धारवार और कोचीन भी गया था ?

†श्री राज बहादुर : वह खास तौर से इन चार बड़े पत्तनों के लिए ही आया था जिनमें यातायात बढ़ गया है तथा जिसके लिए हमें प्रबन्ध करना है।

†श्री कामानी : क्या प्रमुख पत्तनों की अप्रयुक्त क्षमता[1] प्रयोग में लाई गई है ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और विशाखपटनम् के पत्तनों का सम्बन्ध है उनमें कभी कभी थोड़ी सी अप्रयुक्त क्षमता हो सकती है परन्तु अधिकतर वे यातायात की मात्रा के अनुसार व्यस्त रहते हैं।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : पत्तन विकास कार्यक्रम में इन ४ पत्तनों के विकास का ही उल्लेख नहीं है वरन् कोचीन, धारवार आदि जैसे अन्य पत्तनों का भी। इसलिए उन्हें अन्य पत्तनों में क्यों नहीं ले जाया गया ताकि उन्हें समस्त विकास कार्यक्रम का आभास हो जाता ?

†श्री राज बहादुर : हमने पत्तनों के आपेक्षिक महत्व का विचार किया। परन्तु इनमें से प्रत्येक पत्तन का अपना विकास कार्यक्रम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Idle Capacity

पटसन

***११३१. श्री विभूति मिश्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन को साफ करने का कोई नया तरीका निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ४१],

श्री विभूति मिश्र : इस विवरण में लिखा है :

> "श्यामल रंग को दूर करने के टैक्नीक में पटसन निकलने के तुरन्त बाद ही तन्तु को इमली के रस में धोना, शामिल है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रस बाजार में बिकता है और इमली के किस रस में धोया जाना चाहिये ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : श्यामल रंग को दूर करने के वास्ते इमली के रस में उसको धोना चाहिए।

श्री विभूति मिश्र : कलकत्ता में ज्यूट का भाव २८ रुपया है जबकि बिहार में १५ और १६ रुपया ही है। बिहार में जो दाम कम हैं क्या ये कुछ सफाई इत्यादि की वजह से हैं या किसी और वजह से ? क्या कारण है कि बिहार में ज्यूट के दाम इतने कम हैं ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इमली के रस में धोया जाए तो दो रुपया ज्यादा मिलेंगे आर्डिनरी के मुकाबले में।

श्री विभूति मिश्र : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कारण है कि कलकत्ता में भाव २८ रुपया है जबकि बिहार में १५ और १६ रुपया ही है ? बिहार में इतने कम भाव होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वैसा परिवहन की कठिनाइयों तथा अन्य कारणों से है।

श्री विभूति मिश्र : मैं एक बात पूछना चाहता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं सारी चीज जानता हूं।

मैं इस छोटे से मामले में तीन से अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता। यदि कोई अन्तर है तो क्या हो गया ? उन्होंने उसे सदन और मंत्री जी की जानकारी में ला दिया है।

†**श्री विभूति मिश्र :** माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि वैसा परिवहन के कारण है। परन्तु बिहार से कलकत्ता तक परिवहन शुल्क केवल १ रुपया प्रतिमन है। फिर यह १२ रुपए का अन्तर किस कारण से है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने के अवसर का लाभ उठा कर मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि उन्हें बिहार में खरीद करना चाहिए कलकत्ता में नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य प्रश्नों के घण्टे में केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मंत्री जी से तर्क नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विभूति मिश्र : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा कि मूल्य में इतना अधिक अन्तर है। उन्हें सदन को इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहना चाहिए कि इतना अधिक अन्तर क्यों है।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अन्तर अधिक हो सकता है। परन्तु माननीय सदस्य बिहार और कलकत्ता के मूल्यों के अन्तर का कारण जानना चाहते हैं और जो मूल प्रश्न उन्होंने पूछा था वह पटसन साफ करने के सम्बन्ध में था। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं यदि पृथक् पूर्व-सूचना दी जाय।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने यहां यह प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार ने पटसन साफ करने का कोई नया तरीका निकाला है। माननीय सदस्य ने उसका उत्तर दे दिया है। परन्तु माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इसका कोई अधिक सस्ता तरीका भी है। उसके सम्बन्ध में पृथक् प्रश्न पूछा जाना चाहिए या अलग से चर्चा की जानी चाहिए, यहां पर नहीं, वह मंत्रीजी को सन्तुष्ट नहीं कर सकते और वह भी सन्तुष्ट नहीं होंगे। मैं पारस्परिक बात कह रहा हूं; माननीय सदस्य माननीय मंत्री को सन्तुष्ट करना चाहते हैं और माननीय मंत्री माननीय सदस्य को सन्तुष्ट करना चाहते हैं।

†श्री विभूति मिश्र : मैंने यह इसलिए पूछा था कि उन्होंने परिवहन कठिनाइयों की बात कही थी। बिहार से कलकत्ता तक का परिवहन शुल्क तो केवल १ रुपया है जबकि मंत्रीजी १२ रुपए का अन्तर बता रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं यह जानना चाहता हूं।

†श्री दामानी : उसकी किस्म भिन्न हो सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मुझे अत्यन्त खेद है कि माननीय सदस्य यहां ऐसा आचरण नहीं करते हैं जैसा कि संसद् भवन में करना चाहिए। वह ऐसा समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना नाम पुकारे गए बोल सकता है।

मैं आज के प्रश्नों के घण्टे के शेष समय में श्री दामानी को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। उन्हें चाहिए कि वह मुझे अधिक सख्ती करने को विवश न करें।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली

+

†*११३२. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हासदा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में कोई परामर्शदाता नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने होम्योपैथिक प्रणाली के सम्बन्ध में कहां तक उत्साह दिखाया है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) यह व्यक्तिगत राय का मामला है।

†श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न यह था कि विभिन्न राज्य सरकारों ने होम्योपैथिक प्रणाली के सम्बन्ध में कहां तक उत्साह दिखाया है और मंत्री जी का उत्तर है कि यह व्यक्तिगत राय का मामला है।

†श्री करमरकर : जी, हां; यह व्यक्तिगत राय का मामला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या राय व्यक्त की है जब मैंने यह पूछा था कि उसके सम्बन्ध में कहां तक उत्साह दिखाया गया है ?

†श्री करमरकर : हम यहां राज्य सरकारों की देखभाल करने अथवा उन के मानसिक उत्साह की जांच करने के लिये नहीं बैठे हैं। परन्तु उन्होंने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। होम्योपैथी का विकास करने के लिए उनमें कितना उत्साह है इसके सम्बन्ध में उनकी अपनी कुछ राय हो सकती है और हमारी राय कुछ और हो सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उत्साह को कार्यरूप में कहां तक परिणत किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने होम्योपैथिक प्रणाली को मान्यता दी है, क्या उन्होंने होम्योपैथिक औषधालय खोले हैं अथवा किसी प्रकार से होम्योपैथिक औषधियों को प्रोत्साहन दिया है या नहीं ?

†श्री करमरकर : प्रश्न निर्दिष्ट जानकारी का है जिसके लिए मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा। तभी बता सकता हूं कि उसके लिए क्या वित्तीय सहायता दी गई है अथवा क्या किया गया है।

†श्री स० चं० सामन्त: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों में ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया है, क्या धर्मार्थ औषधालयों को प्रोत्साहन दिया गया है ? मैं ये सब बातें जानना चाहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : तब फिर उन्होंने ऐसा अनिश्चित प्रश्न क्यों पूछा कि उन्होंने कैसा उत्साह प्रदर्शित किया है ? वह यह पूछ सकते थे कि औषधालयों को किस प्रकार की सहायता दी गई है आदि आदि। माननीय सदस्य ने अनिश्चित प्रश्न पूछा और उन्हें अनिश्चित उत्तर मिल गया।

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री अनिश्चित उत्तर दे सकते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह समान रूप से अनिश्चित है।

†श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक मैं समझ सका हूं उत्साह का तात्पर्य यह है कि क्या उन्होंने उसे गम्भीरतापूर्वक लिया है, क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा कोई वास्तविक अथवा गम्भीर प्रयत्न किया गया है या नहीं ? प्रश्न यह है। मैं नहीं समझता कि इसका यह उत्तर कैसे ठीक हो सकता है कि यह व्यक्तिगत राय का प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य व्यर्थ में इसके निर्वचन में फंस रहे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या उन्होंने उत्साह दिखाया है और मंत्री जी कहते हैं कि यह व्यक्तिगत राय का प्रश्न है। माननीय सदस्य यह पूछ सकते थे कि कितने औषधालय खोले गए हैं आदि आदि, अर्थात् इस प्रकार का कोई निर्दिष्ट प्रश्न पूछ सकते थे। वह उनकी राय क्यों पूछते हैं कि उन्होंने उत्साह प्रदर्शित किया है या नहीं ? वह ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं ?

†श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि यह एक तारांकित प्रश्न है। यहां हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रश्न कोई व्यक्तिगत राय जानने की दृष्टि से तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। माननीय सदस्य विशुद्ध तथ्य सम्बन्धी जानकारी चाहते हैं।

†श्री रंगा : यदि मंत्री जी के पास वह जानकारी हो तो उनको बताना चाहिए।

†अध्यक्ष महोदय : हम उसे एक तरह से समझते हैं और माननीय मंत्री दूसरी तरह से।

†श्री त्यागी : वह अंग्रेजी जानते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** राज्य सरकारों द्वारा कुछ भी रुचि ली गई हो परन्तु जहां तक गम्भीरता का प्रश्न है यह व्यक्तिगत राय का मामला है जिसका माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है कि यह व्यक्तिगत राय का मामला है। परन्तु फिर भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह किसी विशेष प्रश्न की शब्दावली पर न जांय वरन् उसके भाव को लिया करें।

अगला प्रश्न।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** श्रीमान्, उन्हें प्रश्न का उत्तर दे लेने दीजिए।

श्री करमरकर : मैं तो यह बता सकता हूं कि हमने क्या किया है। राज्य सरकारों ने क्या किया है यह तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा। जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो मैं उसे सदन के समक्ष रख दूंगा, यदि पूर्व सूचना दी जाय।

चीन के साथ डाक तथा तार सम्बन्धी करार

***११३३. श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार सेवाओं को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से भारत व चीन के लोक गणराज्य की सरकारों के मध्य करार करने के सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही थी, क्या इस बीच यह पूर्ण हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) देर से देर कब तक इस बातचीत के सम्पन्न हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विलम्ब का यह कारण है कि करार के विभिन्न प्रतीकों (articles) के ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, साथ ही चीन की सरकार भारत-सरकार द्वारा भेजे गये वैकल्पिक प्रारूप पर अभी विचार कर रही है।

(घ) समय की कल्पना करना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर है कि चीन की सरकार हमारे प्रारूप के उपबन्धों के विषय में क्या विचार प्रकट करती है।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि चीन सरकार को एक प्रारूप (ड्राफ्ट) भेजा गया था और अब एक वैकल्पिक ड्राफ्ट (आल्टरनेटिव ड्राफ्ट) पर विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि किन बातों के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए गए हैं और किन पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को विदित होगा कि पेकिंग चीन गवर्नमेंट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सदस्य नहीं है, इसलिए एक बाईलेट्रल एग्रीमेंट (उभयपक्षीय करार) हमें करना पड़ता है और उसके बारे में एक ड्राफ्ट उस ओर से आया था किन्तु वह और ड्राफ्टों के अनुकूल नहीं था। इसलिए एक वैकल्पिक ड्राफ्ट उनको दिया गया है जिस पर विचार हो रहा है और उनकी सम्मति आने पर उस पर हस्ताक्षर होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि तिब्बत में जो तीर्थयात्री लोग कैलाश मानसरोवर इत्यादि को जाते हैं और जो व्यापारी गड़तोक या दूसरे नगरों में जाते हैं उनको वहां से छः महीने तक डाक की सुविधा नहीं है इसलिए इस समझौते को करते समय क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि वहां से भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उनकी डाक पहुंचने लग जाये और कम से कम वायरलैस के ज़रिये संदेश पहुंचने लग जायें ?

श्री राज बहादुर : तार की सुविधा बराबर चालू रही है जब से चीन के शासन में परिवर्तन आया है। जहां तक डाक का सम्बन्ध है इस समय रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड दोनों तरह की डाकें जाती हैं और तीन सरफेस बैग बाकायदा हर हफ्ते भेजे जाते हैं एक शंघाई, एक कैंटन और एक पेकिंग के लिए।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का मतलब यह था कि पश्चिमी तिब्बत जो कि अब चीन का भाग समझा जाता है, वहां कैलाश और मानसरोवर को जो यात्री जाते हैं वे वहां से अपने घरवालों और रिश्तेदारों को अपना कुशल समाचार नहीं भेज सकते हैं और इसलिए क्या वहां पर कोई वायरलैस जैसी सुविधा रक्खी जा सकती है ताकि वे अपना कुशल समाचार भेज सकें ?

श्री राज बहादुर : मैंने निवेदन किया कि जहां तक तार का सम्बन्ध है, वायरलेस से अथवा दूसरे प्रकार से तार तो आते जाते रहते हैं। जिन जगहों के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं उनके बारे में मैंने निवेदन किया कि यह जांच की जायेगी कि वहां क्या असुविधा और क्या कठिनाइयां हैं और वह किस प्रकार दूर की जा सकती हैं।

कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

११३७. **श्री ब० स० मूर्तिः** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में अक्टूबर, १९५७ के दूसरे सप्ताह में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में समस्त राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं थे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात् भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है जहां तक सरकारी उद्योग क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का सम्बन्ध है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन) :** मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह निर्णय सम्मेलन के पूर्व हुआ अथवा बाद में, परन्तु अब सरकारी उद्योग क्षेत्र में उर्वरक कारखाना स्थापित किया जा सकता है ?

†**श्री पाणिग्रहीः** क्या सरकारी उद्योग क्षेत्र में तीनों उर्वरक कारखानों की स्थापना का कार्य दूसरी योजना अवधि में प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं। समस्त प्रश्न की योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० ला० द्विवेदी:** मैं जानना चाहता हूं कि इस खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में और अभी हाल में हुए राज्यपालों के सम्मेलन में अधिक अन्न उपजाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुए हैं और वे कैसे पूरे किये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रश्न से बहुत दूर हटते जा रहे हैं। प्रश्न यह था कि क्या श्रीनगर में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में समस्त राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उसमें राज्यपालों के सम्मेलन का उल्लेख नहीं है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं राज्यपालों सम्बन्धी भाग हटाए देता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो यह निर्णय किया गया कि देश में अधिक अन्न उपजाया जाय, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न भी असंगत है। (अन्तर्बाधायें) शांति, शांति। माननीय सदस्य मेरे बराबर ही अंग्रेजी जानते हैं। यह साधारण सा प्रश्न है कि क्या कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में समस्त राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इससे आगे सम्मेलन के ब्यौरे से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है कि उन्होंने क्या निर्णय किया, वह इस प्रश्न के सम्बन्ध में असंगत है। वह अच्छा हो सकता है परन्तु इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

अगला प्रश्न। आज ६४ प्रश्न हैं।

नौवहन कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज

†*११४२. **श्री झूलन सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर बहुत बढ़ा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नौवहन के विकास के प्रयोजनों के लिये ऋणों के वितरण की प्रगति पर क्या असर हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या यह सच है कि इस देश में प्रगति की गति धीमी इसलिये है कि देश की नौवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता ?

†**श्री राज बहादुर** : विकास सम्बन्धी हमारी आवश्यकतायें अनिवार्य रूप से हमारे वित्तीय साधनों से ही शासित और नियंत्रित होती हैं।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं जो बात जानना चाहता था वह यह है कि नौवहन उद्योग को गैर-सरकारी तौर पर जो संसाधन प्राप्त हैं क्या उनमें सरकार के संसाधनों से वृद्धि नहीं की जायेगी। क्या सरकार इस उद्योग का महत्व समझती है ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि व्यपगत न हो सकने वाले नौवहन-ऋण की स्थापना की गई है सूद की कुछ रियायती दरों की व्यवस्था कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : नौवहन समवायों को कुल कितना ऋण दिया गया है ?

†श्री राज बहादुर : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में लगभग १२.५० करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल मिला कर लगभग २४ करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे ।

†श्री तिरूमल राव : नौवहन उद्योग की सहायता के लिये जो व्यपगत न हो सकने वाला कोष बनाया गया है उसमें कुल कितनी राशि विनियोजित की गई है ?

†श्री राज बहादुर : इस कोष में कुल मिला कर लगभग ५० करोड़ रुपये होंगे । १० करोड़ रुपये १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में भारत की संचित निधि में से दिये जायेंगे ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सरकार को पता है कि जहाज मालिक संघ भारतीय नौवहन में विदेशी पूंजी लगाने के पक्ष में नहीं है ? इस बात को ध्यान में रखते हुये भाड़े से होने वाली कितनी आय का उपयोग अतिरिक्त जहाज खरीदने के लिये किया जायेगा ?

†श्री राज बहादुर : भारतीय नौवहन में लगे हितों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसमें विदेशी पूंजी लगाने के पक्ष में नहीं है । लेकिन एक वर्ग इस बात के भी विरुद्ध है, अर्थात् वह चाहता है कि इसमें विदेशी पूंजी लगाई जानी चाहिये ।

झूमियों को ऋण

†*११४४. श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के झूमियों को सरकार ने प्रचलित दादान ऋण के रूप में कुछ राशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितनी-कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) इस ऋण के लिये सरकार को प्रति माह अथवा प्रति वर्ष किस दर पर ब्याज देना पड़ेगा ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) अधिक से अधिक ५० रुपये प्रति परिवार की दर से १,८२,००० रुपये ।

(ग) ४ प्रतिशत प्रति वर्ष ।

†श्री दशरथ देव : क्या सरकार अगले वर्ष भी यह ऋण देना जारी रखेगी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : गृह-कार्य मंत्रालय में एक योजना बनाई जा रही है ।

†श्री दशरथ देव : सरकार यह ऋण सहकारी समितियों की मार्फत देगी या बैंक के ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह सहकारी समितियों और सरकार द्वारा, दोनों ढंग से किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल की खपत

†*११४७. **श्री कुमारन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने लोगों की भोजन सम्बन्धी आदतें बदल कर चावल की खपत न्यूनतम स्तर तक ले आने की कोई योजना बनाई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जिन क्षेत्रों में चावल खाया जाता है उन में मुक्त रूप से गेहूं के वितरण द्वारा गेहूं की खपत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और ऐसे सभी बड़े केन्द्रों और क्षेत्रों में जहां चावल खाने वालों की बहुतायत है, उचित मूल्य वाली दूकानों से उपभोक्ताओं को दिये जा सकने वाले चावलों का परिमाण कम कर दिया गया है या किया जा रहा है और इस कमी को गेहूं से पूरा कर दिया जायेगा। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह प्रत्येक संभव तरीके से चावल की खपत कम करने को प्रोत्साहन दें।

†**श्री कुमारन्** : क्या सरकार को पता है कि लोगों की भोजन सम्बन्धी आदतों को बदलने के लिये केरल में राज्य-सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है और विशेषरूप से उसके मकरोनी के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी जोरदार आन्दोलन चला रही है और क्या इस सरकार ने केरल के अपने ही दल के लोगों को इस प्रकार के अनुचित प्रचार में पड़ने से निरुत्साहित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : बात इसकी उल्टी ही है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : औचित्य प्रश्न पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ? वहां चलने वाली किसी बातचीत अथवा आन्दोलन में इस सरकार की बात कहां से आयी और वहां की कांग्रेस पार्टी को यह सरकार परामर्श दे यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह औचित्य प्रश्न समझ गया हूं। मैं श्री मूर्ति से पूरी तरह से सहमत हूं। यह बात तो इस प्रश्न से पैदा हो ही नहीं सकती। प्रश्न यह है कि चावल के स्थान पर किसी अन्य खाद्यान्न के पक्ष में सरकार कितना प्रचार कर रही है ? माननीय सदस्य तो सभा को यह बता रहे हैं कि केरल सरकार इस सम्बन्ध में बड़ा अच्छा कार्य कर रही है और कोई अन्य दल इसमें बाधक हो रहा है। क्या हम इसी ढंग से काम करेंगे ? जी, नहीं, मैं इसे अनियमित घोषित करता हूं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : जिन क्षेत्रों में चावल खाया जाता है क्या उन में उसके स्थान पर मकरोनी को लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : केरल में कुछ प्रयोग किये गये थे और उनके परिणाम के बारे में हमें सूचना मिल गयी है। केन्द्रीय सरकार उस पर विचार कर रही है और यदि उचित समझा गया तो केन्द्रीय सरकार वहां एक कारखाने की स्थापना के लिये सहायता देने को तैयार है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : केन्द्रीय सरकार ने मकरोनी को लोकप्रिय बनाने के लिये थोड़ी राज-सहायता प्रदान की है।

†**डा० सुशीला नायर** : मंत्री महोदय ने बताया कि लोगों को अपनी भोजन सम्बन्धी आदतें बदलने और चावल की बजाय निरन्न खाद्य या अन्य अनाज खाने के लिये शिक्षित किया

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा है। इसी प्रयोजन के लिये महिला खाद्य परिषद् की स्थापना की गयी थी। क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने महिला खाद्य परिषद् को सहायता देना बिल्कुल बन्द कर दिया है और, यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को वांछनीय नहीं समझती कि गैर-सरकारी संस्थायें भी जनता को शिक्षित करने का काम करें ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि गैर-सरकारी लोगों की सहायता ली जानी चाहिये और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी अपने भरसक प्रयास करने चाहियें। हम उनका सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक इस संस्था विशेष को सहायता देना बन्द करने का प्रश्न है, यह निर्णय सभी बातों पर विचार करने के बाद कुछ समय पहले ही किया गया था।

†**श्री पट्टाभिरामन् :** जहां तक गेंहू से बनने वाले व्यंजनों का सम्बन्ध है क्या सरकार उनके प्रचार के लिये, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है। सरकार ने राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजकर उन से अन्य अनाजों से, विशेष रूप से गेहूं से बने व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिये कहा है और राज्य-सरकारें इस बात की व्यवस्था करने का भरसक प्रयास कर रही हैं कि गेहूं से और चावल के अलावा अन्य अनाजों से बने व्यंजनों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाय।

†**श्री तिरूमल राव :** क्या यह सच है कि केरल में सभी लोग, चाहे उनके राजनीतिक मत कुछ भी क्यों न हों, आमतौर पर चावल के स्थान पर मकरोनी को लाने का विरोध कर रहे हैं और इसलिये केरल सरकार केन्द्रीय सरकार पर अधिक चावल देने के लिये जोर डाल रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह भी अपनी अपनी राय की बात है। लेकिन यह सच है कि केरल चावल के स्थान पर किसी अन्य खाद्य को स्वीकार करने के लिये इच्छुक नहीं है।

†**श्री पुन्नूस :** उपमंत्री महोदय के उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि मकरोनी का कारखाना खोलने की अंतिम योजना को अभी अंतिम रूप नहीं प्रदान किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** उसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

श्री म० ला० द्विवेदी : सरकार ने जो चावल कम खाने की नीति अपनाई है, और इस सम्बन्ध में जो पत्र जारी किये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने और सूबे की सरकारों ने उस पर क्या अमल किया है और उस का क्या फल हुआ ?

श्री अ० प्र० जैन : यह तो इस प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया गया है कि इस के बारे में क्या किया जा रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : आप ने यह नहीं बताया कि केन्द्रीय सरकार ने जो कदम उठाये हैं उन के फलस्वरूप कितना चावल बचाया गया और सूबों में उस के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है।

श्री अ० प्र० जैन : यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना चावल बचाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा पोत निर्माण कारखाना

†*११४६. { +श्री वासुदेवन नायर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के जिस शिष्ट मंडल (मिशन) को इस बात के बारे में सिफारिश करनी है कि दूसरे पोत निर्माण कारखाने की स्थापना किस स्थान पर की जाये क्या वह उन सभी स्थानों का दौरा करेगा जिनमें ब्रिटिश विशेषज्ञों का मूल दल गया था ;

(ख) यदि हां, तो वह किन किन स्थानों में नहीं जायेगा; और

(ग) सरकार को इस शिष्ट मंडल का अंतिम प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं।

(ख) परदीप, तूतीकोरिन, मंगलौर और भटकल ।

(ग) १९५८ में मार्च के अन्त तक ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** क्या पहले वाले दल ने कुछ विशिष्ट सिफारिश दी थीं या बाद में आने वाले दल ने केवल कुछ सामान्य जानकारी दी थी ?

†**श्री राज बहादुर :** जो अग्रिम दल आया था उसने बाद में आने वाले सम्पूर्ण दल के लिये केवल कुछ आंकड़े ही एकत्र किये थे, और इसी कार्य के सिलसिले में अग्रिम दल ने इन सभी स्थानों का दौरा किया था ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** सरकार को इस अंतिम दल का प्रतिवेदन कब तक मिल जाने की आशा है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं बता चुका हूं कि मार्च, १९५८ तक।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** तूतीकोरिन को छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा ख्याल है कि एक पत्रकार सम्मेलन में इस शिष्ट मंडल ने यह बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा था कि इस में किसी स्थान विशेष को न रखने का कोई प्रश्न नहीं था। सभी स्थानों के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े इस शिष्ट मण्डल के पास हैं और इसीलिये इस अवसर पर जिन स्थानों पर जाने का विचार है उनमें केवल उन्हीं स्थानों को शामिल किया गया है जिनके सम्बन्ध में शिष्ट मण्डल के पास पूरे आंकड़े नहीं थे या जिनके सम्बन्ध में वे और आगे निरीक्षण कर मौजूदा आंकड़ों को सत्यापित करना चाहते थे ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सच नहीं है कि सरकार और शिष्ट मण्डल के पिछले अग्रिम दल दोनों की राय में कारवार को सभी दृष्टियों से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का उत्तर देना तो इस जांच करने वाले शिष्ट मण्डल के निर्णय अथवा उपपत्ति को प्रभावित करने का प्रयास करना होगा ।

†श्री आचार : भटकल को क्यों छोड़ दिया गया है ?

†श्री राज बहादुर : मैं बता चुका हूं कि किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, लेकिन कुछ के बारे में उनके पास आंकड़े नहीं थे ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह कहा गया है कि जिन स्थानों को छोड़ दिया गया है उनमें परदीप भी है । इन स्थानों को इस दल के दौरे तक से भी क्यों वंचित कर दिया गया है ?

†श्री राज बहादुर : यह हो सकता हो कि कुछ स्थानों पर पोतनिर्माण कारखाने की स्थापना करना संभव हो या उसकी स्थापना करना असंभव न हो, लेकिन इस शिष्ट मंडल को एक ऐसे स्थान की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है जो सभी बातों का ध्यान रखते हुये सभी दृष्टियों से सबसे अच्छा हो और मेरे ख्याल से हमें इस प्रश्न पर उसके प्रतिवेदन और सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

यमुना बाजार, दिल्ली, की गन्दी बस्ती को हटाना

*११५०. श्री नवल प्रभाकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दिल्ली के यमुना बाजार की गन्दी वस्ती को हटाने का विचार त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो रिंग रोड बन रही है वह इन लोगों के न उठने के कारण रुकी हुई है ?

श्री करमरकर : कई लोग ऐसे हैं जो वहां से नहीं उठ रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि उनके उठाने का क्या उपाय किया जाये ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यमुना बाजार में कितने परिवार रहते थे और कितनों को आपने उठाया है ?

श्री करमरकर : आज तक हमारे पास जो संख्या है उसके अनुसार ९५० फैमिलीज कीलाकरी और झिलमिल या ताहरपुर में सब को मिला कर गई हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि यमुना स्लम एरिया के जिन लोगों को कीलाकरी आदि स्थानों में बसाया गया है, उनके लिये बिजली, पानी और डाक आदि की साधारण सुविधाओं के लिये क्या किया गया है ?

श्री करमरकर : डाक की सुविधाओं के लिये तो डाक मंत्री से पूछना चाहिये, पानी और बिजली आदि के लिये जो कोशिश हो सकती है वह की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि शहादरा के पास झिलमिल ताहरपुर में जहां इन परिवारों को बसाया गया है वहां का पानी बहुत खराब होने के कारण बहुत से लोग फिर अपनी जगहों को वापिस आ रहे हैं ?

श्री करमरकर : जी हां, पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है कि वहां का पानी कुछ खराब है और उसके बारे में हम सोच रहे हैं ।

डाक-तार कर्मचारी

†*११५२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के उन सभी राजनीतिक पीड़ितों के मामलों पर विचार कर लिया गया है जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देशभक्तिपूर्ण कार्यों के लिये बर्खास्त कर दिया गया था ;

(ख) क्या उन सभी को फिर से काम पर रख लिया गया है ;

(ग) क्या उनके वेतन-क्रमों में परिवर्तन किया गया है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कुछ और अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, उन सभी के मामलों पर जिन्होंने फिर से काम पर रखे जाने की प्रार्थना की थी ।

(ख) फिर से काम पर रखे जाने के लिये २४ व्यक्तियों ने अर्जियां भेजी थीं जिनमें से एक को घोषित रियायतें दिये जाने का पात्र समझा गया और २३ के सामने फिर से नौकरी देने का प्रस्ताव रखा गया । २० ने इन नौकरियों को मंजूर कर लिया है, ३ ने नहीं किया ।

(ग) उन के वेतन क्रमों में परिवर्तन नहीं किये गये हैं—यदि किये भी गये हैं तो यह केवल उनके ही हित में १९४७ के वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किये गये हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : इन देश भक्तों को काम देने में क्या फिर से नौकरी देने और बहाली में भेद किया गया है और यदि हां तो यह भेद रखने के क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह ठीक है कि इन्हें फिर से नौकरी देने का प्रस्ताव किया गया था, बहाल नहीं किया गया था । इस के कारण गृह-कार्य मंत्रालय से पूछे जाने चाहियें । जहां तक पिछली सेवा की गणना, निवृत्ति वेतन, वरिष्ठता, छुट्टियों, स्थायीकरण और पदोन्नति आदि से सम्बन्धित अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, उनके साथ कुछ रियायत की गयी हैं ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : जिन लोगों को फिर से नौकरी दी गयी है क्या उन्हें, या उनमें से कम से कम कुछ को इस समय केवल इसी आधार पर उससे कम वेतन मिल रहा है जो उन्हें लगातार काम

---

†मूल अंग्रेजी में

करते रहने की स्थिति में मिलता कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से उन पदों का दर्जा घटा दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** हो सकता है कि माननीय सदस्य के ध्यान में जो मामला हो उस में यह बात ठीक हो लेकिन आम तौर पर यह हुआ है कि प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशें मान कर इन पदों का दर्जा बढ़ा देने से और साथ ही वरिष्ठता, सेवा काल आदि अन्य बातों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दे दिये जाने के कारण उनका लाभ ही हुआ है ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या फिर से नौकरी देने के कारण उनकी नौकरी का क्रम टूटा नहीं है, क्योंकि यदि उन्हें बहाल किया जाता तो उनकी नौकरी का क्रम चलता रहता और उन्हें वह कुछ सुविधायें मिलती रहतीं जो अब उन्हें नहीं मिल पा रही हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** यह निष्कर्ष ठीक है कि पुनः नौकरी देने की अपेक्षा यदि उन्हें बहाल कर लिया जाता तो उन्हें अधिक सुविधायें और लाभ प्राप्त होते ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या यह सच नहीं है कि अन्य कई मामलों में जिनमें राजनीतिक पीड़ितों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया गया था वहां उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया है कम से कम राज्यों में तो इन्हें फिर से नौकरी देने के बजाये बहाल किया गया है।

†**श्री राज बहादुर :** मैं यह जानकारी स्वीकार करता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इन कर्मचारियों को राजनैतिक पीड़ित करार दे दिया गया है। इसलिये क्या गवर्नमेंट इस सुझाव पर विचार कर रही है, या करेगी, कि कम से कम उन दिनों की सेवा मान ली जाय, जिन दिनों का वेतन उनको नहीं मिला है ताकि उनकी सीनियौरिटी में बाधा न पड़े ?

श्री राज बहादुर : जहां तक पिछली सर्विस की गणना का सम्बन्ध है, सीनियौरिटी आदि का सम्बन्ध है, इन प्रश्नों पर कुछ कंसेशन दिया गया है, जोकि उन के अनुकूल है

†**श्री ब० स० मूर्ति :** उनके निवृत्ति-वेतन का हिसाब लगाते समय क्या उनकी पूरी नौकरी की अवधि जोड़ ली जायेगी और उन्हें केवल फिर से काम पर रखे गये कर्मचारी मात्र नहीं समझा जायगा ? .

†**श्री राज बहादुर :** मैं बता चुका हूं कि सरकार ने पिछली नौकरी गणना, वरिष्ठता, छुट्टियों आदि के बारे में समय समय पर रियायतें की हैं। पिछली नौकरी की गणना का तात्पर्य यह है कि निवृत्ति-वेतन के लिये भी पिछली नौकरी की गणना की जायेगी।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या ऐसा किसी मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और यदि हां, तो क्या उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** मुझे बताया गया है कि इस समय एक भी अभ्यावेदन विचाराधीन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तिम्मय्या : नौकरी से अलग किये गये इन देशभक्तों की नियुक्तियों के बारे में क्या कोई समान नीति है? क्या इन मामलों के सम्बन्ध में अलग अलग मन्त्रालयों में भिन्न नीतियां चलती हैं ?

†श्री राज बहादुर : जी नहीं, नीति गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है और हम उसकी हिदायतों का पालन करते हैं।

दमदम का हवाई-अड्डा

†*११५६. श्री बीरेन राय : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के वायु-मार्गों पर १९६० से जिन तेज चलने वाले जेट विमानों का आवागमन आरम्भ होने वाला है उनके लिये दमदम के हवाई अड्डे के कम से कम एक रन वे को लम्बा करने और उसके आधुनिकीकरण की योजनायें इस समय किस स्थिति में हैं ; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के प्रमाप के अनुसार रन वे को ३३०० मीटर लम्बा बनाया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जेट विमानों के लिये दमदम के हवाई अड्डे पर एक रन वे को १९६० तक लम्बा बना लेने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†श्री बीरेन राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां काम करने वाली १७ अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों में से जिनमें एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शामिल है, कम से कम पांच १९६० में जेट विमानों का उपयोग करने लगेंगी, क्या सरकार १९६० तक कम से कम एक रन वे को अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के प्रमाप के अनुसार लम्बा बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री राज बहादुर : इससे पूर्व कि मैं अपने उत्तर को दोहराऊं, जहां तक इस प्रश्न विशेष का सम्बन्ध है हो सकता है कि शुरू में हमें जेट विमानों के, जिनका आगमन प्रारम्भिक अवस्था में केवल सीमित संख्या में होगा, रुकने आदि का विनियमन करना पड़े।

†श्री बीरेन राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पांच एयर लाइनें, जिनमें हमारा एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शामिल है ....

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। यह तो केवल तर्क की बात है। माननीय सदस्य तो कारण बता रहे हैं।

†श्री बीरेन राय : मेरा प्रश्न यह है। यदि दमदम के हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्ग से हटा दिया गया ...

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह तो नहीं कहा।

†श्री राज बहादुर : मैं ने यह तो नहीं कहा कि दमदम को हटा दिया जायेगा। मैं ने कहा था कि यह मामला विचाराधीन है। रन वे को अपेक्षित लम्बाई तक विकसित करने का कार्यक्रम हमारे पास मौजूद वित्त पर आश्रित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा वह बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के हवाई अड्डों को एक ही समान प्रतिमान तक, अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के प्रमाप तक ले आये ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक अन्य किस्मों के विमानों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के प्रमाप का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल से वैसे हवाई अड्डे मौजूद ही हैं। लेकिन यह प्रश्न जेट विमानों का है। हम खुद इस बात को बहुत पसंद करेंगे कि हमारे सभी हवाई अड्डे जेट विमानों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के प्रमाप के अनुसार हो जायें।

यमुना जल-विद्युत् परियोजना

+

†*११५७. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री सरजू पांडे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना जल-विद्यत् परियोजना का कार्य योजना आयोग के कहने से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिये क्या सहायता दी जा रही है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) यमुना जल विद्युत् योजना दो भागों में है--प्रक्रम १ और प्रक्रम २। प्रक्रम १ का कार्य तो बन्द कर दिया गया है और प्रक्रम २ का कार्य आरम्भ करने का निश्चय हुआ है।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष में इस योजना (प्रक्रम १) के लिये योजना आयोग से ६८ लाख रुपयों की सहायता मांगी थी। यह राशि मंजूर नहीं की गयी क्यों कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं संबंधी मंत्रणा समिति ने इस योजना का अनुमोदन नहीं किया था।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या इस परियोजना का शिलान्यास प्रधान मंत्री ने १९५१ में किया था और इसके पूरे होने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : जहां तक परियोजना संख्या २ का सम्बन्ध है, उसके बारे में कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि कुछ धार्मिक जल स्नान जलमग्न हो जायेंगे। स्वाभाविक ही यह एक ऐसा मसला है जिस में समय लगेगा।

†श्री त्रि० ना० सिंह : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सिंचाई विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा था कि उनकी परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा और अपनी पूरी परियोजना पंजाब की मार्फत तैयार करायें ? क्या यह ठीक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रश्न यह नहीं है कि योजना किस सरकार ने बनायी है। लेकिन जहां तक प्रक्रम संख्या १ का सम्बन्ध है, काम बन्द कर दिया गया है। यह प्रश्न प्रक्रम १ और प्रक्रम २ दोनों के बारे में है। इसे खतम ही कर देना है क्योंकि यदि दूसरी प्रावस्था का कार्य आरम्भ किया जायेगा तो पहली बिल्कुल डूब जायेगी।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : मैं दूसरी परियोजना की बात कर रहा हूं।

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रश्न यह नहीं है कि परियोजना किसने तैयार की थी। मैं जिन कठिनाइयों का जिक्र कर चुका हूं उनकी वजह से इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री त्यागी** : क्या दूसरी परियोजना के फलस्वरूप पावन्ता साहब का पवित्र सिख धार्मिक स्थान लगभग २५० फुट तक जलमग्न हो जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह सच है लेकिन मैं निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कितने फुट जलमग्न होगा।

†**श्री त्यागी** : देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश की कुल कितनी कृषि भूमि जलमग्न होगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह बात हमें सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मालूम होगी। अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

गोसदन

*११६०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राज्यवार गोसदनों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन गोसदनों में कुल कितने पशु हैं ; और

(ग) सरकार उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय करती है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४२**]

श्री मोहन स्वरूप : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन गोसदनों में जो पशु बीमार हैं और बेकार हैं उनकी वास्तव में सेवा हो रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस आरोप का क्या अभिप्राय है ? वस्तुतः ये गोसदन इन पशुओं की देखभाल के लिये बनाये गये हैं। बीमार पशु की ओर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन माननीय सदस्य यह क्यों पूछ रहे हैं कि क्या यह सच है अथवा क्या उनकी अविलम्ब सेवा की जा रही है ? मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। क्या गोसदन की स्थापना का उद्देश्य पशुओं की हत्या करना है ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : वह जानना चाहते थे कि क्या कुछ कार्य किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** कितने बीमार हैं, कितने पशुओं की सेवा की गई है और कितने मर गये हैं ? प्रश्न का यह आशय प्रतीत होता है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** वह वास्तविक तथ्य चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** "क्या वस्तुत: उनकी देखभाल की जा रही है" प्रश्न यह है। क्या मंत्री को यह प्रश्न स्वीकार्य है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** यथार्थ प्रश्न यह है कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : कई बार माननीय सदस्य उत्साह वश प्रश्न पूछ बैठते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आलोचना का समुचित ढंग होना चाहिये। प्रत्येक प्रश्न की आड़ लेकर आरोपों की बौछार करना सही नहीं है। यदि गो सदनों में पशुओ की देख भाल नहीं की जायेगी तो फिर उनका उद्देश्य ही क्या है ? सभा को अपनी राय जानने के लिये बाध्य करने का यह समुचित अवसर नहीं है। केवल प्रश्न पूछिये और उसका उत्तर मांग लीजिये। कितने बीमार हैं, कितनों की सेवा की जा रही है या कितने मर गये हैं आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

†**श्री मोहन स्वरूप :** मेरा अभिप्राय यह था कि क्या उद्देश्य की यथार्थ पूर्ति हो रही है अथवा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। मंत्री महोदय और क्या कहेंगे।

†**श्री प० ला० द्विवेदी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गो सदनों के लिये सेवा अधिकारियों के लिये कितनी धन राशि सरकार ने प्रति वर्ष मुकर्रर की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ६० गो सदन स्थापित करने की योजना है इसके वास्ते इस साल में ६ लाख रुपया दिया गया है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या दूध सम्भरण की मात्रा में वृद्धि हुई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी नहीं। हम अनुत्पादक और बेकार पशुओं को संभालते हैं। मृत्यु की सम्भावना वाले पशु ही गो सदनों में आते हैं और इन पशुओं से उसी समय तक दूध निकाला जा सकता है जब तक वे इस स्थिति में हों। हम इन पशुओं को दोहने के लिये गो सदनों में नहीं ले जाते हैं।

मण्डुआडीह रेलवे वर्कशाप

*११६२. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या रेलवे मंत्री २८ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मण्डुआडीह रेलवे वर्कशाप के लिये जो ३५० एकड़ भूमि ली जा रही है उसका कितने किसान परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के किसानों ने यह अभ्यावेदन किया है कि उक्त भूमि न ली जाये ;

(ग) क्या उन्होंने कोई अन्य भूमि लिये जाने के बारे में सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) यह मालूम नहीं है कि जमीन लेने से कितने किसान परिवारों पर असर पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के नाम में यह जमीन है और इसे लेने के लिये जिनको नोटिस दिये गये हैं उनकी तादाद ५७८ है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) कारखाना कहां बनाया जाय, इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया कि कारखाना मंडुआडीह के पास बनाना चाहिये। इस काम के लिये जितनी जमीन की जरूरत है उसका ज्यादातर हिस्सा लिया जा चुका है।

श्री सरजू पांडे : किसानों के डेपुटेशन की तरफ से जिस दूसरी जमीन को लेने का सुझाव दिया गया था, उस जमीन को लेने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई बड़ा कारखाना लगाने के लिये हमें इंजीनियर्ज और माहिरीन की राय पर चलना पड़ता है, न कि किसानों की राय पर।

श्री सरजू पांडे : क्या यह सत्य है कि जिस जमीन को लेने के लिये किसानों की तरफ से सुझाव दिया गया था, उस पर इंजीनियरों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वह जमीन किसी बहुत बड़े आदमी की है और उत्तर प्रदेश के किसी मिनिस्टर को उस पर आपत्ति थी, इस लिये वह नहीं ली गई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। वह इस बात के कारण बता रहे हैं कि जमीन क्यों नहीं ली जानी चाहिये।

राजा महेन्द्र प्रताप : अर्ज यह है कि चूंकि इस तरफ बहुत जमीन ली जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात का इन्तजाम कर रहे हैं कि पेश्तर इस के कि लोगों से जमीन ली जाय, उन को कोई और जमीन दे दी जाय। अगर ऐसा किया जाये, तो कोई हर्ज नहीं है। फिर चाहे जितनी जमीन ली जाये। आप जो जमीन ले रहे हैं, क्या उन लोगों को किसी और जगह जमीन देने का इन्तजाम कर दिया गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इतना आर्ग्युमेंट क्यों ?

श्री शाहनवाज़ खां : जमीन जो ली जाती है, वह प्रान्तीय सरकार के जरिये एक्वायर की जाती है और उस के मुआविजे में लोगों को जमीन मिलती है या नहीं, यह तो प्रान्तीय सरकार ही फैसला कर सकती है।

मुकेरियां रेलवे स्टेशन के निकट पुल

†*११६३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जालन्धर-पठानकोट रेलवे मार्ग पर मुकेरियां रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे पुल निर्माण करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** . (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे ने प्रयोगात्मक रूप से मुकेरियां के निकट ४४/१३–१४ मील पर एक मार्ग बनाने का निर्णय किया है । मार्ग की साइज के बारे में अभी जांच की जा रही है ।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या यह सच है कि मुकेरियां अनाज मंडी का अनाज वर्षा में रेलवे लाइन से पानी अवरुद्ध होने के कारण हर वर्ष नष्ट हो जाता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पिछले अक्तूबर में श्री हेमराज, संसद् सदस्य ने हमें बताया था कि उस क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने से कुछ अनाज खराब हो गया है । रेलवे इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है और अब हमने रेलवे लाइन के नीचे एक मार्ग बनाने का निर्णय कर लिया है ।

†**श्री हेम राज** : यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरा विचार है कि यह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के लिये वृहद् योजना[2]

†*११६७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ का सामना करने के लिये कोई वृहद् योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३**]

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से प्रकट होता है कि राज्य सरकार ने थोड़ी अवधि के उपायों के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की है । क्या इस लघुकालीन योजना में ब्रह्मपुत्र के तट पर डाइक का निर्माण और निम्न स्तर के मौजूदा डाइकों के नवीकरण की योजना का प्रस्ताव है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अल्पकालीन उपाय विचाराधीन हैं । इस सम्बन्ध में पूरा प्रस्ताव मुझे नहीं मिला है । अतः मैं यह नहीं कह सकता कि डाइक इसमें सम्मिलित हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से मालूम होता है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इस कार्य के लिये टेक्नीकल सहायता प्रदान कर रहा है । क्या आयोग ने आसाम की नदियों का सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आसाम की सब नदियों का सर्वेक्षण ?

†**श्री हेम बरुआ** : जी, हां ।

†**श्री स० का० पाटिल** : पहले तो राज्य सरकार योजना की रूपरेखा तैयार करेगी और उसके बाद यह केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास आयेगी । अतः दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों योजनाओं की राज्य सरकार जांच कर रही है । जब उन की जांच पूरी हो जायेंगी तो फिर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के समक्ष यह प्रश्न आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[2]Master Plan.

श्री हेम बरुआ : उठे——

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** यह एक विशिष्ट प्रश्न है, श्रीमान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाढ़-नियन्त्रण कार्य के लिये आसाम को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** ११,८६,००,००० रुपये। हमने इस विषय की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी आयोग इसका अध्ययन कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश में आलू के बीज[3]

*११६८. **श्री पद्म देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष कितना आलू का बीज बिना बिका पड़ा है ;

(ख) इसके न बिकने के क्या कारण हैं ;

(ग) किसानों को इससे कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (घ). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

श्री पद्म देव : खुराक की कमी की वर्तमान अवस्था के होते हुए, इस समय बर्फ के गिरने से वहां पर जो तकरीबन तीस हजार बोरी आलू की सड़ जायेंगी, उन के उठाने के सम्बन्ध में क्या सरकार कुछ विचार कर रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हिमाचल प्रदेश में जितना आलू बिना बिके रह गया है हम उसके निबटारे में शीघ्रता करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। हम पश्चिमी बंगाल तथा अन्य उपभोक्ता राज्यों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं कि वे इन आलूओं को उठा लें। रेलवे मंत्रालय से भी शीघ्र वैगन सम्भरण करने के लिये कहा है।

श्री पद्म देव : अगर इस का प्रबन्ध नहीं होता है, तो क्या सरकार इन सारी प्राडक्ट्स को किसी कोल्ड-स्टोरेज में रखने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : कोल्ड-स्टोरेज तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। वहां पर बर्फ गिरती है, इस लिये वहां पर नैचुरल कोल्ड-स्टोरेज है। इसलिये इन को नीचे ला कर कलकत्ता में रखना पड़ेगा।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार रेलवे में भाड़े की दर कम करने का विचार कर रही है। कालका से शिमला पर लागू होने वाले भाड़े की दर अन्य स्थानों से ३०० गुना अधिक है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह प्रश्न रेलवे मंत्रालय से पूछा जा सकता है।

†**श्री त्यागी :** क्या खाद्य मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय से आलुओं पर विशेष रूप से भाड़ा कम करने के लिये कहा है। ताकि बाजार में और आलू आ सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[3]Potato Seeds.

†**अध्यक्ष महोदय :** आलू के निर्यात में शीघ्रता करने के लिये क्या खाद्य मंत्रालय ने यह उपाय भी अपनाया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी नहीं ; मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या माननीय मंत्री को पश्चिमी बंगाल के बीज प्रयोक्ताओं की ओर से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बीज के आलू बाजार में आने में जितना समय लगता है वह रंगून से बीज लाने से भी अधिक है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वे बीज के लिये आलू रंगून से मंगवाना चाहते थे । हमने मामले की जांच की और यह महसूस किया गया कि विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए यही बेहतर है कि जहां तक सम्भव हो, देशी आलू का ही प्रयोग किया जाये ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** हमने विशेषज्ञों से परामर्श किया था और हमें यह बताया गया कि पश्चिमी बंगाल के आलू के बीज के व्यापारियों की यह दलील सच नहीं है । भारतीय आलू का बीज बर्मा की भांति ही अच्छा है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पश्चिमी बंगाल में आलू लगाने का मौसम दिवाली के पश्चात् प्रायः बीत जाता है और अब यह आलू पश्चिमी बंगाल भेजा जा रहा है क्या इसे शीतोषित स्थान में रखने की व्यवस्था है ताकि इसे उपयोगी ढंग से बोया जा सके ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** बीज बोने की मौसम के पश्चात् भेजे गये आलू उपभोग के लिये हैं ।

रेलों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों की सुविधा सम्बन्धी समिति

+

†*११६९ { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या रेलवे मंत्री तृतीय श्रेणी के यात्रियों की सुविधा सम्बन्धी समिति के बारे में १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समिति की रिपोर्ट अब मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितनी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं ; और

(ग) अभी कितनी क्रियान्वित करना शेष है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति ने १५ मुख्य सिफारिशें की हैं । बोर्ड ने इन्हें स्वीकृत कर लिया है और उनकी क्रियान्विति के लिये रेलवे को आदेश दे दिये गये हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** इन में सामान्य सिफारिशें कितनी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का घण्टा बीत गया है ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के प्रश्न के उत्तर में मैं ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवंटन ११ करोड़ रुपये बताये थे । किन्तु सही रकम ७ करोड़ रुपये है । मैं चाहता हूं कि इसे संशोधित कर लिया जाये ।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

लखनऊ मेल में चोरी

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ नवम्बर, १९५७ की रात को ३० डाउन लखनऊ मेल में महिलाओं के रिजर्व कम्पार्टमेंट में अकेली दिल्ली से लखनऊ की यात्रा करते हुए एक अमरीकी महिला के पास से रुपया तथा अन्य सामान लूट लिया गया और उसकी बुरी तरह पिटाई की गई और वह घायल हो गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त महिला यात्री ने उत्तर रेलवे के कपूरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से इस घटना की शिकायत की थी ;

(ग) यदि हां, तो इस विषय में अभी तक की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिये सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) महिला यात्री ने कपूरपुर पर कोई रिपोर्ट नहीं की । वहां गाड़ी नहीं ठहरती है । उन्होंने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन, मुरादाबाद, से इस बात की रिपोर्ट की थी ।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३९२ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मुरादाबाद इसकी जांच कर रही है ।

(घ) रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाली सभी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये रेलवे मंत्रालय के सामर्थ्यानुकूल केन्द्रीय सरकार ने निम्न कार्यवाही पहले ही कर दी है :

(१) सभी प्रमुख रेलगाड़ियों पर महिलाओं के लिये एक पृथक कम्पार्टमेंट रिजर्व किया जाता है ।

(२) फर्स्ट कलास रेलवे कम्पार्टमेंट के सभी भीतरी दरवाजों पर सुरक्षा चटखनी* लगा दी गई हैं ।

(३) लोहे की बार और लैंच की सहायता से शटर सुरक्षित बना दिये गये हैं ।

(४) प्रत्येक कम्पार्टमेंट में खतरे की जंजीर लगा दी गई है ।

(५) सभी ठहरने के स्टेशनों पर गार्ड और कंडक्टर निगरानी रखते हैं ।

(६) महत्वपूर्ण गाड़ियों की रक्षा के लिये रात को पुलिस गार्ड तैनात रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Safety Latches.

यह वस्तुतः विधि और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या है जो राज्य सरकार के अन्तर्गत आती है और रेलवे मंत्रालय इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : अगले कम्पार्टमेंट में बैठे हुए मुसाफिर ने भी इस बात की पुष्टि की कि वह डाकू या लुटेरा गाड़ी से बाहर नहीं कूदा था । और फिर उक्त महिला के यह कहने पर कि वह अपराधी को पहचानने का प्रयत्न कर सकती थी, गाड़ी में उसे ढूंढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जब महिला यात्री ने पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट की थी उसी समय उसे तलाश करने का प्रयत्न किया गया था किन्तु वे उसे नहीं ढूंढ सके ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या उस महिला ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि वह आदमी कम्पार्टमेंट में किस प्रकार घुसा था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ऐसा प्रतीत होता है कि एक दरवाजा खुला रह गया था और अन्दर से चिटखनी बन्द नहीं की गई थी । महिला यात्री के बयान के अनुसार, वह इस भ्रम में रह गईं थीं कि उनके पति महोदय ने, जो उन्हें स्टेशन पर बिदा करने आये थे, उस दरवाजे की चटखनी बन्द कर दी थी जो खुला रह गया था ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : वह चटखनी कैसे बन्द कर सकते थे ?

†**श्री सिंहासन सिंह** : पति महोदय बाहर से ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : महिला की यही धारणा थी ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रमुख गाड़ियों में जनाने डिब्बे लगाये जाते हैं । वे प्रमुख गाड़ियां कौन कौन सी हैं और क्या माननीय मंत्री प्रत्येक गाड़ी में जनाने डिब्बे की व्यवस्था का आदेश देंगे । बहुत सी गाड़ियों में जनाने डिब्बों के अभाव में महिलाओं को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर जा रहे हैं ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : हाल ही में चलती गाड़ियों में लूटमार की घटनाएं बढ़ गई ह और इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि चटखनियां बेकार हैं तथा डाकू उन्हें बाहर से खोल लेत हैं । इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए क्या मंत्रालय ने इस विषय में कोई कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम केवल महिला यात्रियों के लिये ही नहीं परन्तु सब यात्रियों के लिये सुरक्षा सम्बन्धी प्रत्येक कार्यवाही कर रहे हैं । महिला यात्रियों पर आक्रमण की घटनाएं भी हुईं ह और अनेक स्थितियों में तो मालूम हुआ है कि ये लुटेरे बर्थ के नीचे छुपे रहते ह और रात्रि को बाहर आ जाते हैं ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि प्रत्येक कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : इस बात पर ध्यान देते हुए कि उपरोक्त महिला यात्री ने जब जंजीर खेंचने का प्रयास किया था या जंजीर खेंचने का विचार किया अथवा उसकी ओर केवल देखा तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया तब क्या यह संभव नहीं होगा कि महिला कम्पार्टमेंट में जंजीर सीट के निकट हो ताकि सरलतापूर्वक खींची जा सके ?

†**श्री शाहनवाज खां** : खतरे की जंजीर अत्यंत सुविधाजनक स्थान पर है। यदि कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करना चाहे तो वर्तमान स्थिति में सरलतापूर्वक ऐसा किया जा सकता है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को उन मामलों की जानकारी है, जिनकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं की जाती है, जब मुसाफिरों की छेड़ छाड़ की जाती है अथवा उन्हें लूट लिया जाता है और वे यात्री पुलिस तक जाने में घबराते हैं क्योंकि उन्हें दूर की यात्रा करना है। यदि वे पुलिस तक जाकर रिपोर्ट करेंगे तो उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ेगा। क्या सरकार ने उस प्रकार की स्थितियों का ध्यान रखते हुए अभियोजकों को अविलम्बनीय कार्यवाही करने के लिये कहा है ताकि यात्रियों के बयान अविलम्ब रिकार्ड किये जा सकें ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें इस प्रकार के मामलों की जानकारी नहीं है।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या दूर की यात्रा वाले महिला यात्रियों के लिये गाड़ियों में महिला कंडक्टरों को रखने का कोई विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम सुरक्षा के प्रश्न से सुविधा की बात पर आ रहे हैं

†**श्री शाहनवाज खां** : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्नों की कीमतें

†**११२६-क.** { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें विभिन्न राज्यों की प्रमुख मण्डियों में खाद्यान्नों की कीमतें और खुर्दा कीमतें दी गई हों और यह बतायेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक वस्तु विधेयक के अधीन दी गई शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्र अथवा विभिन्न राज्यों द्वारा कितना अनाज प्राप्त किया गया है ; और

(ख) वर्ष में विभिन्न राज्यों को सम्मिलित खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा है और किस सीमा तक उनकी मांग पूरी हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : कुछ प्रमुख केन्द्रों में खाद्यान्न के मौजूदा थोक भाव बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अभी तक लगभग ८३,००० टन खाद्यान्न अर्जन किया गया है ।

(ख) राज्यों की युक्तिसंगत मांग पूरी करने के लिये नवम्बर के अन्त तक विभिन्न राज्यों को लगभग २७,४२,००० टन खाद्यान्न सम्भरित किया गया था ।

गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क

†*११२६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क के बारे में २४ अगस्त, १६५७ की आधे घण्टे की चर्चा के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क के बारे में यातायात तथा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और रेलवे बोर्ड ने उनका परीक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) क्या उक्त रेल सम्पर्क के बारे में कोई प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुए हैं । अभी इनका परीक्षण किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

पौतुंदी योजना, केरल[5]

†*११३४. **श्री ई० इयाचरण** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चित्तौर तालुक में पौतुदी योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्या प्राथमिकता दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय का योजना आयोग परीक्षण कर रहा है ।

दिल्ली में "स्वामिहीन भूमि" की स्थिति[6]

†*११३५. **श्री हेडा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगरपालिका ने २५ सितम्बर, १६५७ को सर्व सम्मत्ति से एक संकल्प पारित किया था कि जिस में सरकार से दिल्ली में "स्वामिहीन भूमि" की स्थिति को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या विचार किया है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार के बीच नये सिरे से शक्ति वितरण करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[5]Pithundi Scheme Kerala.

[6]"No man's Land" Situation.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस स्थिति को दूर करने के लिये दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने भारत सरकार के अनुमोदन और दिल्ली नगरपालिका के परामर्श से एक अधिसूचना जारी की है जिस में दिल्ली नगरपालिका को २४ सितम्बर, १९५७ में नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले "नियंत्रित" क्षेत्रों में निर्माण योजनायें स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये अमरीकी सहायता

†*११३६. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के उन्मूलन कार्यक्रम में परिणत करने की भारतीय योजना में अमेरीका सहायता प्रदान करेगा;

(ख) उन्मूलन कार्यक्रम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की दिशा में सरकार कोई और कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने उन्मूलन कार्यक्रम १ अप्रैल, १९५८ से प्रारम्भ करने का निर्णय किया है । राज्य सरकारों को भारत सरकार के निर्णय की जानकारी दे दी गई है । टैक्नीकल सहकारिता प्रशासन और भारत सरकार द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं । इस के अनुसार अगले तीन वर्षों में भारत को ३८० लाख ४० हजार डालर की सहायता दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

खाद्यान्नों का निर्यात

†*११३८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने राज्यों ने अपने क्षेत्रों से खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लघु बचत आन्दोलन[7]

†*११३९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लघु बचत आन्दोलन को गहन बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है और उन के क्या क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[7]Small Savings Drive.

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले के कम से कम एक खण्ड में लघु बचत आन्दोलन प्रारम्भ किया जाये और गहन आन्दोलन के लिये अत्याधिक विकास खण्डों में चार अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ की जायें । इस के अतिरिक्त लघु बचत आन्दोलन का प्रचार करने के लिये सेवा खण्डों के कर्मचारी जिन में ग्राम सेवक भी सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय बचत का काम कर रहे हैं । राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि लघु बचत को प्रोत्साहन देने के लिये खण्ड परामर्श समिति की एक उपसमिति बनाई जाये, और बचत विस्तार पदाधिकारी ही जिस का सचिव हो । अभी तक परिणामों की तुलनात्मक जांच नहीं की गयी है ।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन की समस्या

†*११४०. श्री य० सि० परमार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के राजकीय परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रत्येक स्थानीय यात्रा के लिये ८ रुपये २ आने प्रति मील के हिसाब से किराया लिया जाता था, परन्तु अब सिरमल जिले के सरहन नामक स्थान पर वह भाड़ा बढ़ा कर १५ रुपये प्रति मील कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि लोग अब उपरोक्त दर से गाड़ियां किराये पर लेने में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उस के परिणामस्वरूप विकास कार्यों में बड़ी बाधा पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) माननीय सदस्य ने जिस ८ रुपये २ आने की राशि का उल्लेख किया है वह राशि प्रति मील भाड़े की नहीं है । हिमाचल प्रदेश का राजकीय परिवहन प्राधिकार सन् १९५५ से ३ मील तक की स्थानीय यात्रा के लिये ८ रुपये २ आने ले रहा है, और इस दर में जरा भी वृद्धि नहीं हुई है । तीन मील से अधिक दूरी के लिये भाड़ा हिमाचल प्रदेश सरकारी परिवहन द्वारा निर्धारित भाड़ादरों की अनुसूची के अनुसार ही लिया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मनीपुर में ढोर-गणना

†*११४१. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में ढोर-गणना के लिये १९५७-५८ में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) यह काम किन किन लोगों को सौंपा गया है; और

(ग) उन में प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २०,००० रुपये।

(ख) सब डिवीजनल अफसरों को अपने अपने सब डिवीजन के गणना अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। गणना सम्बन्धी वास्तविक कार्य को चलाने के लिये सरकारी कर्मचारियों जैसे कि स्कूलों के अध्यापकों, ग्राम सेवकों, क्षेत्र सहायकों आदि को ही गणकों तथा अधीक्षकों के रूप में नियोजित किया गया है। वे लोग अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य को भी करेंगे।

(ग) प्रत्येक गणक के लिये गणना कार्य के लिये १० रुपये का मानदेय मंजूर किया गया है।

नई दिल्ली के डाकघर में चोरी

†*११४३. **श्री तंगामणि** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ नवम्बर, १९५७ को नई दिल्ली के गोल पोस्ट आफिस से ८००० रुपयों की चोरी हो गई थी;

(ख) इस के सम्बन्ध में की गई खोज का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) सरकार डाक कर्मचारियों के अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में पुलिस तथा विभाग द्वारा जांच अभी तक जारी है।

(ग) अभी तक की गयी जांच से तो यह प्रकट होता है कि सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों में जरा भी त्रुटि नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिये बृहद् योजना*

†*११४५. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई बृहद् योजना प्रारम्भ करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां तो उस के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश की सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वह एक वृहद् योजना तैयार करे। वह योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक दी जाने वाली राशि का सम्बन्ध है, बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार के लिये ३ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

गन्ने की फसल

†*११४६. **श्री जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब की भूमि गन्ने की फसल के लिये उपयुक्त नहीं है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

*Master Plan.

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में अन्य कौन सी फसल काश्तकारों के लिये अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती है; और

(ग) गत दो वर्षों में उपरोक्त प्रान्तों में गन्ने की फसल की कितनी औसत कटाई हुई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । काश्तकार बीज बोते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि सब से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके ।

(ग)

राज्य	१९५५–५६ (प्रति एकड़ टन)	१९५६–५७ (प्रति एकड़ टन)
उत्तर प्रदेश	१०.८	११.४
बिहार	७.७	१०.१
पंजाब	१२.३	११.०

चम्बल घाटी जल विद्युत् परियोजना

†*११४८. **श्री आसर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों में चम्बल घाटी जल-विद्युत् परियोजना पर किये जाने वाले खर्च में उनके अंशों के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). इस मामले की जांच चम्बल नियंत्रण बोर्ड कर रहा है । इस सम्बन्ध में बोर्ड राजस्थान सरकार के विचारों की प्रतीक्षा कर रहा है ।

उड़ीसा में तार की लाइनें[१]

†११५१. **श्री संगण्णा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ सितम्बर, १९५७ के उड़ीसा में तार की लाइनों से सम्बन्ध रखने वाले तारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद उड़ीसा की सरकार तथा वहां की जनता ने भारत सरकार से अपनी लाइनों के ट्रांसफर के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि प्रशासनीय तथा प्रविधिक कारणों से विद्यमान स्थिति को कायम रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Telegraph Lines.

पंजाब में फल गवेषणा केन्द्र

†*११५३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पंजाब में फल गवेषणा केन्द्र विकसित करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन)**: (क) और (ख). यह प्रस्थापना है कि विभिन्न फलों के बारे में गवेषणा करने के लिये पंजाब के निम्नलिखित स्थानों पर तीन उप-केन्द्र स्थापित किये जायें :—

(१) अंगर तथा खट्टों[9] के लिये सिरसा (हिसार) में ।

(२) आड़,[10] अलचा[11], तथा खूवानी[12] के लिये कंडाघाट में ।

(३) खट्टों के लिये बहादुर गढ़ में ।

शिमशा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक वर्क्स, मैसूर[13]

†*११५४. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि १६५२ और १६५४ के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा शिमशा हाइड्रो इलैक्ट्रिक वर्क्स के विकास के लिये मैसूर सरकार को वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो मैसूर सरकार द्वारा इस राशि का कैसे उपयोग किया गया था ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) शिमशा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक वर्क्स के लिये विशेष रूप से तो कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी थी; परन्तु १६५१–५२ से १६५३–५४ तक मंजूरी प्राप्त विद्युत् परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिये मैसूर सरकार को ३ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे । शिमशा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक वर्क्स योजना भी उन योजनाओं में सम्मिलित थी ।

(ख) शिमशा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक एक्सटेंशन वर्क्स के प्रारम्भिक सर्वेक्षण पर केवल ७८,२१६ रुपये खर्च किये गये थे ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†*११५५. **श्री घोषाल** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के अन्तर्गत आने वाले लोगों की औसत आय के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल के ऐसे क्षेत्रों की औसत आय क्या है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

होटल प्रतिमान तथा दर समिति[14]

*११५८. **श्री सूपकार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होटल प्रतिमान तथा दर समिति की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[9]Citrus. [10]Peaches. [11]Plums. [12]Apricot.
[13]Shimsa Hydro-electric Work. Mysore.
[14]Hotel Standards and Rate Stucture Committee.

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : २५ ।

सुख-सुविधा सम्बन्धी निरीक्षक[15]

†*११५९. { श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री रामजी वर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे के सुख-सुविधा सम्बन्धी निरीक्षकों के स्थानों के लिये चुनाव हुए तो एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है परन्तु उन का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार परिणाम घोषित करने में शीघ्रता करेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं, क्योंकि वे स्थान ३०-११-१९५७ से समाप्त कर दिये गये हैं ।

परिवार आयोजन

†*११६१. श्री कालिका सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों से कितने प्रशिक्षणार्थियों ने बम्बई के परिवार आयोजन प्रशिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र के प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया था ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]

रेलवे बोर्ड में केन्द्रीय अनुसंधान विभाग

†*११६४. { श्री नरदेव स्नातक :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्य कर रहा है और इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विभाग के निरीक्षकों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) १२-२-५७ से इस समय इस संगठन में एक डिप्टी डाइरेक्टर और १० इंस्पेक्टर हैं ।

(ग) इंस्पेक्टरों की जगहों पर या तो ऐसे रेल कर्मचारी रखे जाते हैं जिन्हें रेल-संचालन के मुख्तलिफ पहलुओं का काफी तजुर्बा हो या इन के लिए राज्य सरकारों के पुलिस विभाग से मौजूं आदमी उधार लिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[15] Amenities Inspectors.

रेलवे यात्री सुविधायें

***११६५. श्री भ० दी० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात्रि के समय प्रथम श्रेणी में नीचे की बर्थ रिजर्व करवाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे जिसे चाहें जो सीट दे दें; और

(घ) क्या सरकार को विदित है कि सदस्यों को जब ऊपर की बर्थ लेने के लिये बाध्य किया जाता है तो उन्हें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है, चाहे उन्हों ने कुछ दिन पहिले ही क्यों न सीट रिजर्व कराई हो ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) आम तौर पर जिस तरतीब में अर्जियां मिलती हैं उसी तरतीब से निचली बर्थ दी जाती हैं लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता । जैसे जब परिवार के लोग एक साथ सफर करते हैं या जब बूढ़े या बीमार मुसाफिर सफर करते हैं, तो बाद में आयी हुई उन की अर्जियों पर कभी-कभी उन्हें निचली बर्थ दे दी जाती है ।

हल्दी

†***११६६. श्री बाली रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य फसलों, जैसे कि तिलहन, सुपारी, तम्बाकू तथा कपास सम्बन्धी समितियों के समान ही एक हल्दी सम्बन्धी समिति भी स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) क्या औद्योगिक तथा रासायनिक प्रयोजनों के लिये देश में हल्दी के उपयोग को बढ़ाने की सम्भावनाओं की खोज करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) काजू तथा मसालों, जिन में हल्दी भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में सब गवेषणा और विकास कार्यों के समन्वय तथा मार्ग प्रदर्शन के लिये केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति स्थापित की जा चुकी है ।

(ख) शीघ्र ही हल्दी की बिक्री के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जायेगा । इस समय प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग ९२ प्रतिशत देशीय उत्पादन का घरेलू कार्यों तथा बीजों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये डाक-घरों का खोला जाना

†११७१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १८ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में डाक की अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये नये डाक-घर खोलने की शर्तों को उदार बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस नयी नीति को लागू करने के फलस्वरूप भारत सरकार पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अत्याधिक कार्यदक्षता तथा मितव्ययता को कार्यान्वित करने के साथ साथ जनता को अतिरिक्त सुविधायें देने के प्रयोजन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में डाक-सम्बन्धी सुविधाओं के मल विस्तार कार्य का पर्यालोचन करने के विचार से एक समिति नियुक्त की गई है ।

(ख) और (ग). प्रस्तुत काल में ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

१९५७ में विभिन्न राज्यों में क्षय रोग आदि के उन्मूलन के लिए नकद अनुदान

†*११७२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् १९५७—५८ में केन्द्रीय सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों में क्षय-रोग, फीलपांव तथा कुष्ठ रोग आदि के उन्मूलन के लिये कोई नकद अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी राशि दी गई है और यह सहायता किस रीति से दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में कोंच रक्षित जल परियोजना[11]

†११७३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा उस के आस पास के क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिये कोंच-रक्षित जल-परियोजना नामक एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो वह परियोजना कब प्रारम्भ की जायेगी ; और

(ग) उन की कार्यान्विति पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी नहीं, परन्तु इस बारे में जांच की जायेगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Konch Reserve Water Project in Delhi.

रेलों का आन्ध्र जोन

†*११७४. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि रेलों का एक आन्ध्र ज़ोन बना दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

नदी घाटी परियोजनाओं में इस्पात और सीमेंट के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं[17]

†*११७५. **श्री झूलन सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही नदी-घाटी परियोजनाओं में इस्पात तथा सीमेंट की स्थानापन्न वस्तुओं के प्रयोग के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : हीराकुड गोष्ठी उपसमितियों की "इस्पात के प्रयोग में बचत" और "सीमेंट के स्थान पर चूने के पलस्तर तथा चूने के पोजालोन के प्रयोग" सम्बन्धी प्रतिवेदनों को, जिन में कि नदी घाटी परियोजनाओं की कार्यान्विति में इस्पात तथा सीमेंट के स्थान पर अन्य वस्तुओं के प्रयोग सम्बन्धी सुझाव भी सम्मिलत हैं, सभी राज्य सरकारों तथा नियंत्रण बोर्डों को भेज दिये गये हैं। प्राप्त सूचनाओं से यह ज्ञात होता है कि वहां पर इस्पात तथा सीमेंट के स्थान पर स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]

बस और रेल की टक्कर

†*११७६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ नवम्बर, १६५७ को पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन से ५१ मील की दूरी पर एक लेवल क्रासिंग पर एक माल गाड़ी एक बस से टकरा गई जिस से कि दो व्यक्ति मर गये और ४० से अधिक व्यक्ति घायल हो गये; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). ६ नवम्बर, १६५७ को प्रातः ८ बज कर १० मिनट पर जब कि ८३२ डाउन मालगाड़ी दुदाही तथा तमकुही रोड स्टेशनों के बीच एक खुले हुए लेवल क्रासिंग गेट से गुजर रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की बस नं० २१८४ इसके इंजन से आ टकराई। वह बस अपने यात्रियों सहित दूर जा पड़ी जिस के परिणामस्वरूप २८ व्यक्ति घायल हो गये जिन में से तीन व्यक्ति हस्पताल में दाखिल होने के उपरान्त मर गये—दो व्यक्ति तमकुही सिविल अस्पताल में, एक गोरखपुर सिविल हस्पातल में। इंजन के ड्राइवर तथा दो फायरमैनों को कुछ चोटें आई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[17]Substitutes for Steel and Cement.

मनीपुर और त्रिपुरा में कुष्ट रोग का सर्वेक्षण

†*११७७. श्री ले० अचौ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर तथा त्रिपुरा के सभी क्षेत्रों में कुष्ट रोग सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) क्या उन सभी क्षेत्रों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं जहां यह सर्वेक्षण हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) मनीपुर के केवल थौबल परियोजना क्षेत्र में कुष्ट रोग सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो गया है परन्तु अभी तक अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परिवार आयोजन प्रशिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र

†*११७८. श्री बलराम कृष्णय्या : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में यथासंभव अधिक से अधिक परिवार आयोजन प्रशिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिये कौन-कौन सा राज्य चुना गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने कितने केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : फिलहाल तो छः प्रादेशिक परिवार आयोजन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना है ।

दो प्रशिक्षण केन्द्र—एक बम्बई में और दूसरा रामनगरम् में पहले से ही काम कर रहा है ।

भारतीय केन्सर गवेषणा केन्द्र बम्बई के गर्भाविरोध परीक्षण यूनिट तथा अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता, में गर्भाविरोध सम्बन्धी गवेषणा की जा रही है । जनांकिकीय शिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र, बम्बई, में तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनामिकस के जनांकिकीय केन्द्र में जनसंख्या की समस्या के सम्बन्ध में गवेषणा की जा रही है ।

(ख) केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।

(ग) चुने हुए प्रत्येक राज्य में एक प्रशिक्षण केन्द्र ।

गाजियाबाद-तुगलकाबाद रेलवे लाइन

*११७९. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद से तुगलकाबाद तक रेलवे लाइन बनाने की व्यवस्था की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइन कितनी लम्बी होगी और इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस लाइन का अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण करने का हुक्म दिया गया है ।

(ख) तुग़लकाबाद से गाजियाबाद तक इस लाइन की लम्बाई १६.०८ मील होगी और मोटे तौर पर इसके बनाने में २.९७ करोड़ रुपये खर्च का अन्दाज़ा है जिसमें यमुना पर दूसरे पुल की लागत भी शामिल है ।

कपास

†*११८०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में राज्यवार, कितने एकड़ भूमि में कपास की काश्त की गई थी और कपास का वार्षिक उत्पादन कितना था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** कपास संबंधी १९५७-५८ के अखिल भारतीय द्वितीय प्राक्कलन के अनुसार अनुमान है कि चालू वर्ष में १६,२११ हज़ार एकड़ भूमि में कपास की काश्त की गई थी । लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्रत्येक राज्य में कपास की काश्त के क्षेत्र से संबंधित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]**

मई, १९५८ के मध्य तक ही १९५७-५८ के लिए कपास के क्षेत्र तथा उत्पादन से संबंधित अन्तिम प्राक्कलन प्राप्त हो सकेंगे ।

रेलवे साइडिंग

†*११८१. **श्री दशरथ देब :** क्या रेलवे मंत्री २४ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९ तथा ३ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५७ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा में रेलवे साइडिंग की व्यवस्था करने के संबंध में भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा यातायात तथा इंजीनियरी संबंधी संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** जी, नहीं । १८ मार्च, १९५७ को ढाका में हुए जिस भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में इस सम्बन्ध में करार तय पाया था उस सम्मेलन के टिप्पणों की अभी तक पाकिस्तान सरकार द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और इसी लिये अभी तक सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

बिजली की रेलगाड़ियां

†*११८२. { **श्री घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५७ के प्रथम सप्ताह में हावड़ा तथा सेवड़ाफुलि के बीच बिजली की रेलगाड़ियों के चलाने का परीक्षण किया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बिजली की रेलगाड़ियों तथा सामान्य रेलगाड़ियों के चलने के समय में कोई प्रर्याप्त अन्तर है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) तथा (ख). नवम्बर के प्रथम सप्ताह में हावड़ा तथा सेवड़ाफुलि के बीच बिजली की रेलगाड़ियों के चलाने का कोई परीक्षण नहीं किया गया था। तथापि १०-११-१९५७ को बेलुड़ से कोननगर के सैक्शन पर कुछ डिब्बों के साथ बिजली के इंजनों का परीक्षण प्रारम्भ किया गया था। १-१२-१९५७ से हावड़ा से सेवड़ाफुलि के सैक्शन पर बिजली के इंजनों से चलने वाली जो चार उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं उन के कारण इस समय भाप से चलने वाले इंजनों की तुलना में प्रत्येक यात्रा में ११ मिनट की बचत होती है।

रेलवे लाइनों तथा पुलों की रक्षा

†*११८३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुमारन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामवासियों की सहायता से रेलवे लाइनों तथा पुलों की सुरक्षा करने से सम्बंधित योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लोक-सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखा जायेगा जिस में योजना की क्रियान्विति तथा वित्तीय परिणामों के संबंध में ब्यौरा दिया गया हो ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). रेलवे तथा गृह-कार्य मंत्रालयों ने मिल कर एक योजना तैयार की है और इसे क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों तथा रेलवे प्रशासन को भेज दिया गया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने जिलों को हिदायतें जारी की हैं और वहां स्थानीय रेलवे प्रशासनों के परामर्श से योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस ब्यौरे का निर्णय होने पर ही वित्तीय परिणाम मालूम हो सकेंगे।

राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सहायता

*११८४. श्री भक्त दर्शन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को अनुदानों के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है अथवा करने का विचार है तथा ये अनुदान कितनी योजनाओं के लिये स्वीकृत किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : उत्तर प्रदेश सरकार को १९५७–५८ में अनुदान देने के लिये ७ लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस राज्य की प्रथम आयोजना से कोई योजनायें शेष नहीं बची हैं जल-सम्भरण और परिशोधित-शौचालयों के १८० सैटों के लिये चार नयी योजनायें परीक्षणाधीन हैं, जो ३५५ गांवों में लागू होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल तथा धान

†*११८५. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल तथा धान का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिये अनुज्ञापन प्रणाली लागू करने के संबंध में मद्रास सरकार ने केन्द्र से मंत्रणा देने के लिये कहा है;

(ख) इस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता क्या है; और

(ग) केन्द्र द्वारा क्या मंत्रणा दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). धान तथा चावल में सट्टेबाजी के व्यापार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये मद्रास सरकार ने बड़े व्यापारियों के अनुज्ञापन की एक प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में १९५५ के अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक आदेश जारी करने का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय सरकार आदेश के प्रारूप पर विचार कर रही है ।

मालगाड़ी दुर्घटना

*११८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ नवम्बर, १९५७ को एक सवारी गाड़ी एक माल गाड़ी से कलकत्ता कार्ड लाइन के आऊटर सिगनल कैबिन के पास दमदम से लगभग ४ मील की दूरी पर टकरा गयी जिस के फलस्वरूप ड्राइवर की मृत्यु हो गयी; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १२-११-१९५७ को सुबह लगभग ५ बज कर ५२ मिनट पर, जब डी० ए० वाई० ०७ अप माल गाड़ी डानकुनि और वालीघाट के बीच कलकत्ता कार्डलिंग कैबिन के बाहरी सिगनल पर खड़ी थी, तो एस—११५ अप लोकल सवारी गाड़ी उस के पिछले हिस्से से टकरा गयी । इस टक्कर की वजह से माल गाड़ी का ब्रेक-यान चूर चूर हो गया । माल गाड़ी के गार्ड को गहरी चोट आयी और बाद में वह अस्पताल में मर गया सवारी गाड़ी के ड्राइवर, एक फायर मैन और एक मुसाफिर को मामूली चोटें आयीं । ड्राइवर की हालत सुधर रही है, बाकी लोग ठीक होने पर छोड़ दिये गये ।

सरकारी रेलवे इंस्पैक्टर ने इस दुर्घटना की जांच की । हालांकि उन की आखिरी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है फिर भी आरजी तौर पर वह जिन नतीजों पर पहुंचे हैं उन से मालूम होता है कि दुर्घटना कुछ कर्मचारियों की गलती से हुई ।

परिवहन सहकारी समितियां

†*११८७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मनीपुर में अब तक कितनी परिवहन सहकारी समितियां तथा अस्तित्व योग्य इकाइयों का गठन किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितनी समितियों को मनीपुर प्रदेश में यात्री सेवाओं के लिये मोटरें चलाने की अनुज्ञायें प्रदान की गई हैं ; और

(ग) इन सहकारी समितियों की कितनी मोटरों को मनीपुर प्रदेश में माल ढोने की अनुमति दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस समय मनीपुर में तीन सहकारी समितियां कृत्यकारी हैं ।

(ख) दो ।

(ग) तीन ।

परिवार आयोजना बोर्ड

†*११८८. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार परिसीमन तथा स्वैच्छिक आयोजित पितृत्व के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता में जानकारी के प्रचुर प्रचार पर ज़ोर देने के लिये क्या परिवार आयोजन बोर्ड की शाखायें खोलने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की गई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में १९५७-५८ में आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी रकम दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत-नार्वे परियोजना

†*११८९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नार्वे परियोजना के निमंत्रण पर डेनमार्क का जो पत्तन विशेषज्ञ भारत आया हुआ है क्या उस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी पर्यटक

१६७३. श्री हेडा : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में कितने पर्यटक भारत आये ;

(ख) कितने पर्यटक केवल काश्मीर ही गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केवल काश्मीर का पर्यटन करने वाले विदेशियों में किन-किन देशों के कितने-कितने व्यक्ति थे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) ७१,७०५ विदेशी पर्यटक। इन में पाकिस्तान से आये हुए पर्यटक शामिल नहीं हैं।

(ख) केवल काश्मीर का पर्यटन करने वाले पर्यटकों की अलग संख्या उपलब्ध नहीं है। सन् १९५६ में काश्मीर जाने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या ७०२६ है और जनवरी से अगस्त, १९५७ तक वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या ३९५३ है।

(ग) मांगी गई सूचना अभी प्राप्त की जा रही है। उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

टिकट कलक्टरों के वेतन

†१६७४. **श्री विश्वनाथ प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के हरिद्वार स्टेशन पर पदावमोचक टिकट कल्क्टरों को समय पर अपना वेतन नहीं मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में विभिन्न स्टेशनों पर नियुक्त किये गये नये टिकट कलक्टरों को, उदाहरणार्थ मुरादाबाद तथा लखनऊ डिवीजन में, उन की प्रशिक्षण अवधि की वृत्तिका की राशि भी नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं। हरिद्वार स्टेशन पर पदावमोचक टिकट कलक्टरों को समय पर अपना वेतन मिल रहा है। तथापि जून, अगस्त तथा अक्तूबर, १९५७ में सम्बन्धित टिकट कलक्टरों से संनामावलि देर से प्राप्त होने के कारण नियत तिथियों पर वेतन नहीं दिये जा सके थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक-घरों के नाम में परिवर्तन

†१६७५. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में याचिका प्राप्त हुई है कि केरल राज्य में 'अयरूर दक्षिण' तथा 'अयरूर-कोज़ेनचेरी' के डाक घरों के नामों में परिवर्तन कर के इन का नाम क्रमशः 'अयरूर (थिरुवल्ला)' तथा 'न्यूज़ूर' रखा जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो यह याचिका कब प्राप्त हुई थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) २४-४-५७।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रार्थना पर पूरी तरह से विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि दोनों डाक घरों के नामों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि ये नाम एक दीर्घावधि से चले आ रहे हैं और लोग इन से परिचित हो चुके हैं और क्योंकि ये नाम काफ़ी प्रभेद करने योग्य हैं इसलिये डाक की वस्तुओं को ग़लत छांटने की भी कोई सम्भावना नहीं है। इस विषय पर एक और याचिका प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

नासिक का रेल का फाटक[१८]

†१६७६. **श्री जाधव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक रोड का रेल का फाटक पैदल चलने वालों के लिये बन्द किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब और क्यों बन्द किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस से पैदल चलने वाले हज़ारों व्यक्तियों को बहुत असुविधा हो रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि नासिक रोड नगरपालिका के प्रधान ने सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिस में पैदल चलने वालों के लिये फाटक खोलने के लिये कहा गया है ; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) १०-४-५७ को नासिक रोड के भुसावल छोर पर ऊपरी सड़क पुल खुल गया था और उस समय से रेल का फाटक बन्द है । ऐसा पैदल चलने वालों की सुरक्षा के कारण किया गया है ।

(ग) बन्द किये गये रेल के फाटक से केवल ३६० फ़ीट की दूरी पर ऊपरी सड़क पुल स्थित है इसलिये पैदल चलने वालों को कोई असुविधा नहीं हो रही है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) रेल के फाटक से थोड़ी ही दूरी पर लाइन पार करने के लिये एक सुरक्षित वैकल्पिक उपाय की व्यवस्था की गई है और इसलिये कोई अग्रेतर कार्यवाही का कारण आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

जम्मू तथा काश्मीर को वित्तीय सहायता

†१६७७. **श्री याज्ञिक :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९४७ से ३१ मार्च, १९५७ तक, वर्षवार, निम्न शीर्षों के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कुल कितनी राशि दी गई थी ;

(१) खाद्य अनुसहाय्य,

(२) अधिक अनाज उगाओ,

(३) पशु पालन,

---

†मूल अंग्रेजी में

[१८]Level Crossing Gate Nasik.

(४) कृषि फ़ार्म, और

(५) सहकारी समितियां ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

(१) **खाद्य अनुसहाय्य ।**

वर्ष	**अनुसहाय्य की राशि**
	रुपये
१९४८-४९	९८,५०,०००
१९५३-५४	१,१२,२०,८९२
१९५४-५५ . . .	१,५०,००,०००
१९५५-५६	१,२५,००,०००

(२) **अधिक अनाज उगाओ** :

वर्ष	**ऋण**	**अनुदान**
	रुपये	रुपये
१९५५-५६ . .	२१,०४,०००	
१९५६-५७ .	७,४७,००० (क)	१,००,०००(क)

(क) जानकारी अधूरी है और इसलिये ये आंकड़े अस्थायी हैं ।

(३) **पशु पालन** :

वर्ष	**अनुदान**
	रुपये
१९४८-४९	४,९००
१९४९-५०	१९,८४०
१९५०-५१	२५,५९०
१९५१-५२	६,६३३—८—०
१९५२-५३	१६,२२२—५—६
१९५३-५४	१६,७३६—१—०
१९५४-५५	६,७१६—९—०
१९५५-५६	२,१२५—०—०
१९५६-५७	६१,७९५—०—०

†मूल अंग्रेजी में

(४) कृषि फार्म :

वर्ष	ऋण रुपये	अनुदान रुपये	अनुसहाय रुपये
१६४६-५०		३,७६३	..
१६५०-५१		७,३८७	..
१६५१-५२		५,२६०	..
१६५२-५३		१८,४४०	..
१६५३-५४		..	..
१६५४-५५		२७,२१३	..
१६५५-५६	..	३०,६००	..
१६५६-५७	३६,०००	८४,६१३	१,३६,०००

(५) सहकारी समितियां :

वर्ष	ऋण रुपये	अनुसहाय रुपये
१६५६-५७	२,११,०००	६२,०००

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, दिल्ली

†१६७८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष अनुसूचित जातियों के कुछ विद्यार्थियों को दाखिल करने से इन्कार किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) द्वितीय वर्ष अर्थात् १६५६ में दाखिल किये गये . ६१

प्रथम वर्ष अर्थात् १६५७ में दाखिल किये गये १०५

जोड़ . १६६

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय वर्ष अर्थात् १९५६ में दाखिल किये गये . .	१ (अनुसूचित जाति)		उपरोक्त 'क' में से ।
	१ (अनुसूचित आदिम जाति)		
	२		
प्रथम वर्ष अर्थात् १९५७ में दाखिल किये गये ।	शून्य (अनुसूचित जाति)		
	२ (अनुसूचित आदिम जाति)		

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है । परन्तु इन जातियों में से जिन उम्मीदवारों को उपयुक्त समझा जाता है उन्हें दाखिले के समय वरीयता दी जाती है ।

(घ) जी, हां ; संस्था परिषद् द्वारा, जिस में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के उपविभागों के सभी प्रमुख थे और जिस का सभापतित्व निदेशक ने किया था, अन्य सभी प्रार्थियों के साथ साथ इन उम्मीदवारों से भी व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष भेंट की गई थी और योग्यता के क्रम के अनुसार उन की योग्यता इतनी कम थी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उन्हें दाखिल नहीं किया जा सकता था कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हैं ।

निर्धारित पाठ्य क्रमों को समझने के लिये प्रत्येक उम्मीदवार से जिस न्यूनतम स्तर की आशा की जाती है इन उम्मीदवारों का स्तर उस से कहीं कम देखा गया था ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†१६७९. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन में से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के यथोचित अर्ह उम्मीदवार को द्वितीय श्रेणी में दाखिल करने से इन्कार किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) प्रथम श्रेणी—५२

द्वितीय श्रेणी—९०

(ख) प्रथम श्रेणी—१

द्वितीय श्रेणी—शून्य

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं । भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है । संस्था में इस प्रकार के पदों के लिये सभी अधियाचनों में यह उपबन्धित है कि "अन्य बातें बराबर होने पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को वरीयता दी जायेगी । "

अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारी

†१६८०. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० से १९५६ तक तथा १९५७ में अब तक चक्रधरपुर जिले में रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

वर्ष	भर्ती किये गए अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या
१९५०	३१
१९५१	२८
१९५२	३५
१९५३	१७
१९५४	५०
१९५५	४७
१९५६	१०४
१९५७ (अब तक)	७१

विकास आयुक्तों का पांचवां सम्मेलन

†१६८१. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास आयुक्तों के पांचवें सम्मेलन की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों ने अपनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) तथा (ख). केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही एक मुद्रित पत्रिका 'मई, १९५६ में नैनीताल में हुए विकास आयुक्तों के पांचवें सम्मेलन की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही' में दर्ज है । इस पत्रिका की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में प्राप्य हैं । लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में बिहार सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त सारांश दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]

†मूल अंग्रेज़ी में

छोटी सिंचाई परियोजनायें

†१६८२. श्री प्र० गं० देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्यवार सिंचाई सम्बन्धी छोटी परियोजनाओं की सफलता की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ग़ैर-सरकारी सदस्यों की सलाह लेने की सिफ़ारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य से क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]

(ख) सभी राज्यों के विकास आयुक्तों को सितम्बर, १६५७ में ये हिदायतें जारी की गई थीं कि सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में परियोजनाओं के आयोजन में खण्ड मंत्रणा समितियों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिये। इन खण्ड मंत्रणा समितियों में सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं।

(ग) यद्यपि कुछ राज्य विकास आयुक्तों ने हिदायतों के मिलने की इत्तला दी है तथापि उड़ीसा के विकास आयुक्त से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

माल-डिब्बे

†१६८३. श्री स० म० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७ के अन्त में कितने माल डिब्बों को काम के अयोग्य घोषित किये जाने की आशा है; और

(ख) १६५५ तथा १६५६ में पहिले से कितने माल डिब्बे काम के अयोग्य घोषित किये जा चुके हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क)

(चौपहिया गाड़ियों के रूप में आंकड़े)

१-४-१६५७ से ३१-१२-१६५७	३६८६
(ख) १६५५-५६	६१२२
१६५६-५७	६२६३

दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकारमंडल

†१६८४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, १६५७ के महीनों में दिल्ली विकास प्राधिकारमंडल द्वारा इमारतें गिराने के कितने नोटिस दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : इन महीनों में दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार-मंडल द्वारा इमारतें गिराने के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की संख्या इस प्रकार है :—

मास	संख्या
१. अगस्त	१६०
२. सितम्बर	५६
३. अक्तूबर	६६
४. नवम्बर	१६२
जोड़	४८०

रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†१६८५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उत्तर रेलवे के रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने मकान निर्मित किये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : १४-४-५२ से, अर्थात् जिस तिथि से उत्तर रेलवे गठित की गई थी, ३१-३-१९५६ तक उत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों के ७७०७ मकान निर्मित किये गये थे और द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में क्रमशः १९१६ मकान निर्मित किये गये हैं। १-४-५१ से १३-४-५२ तक बनाये गये कर्मचारियों के मकानों की संख्या तुरन्त ही प्राप्य नहीं है ।

श्रम (नियोजन)

†१६८६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर की रेलवे वर्कशाप में १९५१ से १९५७ में अब तक, वर्षवार, नियोजित श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इस वर्कशाप का विस्तार करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कितने अतिरिक्त श्रमिकों को इस में नियोजित किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क)

अवधि की समाप्ति पर	संख्या
३१-१२-१९५१	१,४५४
३१-१२-१९५२	१,४८३
३१-१२-१९५३	१,६९५
३१-१२-१९५४	१,५११
३१-१२-१९५५	१,५२३
३१-१२-१९५६	१,४८६
३०-९-१९५७	१,५३५

(ख) जी, हां ।

(ग) लगभग २,००० ।

†मूल अंग्रेजी में

नंगल-ऊना रेलवे

†१६८७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम राज ;
श्री दलजीत सिंह : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल और ऊना को मिलाने वाली नई रेलवे लाइन के लिये यातायात का सर्वेक्षण हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इस में लगभग कितना और समय लगेगा; और

(ग) इस लाइन के निर्माण के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां । किन्तु अभी उत्तर रेलवे प्रशासन से इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो ८४२ मील की नई लाइनें बनाने की योजनाएं स्वीकार की हैं उन में यह लाइन नहीं सम्मिलित है ।

डीजल-रेलगाड़ियां

†१६८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला और अमृतसर के बीच डीजल रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी डीजल गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिना टिकट यात्री

†१६८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मजिस्ट्रेटों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कोई विशेष कमी हुई है; और

(ख) इंडियन रेलवेज़ ऐक्ट के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में मजिस्ट्रेटों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्मानों के रूप में कितना रुपया वसूल किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं । यद्यपि रेलवे मजिस्ट्रेट अनथक प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी उन के कार्य के परिणामस्वरूप बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में जो कमी हुई है उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले तीन वर्षों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से, जोकि मजिस्ट्रेटों के सामने पेश किये गये, जुर्मानों तथा अधिक भाड़े के रूप में वसूल की जाने वाली राशि नीचे दी जाती है :

	जुर्माने के रूप में	अधिक भाड़े के रूप में
	रुपये	रुपये
१९५४-५५ .	६२,२३३	५५,७८३
१९५५-५६	४१,१९८	४५,४३९
१९५६-५७ . . .	५५,८४२	४१,५६७

तीसरी श्रेणी की नौकरियां

†१६९०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० नवम्बर, १९५७ तक इलाहाबाद रेलवे सर्विस कमिशन द्वारा तीसरी श्रेणी की नौकरियों के लिये कितने उम्मीदवारों की इन्टरव्यु की गई थी तथा उन में से कितने लोगों को प्रतीक्षा-सूची में रखा गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : कदाचित् यह सूचना उन लोगों के बारे में मांगी गई है जोकि रेलवे सर्विस कमिशन द्वारा तीसरी श्रेणी के पदों के लिये चुने गये थे तथा जिन के नाम उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे को भेजे गये थे किन्तु जिन को ३०-११-५७ तक कोई नौकरियां नहीं दी जा सकी थीं । इसी धारणा पर नीचे लिखी सूचना दी जाती है :

उत्तर रेलवे	१२१०
पूर्वोत्तर रेलवे	२२०४

गंडक परियोजना

१६९१. { **श्री बिभूति मिश्र** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री झूलन सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गंडक परियोजना (बिहार) के बारे में, विशेषत: नेपाल सरकार से बातचीत के बारे में इस बीच क्या कुछ और प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : गंडक परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी (टेक्निकल) जांच अभी पूरी नहीं हुई है और उस पर काम चालू करने के बारे में नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है ।

"अधिक अन्न उपजाओ" योजना

†१६९२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने मद्रास सरकार को कुएं खोदने तथा कुओं की मरम्मत करने के लिये ऋण तथा सहायता के रूप में कितनी राशि दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मद्रास सरकार ने १९५७-५८ में अभी तक कुएं खोदने तथा कुओं की मरम्मत करने के लिये भारत सरकार को कोई सहायता देने के लिये नहीं कहा है। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई राशि नहीं स्वीकृत की गई है।

त्रिची में हवाई अड्डा

†१६६३. श्री इलयापेरुमाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य को त्रिची के हवाई अड्डे का इमारत बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : ६,२०,६२० रुपये।

मद्रास राज्य में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†१६६४. श्री इलयापेरुमाल: क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रोग्राम के अन्तर्गत मद्रास राज्य के दक्षिण अरकाट और त्रिची जिले में कितने खंड शुरू किये गये हैं ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : १९५६ से लेकर दक्षिण अरकाट तथा त्रिचुरापल्ली दोनों जिलों में छः छः राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले गये हैं।

इन में से प्रत्येक जिले में पहले से जो दो दो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड थे उन को सामुदायिक विकास खंडों में बदल दिया गया है।

खंड विकास अधिकारी[1]

†१६६५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हासदा :

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंड विकास अधिकारियों को भर्ती करने की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन में से अधिकांश राजस्व विभाग से लिये जाते हैं ;

(ग) सरकार के अन्य विभागों से खंड विकास अधिकारी लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या योग्य तथा होनहार नवयुवकों को जोकि किसी भी सरकारी विभाग में काम कर रहे हों अन्य लोगों के मुकाबले में कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) खंड विकास अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारें करती हैं। सामान्यतया राजस्व (सामान्य प्रशासन को मिला कर) कृषि तथा सहकारिता विभागों मे खंड विकास अधिकारियों का संवरण किया जाता है।

(ख) यह ठीक है कि खंड विकास अधिकारियों की पर्याप्त संख्या राजस्व (सामान्य प्रशासन सहित) विभाग से ली गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Block Development Officers.

(ग) अन्य विभागों से योग्य व्यक्तियों के लेने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन की भी नियुक्तियां हो रही हैं। राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में पहले ही निदेश दिये जा चुके हैं कि वे अन्य विभागों के योग्य लोगों को भी रखने का ध्यान रखें।

(घ) सामान्यतया जिन लोगों को देहातों के जीवन का अनुभव होता है तथा जिन को कृषि तथा ग्रामीण जीवन सम्बन्धी विषयों का ज्ञान होता है उन को खंड विकास अधिकारियों की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी विभाग के किसी भी युवा तथा योग्य व्यक्ति के लिये इस पद के लिये नियुक्ति के लिये किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

दिल्ली में राजा पार्क में बस्ती

†१६६६. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राजा पार्क में बस्ती बसाने के लिये वहां की भूमि को बेच दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितनी भूमि है;

(ग) यह भूमि किस के पास बेची गई है;

(घ) यह किस की भूमि थी;

(ङ) क्या यह भूमि दिल्ली सुधार न्यास नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत आती है; और

(च) यदि हां, तो यह योजना कब लागू की गई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सरकार को दिल्ली में राजा पार्क के नाम से विख्यात किसी भूमि का ज्ञान नहीं है। किन्तु यदि नजफ़गढ़ रोड पर स्थित अशोका कालोनी के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित हो, जोकि राजा गार्डन कालोनी के नाम से भी विख्यात है, तो तत्सम्बन्धी सूचना नीचे दी जाती है :—

(क) इस बस्ती में कालोनाइजर्स ने प्राईवेट व्यक्तियों को प्लाट बेचे हैं।

(ख) दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकारी को दिये गये प्लानों के अनुसार इस कालोनी का कुल क्षेत्रफल १८.३३ एकड़ है।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि यह भूमि किन व्यक्तियों को बेची गई तथा किस मूल्य पर बेची गई।

(घ) यह भूमि माडर्न हाउसिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी की है।

(ङ) तथा (च). यह भूमि दिल्ली सुधार न्यास की बैसादरपुर नरायना नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत आती है जोकि २५ मई, १९५३ को स्वीकार की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईरान में सामुदायिक परियोजनाएं

†१६६७. श्री विभूति मिश्र : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने ईरान में सामुदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी परीक्षणात्मक परियोजनायें चालू करने के लिये वहां की सरकार की प्रार्थना पर हाल ही में भारत के सामुदायिक परियोजना प्रशासन के सचिव को वहां पर भेजा है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : जी हां । ईरान सरकार के निमंत्रण पर भारत के सामुदायिक परियोजना प्रशासन के सचिव अक्तूबर, १९५५ में ईरान गये थे और उन्होंने ईरान सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है कि ईरान में किन आधारों पर तथा किस तरह से सामुदायिक विकास का कार्य किया जाना चाहिये ।

देहरादून वन गवेषणा संस्था

†१६६८. श्री नारायणस्वामी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून की वन गवेषणा संस्था में बुरादे तथा सामान्य कृषि शेष (कामन एग्रीकल्चरल वेस्ट) से तख्ते बनते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन तख्तों का किन कार्यों में प्रयोग होता है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) यह तख्ते पार्टिशनों, छतों, फरनीचर उद्योग तथा रेलवे डिब्बों में इस्तेमाल किये जा सकते हैं। किन्तु अभी तक केवल बांस के बने हुए तख्तों का ही औद्योगिक उत्पादन के लिये प्रयोग किया गया है ।

हावड़ा गुड्स शेड मार्क्समेन[20]

†१६६९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा गुड्स शेड के मार्क्समेनों को सीधे रेलवे प्रशासन के अधीन करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इसी तरह के अन्य कर्मचारी सीधे रेलवे प्रशासन के अधीन हैं ; और

(ग) हावड़ा गुड्स शेड के मार्क्समेनों में ठेके के पद्धति को क्यों जारी रखा गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उन को रेलवे प्रशासन के अधीन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) हावड़ा में यह कार्य हमेशा ठेकेदारों की मार्फत कराया जाता रहा है और जैसाकि (क) भाग में कहा गया है अब विभाग द्वारा ही कार्य कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[20]Howrah Good Shed Marksmen.

गाड़ियों का लूटना

†१७००. श्री वोडयार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ और १९५६-५७ में राजनीतिक कारणों तथा चोरियों के कारण गाड़ियों को कितनी बार तबाह करने की कोशिश की गई है;

(ख) इन के कारण कितने लोग मरे हैं तथा कितनी आर्थिक हानि हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क)

(१) गाड़ियों को तबाह करने की ऐसी वारदातों की कुल संख्या जिनमें के कारणों का पता लगाया जा सका है :

कारण	१९५५-५६	१९५६-५७
(क) राजनीतिक . . .	६	१
(ख) चोरी के उद्देश्य से . .	कोई नहीं	कोई नहीं
(२) ऐसी वारदातें जिनमें कि किसी कारण का पता नहीं लगाया जा सका है	१०	११

(ख) (१) १९५५–५६ की ६ तथा १९५६–५७ की एक वारदातों में, जिनका कारण राजनीतिक था, जन तथा धन की कोई हानि नहीं हुई है।

(२) २१ मामलों में, जिनके कि कारणों का कोई पता नहीं चल सका, जन तथा धन की हानि का विवरण इस प्रकार है :

मृत्यु	१
रुपये की हानि	६६,००० रुपये की रेलवे सम्पत्ति ।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाएं

†१७०१. { श्री य० सिं० परमार :
श्री पद्म देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग ने अनेक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध मुकद्दमें दायर किये हैं;

(ख) १९५६–५७ की अवधि में हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग ने सहकारी संस्थाओं के कितने सदस्यों के विरुद्ध वाद चलाये हैं; और

(ग) इनमें से कितने मामलों में अभियुक्तों को दोषी सिद्ध ठहराया गया तथा कितने मामलों में उनको रिहाई दे दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग ने सहकारी संस्थाओं के केवल चार सदस्यों के विरुद्ध मामले चलाये थे।

(ख) १९५४ में— कोई नहीं
१९५५ में— एक
१९५६ में— तीन
१९५७ में— कोई नहीं।

(ग) एक मामले में अभियुक्त को रिहा कर दिया गया है। शेष तीन मामले अभी चल रहे हैं।

मनीपुर में भूमि का अर्जन

†१७०२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लवांभसंगबाम गांव के निवासियों ने उनकी चरागाहों की भूमि के गोदाम बनाने के हेतु लिये जाने के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि चरागाहों की भूमि को इस प्रकार लेने पर न्यायालय ने उसे खाली करवा लिया था;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि ये क्षेत्र पिछले ५० वर्षों से कई गांवों के लिये पशु चराने के लिये छोड़े गये हैं और पिछले विश्व युद्ध के बाद से इन ग्रामों के वासियों को इस बारे में कई बार परेशान किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

रेलवे यात्री सुविधाएं

†१७०३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जलिंग रेलवे में गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के डिब्बों में शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसकी व्यवस्था के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]

(ग) जी नहीं; कारण (ख) भाग के उत्तर में दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन

†१७०४. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुल कितने एकड़ भूमि में पटसन की खेती होती है; और

(ख) इस समय त्रिपुरा में पटसन की उपज के लिये उपजाऊ भूमि की कितने प्रतिशत भूमि है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १८,८०० एकड़ ।

(ख) ४.६० प्रतिशत ।

चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारियों का चुनाव

†१७०५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उम्मीदवारों ने चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में नौकरी के लिये बीकानेर डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को प्रार्थना–पत्र भेजे;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त आवेदन-पत्रों के देने वालों में से लगभग २५०० उम्मीदवारों का चुनाव हो गया था, किन्तु वर्तमान डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेट ने उनमें से केवल ११०० उम्मीदवारों को ही योग्य समझा और वह शेष रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नये आवेदन पत्र मांगने का विचार कर रहे हैं; और

(ग) पुनः चुनाव करने के लिये नये सिरे से आवेदन–पत्र मांगने के क्या कारण हैं, जबकि पहले के चुनाव किये हुए १४०० उम्मीदवार अभी शेष हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १८,५८९ ।

(ख) जी नहीं। सिर्फ ११०० उम्मीदवारों की एक नामिका (Panel) बनायी गयी थी।

(ग) कोई नयी अर्जियां नहीं मांगी गयी हैं।

चीरा

†१७०६. श्री लें० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में राज्य व्यापार कार्यालय द्वारा मनीपुर से कितने मन "चीरा" अर्थात् कुटे चावल, का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या बिना किसी प्रतिबंध के निर्यात के लिये चीरा बनाने की अनुमति दी गई है;

(ग) निर्यात के लिये प्रशासन ने इसकी कितनी मात्रा अर्जित की है तथा खरीदी है और अभी कितनी और खरीदना चाहता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह मात्रा प्राइवेट व्यापारियों से खरीदी गई है अथवा मूल उत्पादकों से ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) १३५० मन।

(ख) चीरा बनाने के लिये कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती हैं किन्तु मनीपुर खाद्यान्न (लाना ले जाना) नियंत्रण आदेश, १९५६ के अन्तर्गत चावल, धान तथा अन्य खाद्यान्न वस्तुओं का जिसमें चीरा भी सम्मिलित है, बिना अनुज्ञा के निर्यात नहीं किया जा सकता है।

(ग) ५३९२ मन। और कितनी मात्रा खरीदी जायेगी यह अभी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर रहती है जैसे कितनी तथा किस किस्म की मात्रा उपलब्ध होती है, चीरा के निर्यात का स्थानीय खाद्यान्नों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि।

(घ) सभी लोगों से जिनके पास कि चीरा का स्टाक था और जो लोग मनीपुर के राज्य व्यापार अधिकारियों को उसे बेचने को तैयार थे।

चीनी के कारखाने

†**१७०७. श्री जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी भारत में कितने चीनी के कारखाने हैं;

(ख) इनमें से कितने कारखाने आर्थिक स्थितियों के कारण घाटे में चल रहे हैं तथा कितनों ने काम बंद कर दिया है ;

(ग) क्या सरकार उनके विषय में कोई कार्यवाही करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (ख) १२३। इनमें से ऐसे ९ कारखाने भी शामिल हैं जो कि अनेक कारणों से, जैसे मालिकों के आपसी झगड़ों, कारखाने के खर्चीले साइज आदि के कारण, बंद पड़े हैं।

(ख) से (घ). चालू कारखानों के लाभ तथा हानि के १९५५–५६ तक के मौसम के लेखे प्राप्त हैं। इनमें से ८ कारखानों ने लगातार कई वर्षों से हानि दिखाई है, इसका कारण मुख्यतया यह बताया गया है कि उनके क्षेत्रों में गन्ने का पर्याप्त सम्भरण नहीं होता रहा है। किन्तु इनमें से एक को छोड़कर (राजस्थान में बिजयनगर का कारखाना) शेष किसी कारखाने ने काम करना बन्द नहीं किया है। अब राज्य सरकारों द्वारा इन कारखानों के क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन की विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप इन कारखानों की स्थिति सुधर रही है। बिजयनगर का कारखाना भी इस मौसम में फिर से काम करने का विचार कर रहा है।

लगेज गार्ड

†**१७०८. श्री जाधव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) लगेज गार्डों के स्थान कब समाप्त किये गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन गार्डों के क्या कर्तव्य थे;

(ग) ब्रेकमनों की श्रेणी कब शुरू की गई;

(घ) ब्रेकमेनों के क्या कर्तव्य हैं;

(ङ) ब्रेकमेनों को किस सेवा श्रेणी में रखा गया है ;

(च) क्या ब्रेकमेनों ने रेलवे बोर्ड को किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन भेजा है; और

(छ) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १ जनवरी, १९४९ से ।

(ख) उनके मुख्य कर्तव्य ये थे :

(१) पार्सलों को ठीक रूप से लदवाना तथा उतरवाना ;

(२) ब्रेक के डिब्बे में बुक किये गये पशुओं तथा पक्षियों की देखभाल करना ।

(ग) ब्रेकमेनों की सेवा श्रेणी पहली भी थी किन्तु इसके निश्चित कर्तव्य १–१–१९४९ से निर्धारित किये गये हैं ।

(घ) पार्सलों तथा सामान की देखभाल करना, रेलवे डाक का बांटना तथा गार्डों की अन्यथा सहायता करना ।

(ङ) तीसरी श्रेणी में ।

(च) जी हां ।

(छ) उनकी मुख्य मांगें ये हैं : ।

(१) कि यात्रा भत्ते में वृद्धि की जाये; और

(२) उन्हें 'सी' ग्रेड के गार्डों वाले ८०–१७० रुपये वाले वेतन क्रम में रखा जाये ।

नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

†**१७०९. श्री जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में बम्बई राज्य में रोरेगाओं और सतारा के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) सरकार इस लाइन का निर्माण कब आरम्भ करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५८ में ।

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में बनाई जाने वाली ८४२ मील लम्बी लाइन में यह शामिल नहीं है । अतः निकट भविष्य में इसके निर्माण की सम्भावना बहुत कम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भर्ती

१७१०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में गत वर्ष भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों की पूर्त्ति विधिवत् नहीं की गयी; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने नये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और उनमें अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). ३०० रुपये माहवार से कम की तीसरे दर्जे की नौकरियों की हर एक कोटि में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए डिवीजन के आधार पर और ३०० रुपये माहवार या उससे ऊपर की नौकरियों की हर कोटि में पूरी रेलवे के आधार पर जगहें आरक्षित की जाती हैं। चौथे दर्जे की नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए डिवीजन के आधार पर जगहें आरक्षित की जाती हैं। पिछले साल बीकानेर डिवीजन में जो भर्ती हुई उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	तीसरा दर्जा	चौथा दर्जा
कुल कितने लोग नियुक्त किये गये	२७६	८६०
इनमें अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे	६	२४६

बर्तनों की चोरी

†१७११. { श्री हल्दर :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा स्टेशन के केटरिंग गोदाम में से १५,००० रुपये के बर्तन बड़े अजीब तरीके से चोरी हो गये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) (१) रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस इस चोरी की जांच कर रहे हैं।

(२) तथ्यों का पता लगाने के लिये एक विभागीय समिति नियुक्त की गई है।

(३) यह प्रबन्ध किया गया है कि सुरक्षा कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।

(४) नदी की ओर की गोदाम की दीवार को और मजबूत बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अकाउंट्स विभाग में प्रथम श्रेणी के पद

१७१२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे के अकाऊंट्स विभाग में प्रथम श्रेणी के पदों की संख्या बढ़ा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ये नये पद किस आधार पर भरे जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) पहले दर्जे की सब गज़टेड जगहें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा या उसकी सलाह से भरी जाती हैं।

राजस्थान में तार घर

†**१७१३. श्री कर्णी सिंहजी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के डिवीजन वार नाम क्या हैं जहां १९५७–५८ में तार घर खोले जाने हैं; और

(ख) राजस्थान में कितने तहसील मुख्यालयों में अभी तार घर नहीं हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]

डाक घर खोलना

†**१७१४. श्री इलयापेरुमाल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में जिला दक्षिण आरकोट, तालुक चिदाम्बरम, गांव कंजनकुलई में ब्रांच डाक घर खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) कंजनकुलई गांव में पहले ही ब्रांच डाक घर है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्रियों और सामान से आय

†१७१५. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५७ तक रेलवे को यात्रियों और सामान से अलग अलग कितनी आय हुई थी और १९५६ की इसी अवधि में यह आय कितनी–कितनी थी?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :

(करोड़ों में आंकड़े)

	१-४-५७ से ३०-९-५७	१-४-५६ से ३०-९-५६
(१) यात्रियों से हुई आय	६१	५९
(२) माल से हुई आय	१०७	९५

सवारी-डिब्बे

†१७१६. श्रीमती मंजुला देवी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि आसाम में पूर्वोत्तर रेलवे के जितने सवारी डिब्बे चल रहे हैं वे सब बेकार हो चुके हैं; और

(ख) क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार कर रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रहे पुराने सवारी डिब्बे इस काबिल हैं कि उनमें सफर किया जा सके।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कालूपाड़ा घाट स्टेशन पर चाय की दूकान

†१७१७. डा० सामन्तसिंहार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के कालूपाड़ा घाट स्टेशन की चाय की दूकान कब से बन्द हुई है ;

(ख) उसके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों ने जो निम्नतम मूल्य निश्चित किया है वह अपेक्षाकृत ज्यादा है;

(घ) क्या इस बात को देखते हुए कि इसके बन्द हो जाने से जनता को कठिनाई हो रही है क्या सरकार निम्नतम मूल्य कम करने का विचार कर रही है; और

(ङ) जनता के लिये इस दुकान को कब तक खोलने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल

†१७१८. सरदर इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) १९५७ में महीना वार विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में चावल आवंटित किया गया;

(ख) क्या आवंटित किया गया सारा चावल राज्यों ने ले लिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो कितना चावल नहीं लिया और इसके क्या कारण थे ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) से (ग). खाद्यान्न का आवंटन आजकल वैसे नहीं होता जैसे कि नियंत्रण के दिनों होता था। इसका संभरण उचित मूल्य वाली दूकानों के द्वारा प्रत्यक्षतः केन्द्रीय डिपों और जहां केन्द्रीय डिपों नहीं होते वहां राज्य सरकार करती है। जनवरी से नवम्बर, १९५७ तक प्रत्येक मास जितने चावल का संभरण किया गया वह नीचे दिया जाता है :—

मास	(००० टनों में) मात्रा
जनवरी	५८·४
फरवरी	२६·०
मार्च	४६·०
अप्रैल	५४·०
मई	६२·०
जून	७३·०
जुलाई	७७·२
अगस्त	८३·५
सितम्बर	८३·४
अक्तूबर	६२·२
नवम्बर	६२·४
कुल	६९५·२

हिमाचल प्रदेश में फल

†१७१९. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत फल पैदा होता है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष अनुमानतः फल की पैदावार कितनी होती है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि परिवहन की कठिनाइयों और विपणन की सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत से फल वहीं नष्ट हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) एक लाख मन।

(ग) सेब और "चैरी" की पैदावार केवल कोटगढ़ में ही होती है और लगभग सारी पैदावार बाजार में पहुंच जाती है और कोई अपव्यय नहीं होता। परन्तु दूर स्थित स्थानों में पैदा होने वाले फल परिवहन की कठिनाइयों के कारण, विशेषकर वर्षा ऋतु में, बाजार तक नहीं पहुंच पाते।

(घ) परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास कार्यक्रम काफी पूरा हो चुका है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस विकास कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है।

तीन फल परिरक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

पंजाब में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†१७२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक पंजाब राज्य में, जिलावार, कितने क्षेत्र और कितनी जनसंख्या में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं का विस्तार हुआ;

(ख) उक्त अवधि में उन पर केन्द्रीय सरकार ने कितना खर्च किया था; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक कितना क्षेत्र और कितनी जनसंख्या इसके अन्तर्गत आ जायेगी?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है : [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५]

(ख) सहायक अनुदान	१८३·६ लाख रुपये
ऋण	१७६·० लाख रुपये

(ग) वर्तमान योजनाओं के अनुसार कुल राज्य।

जगाधरी रेलवे वर्कशाप

†१७२१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री २५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जगाधरी में सवारी और माल-डिब्बे बनाने वाले कारखाने में कब काम शुरू होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : विस्तृत प्राक्कलन और योजना तैयार हो रही है।

विश्राम गृह[21]

†१७२२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्कल के रेलवे डाक कर्मचारियों के लिये पंजाब में कितने विश्राम गृह हैं ; और

(ख) वह कहां-कहां स्थित हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी जाती है:

पंजाब सर्कल में कुल १९ रेलवे डाक सेवा विश्राम गृह हैं। ये निम्नलिखित स्थानों पर हैं:—

१. अमृतसर
२. जालन्धर शहर
३. होशियारपुर
४. लोहियां
५. जैजों द्वाबा
६. पठानकोट
७. पपरोला
८. डेरा बाबा नानक
९. खेमकरण
१०. रोपड़
११. नंगल टाउनशिप
१२. कालका
१३. शिमला
१४. भटिंडा
१५. फीरोजपुर
१६. जाखल
१७. हिन्दूमालकोट
१८. फाजिलका
१९. रोहतक

रेल के फाटक[22]

†१७२३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में कोई ऐसे रेल के फाटक हैं जहां २४ घंटे ड्यूटी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वे कितने हैं; और

(ग) क्या ऐसे फाटकों पर नियुक्त व्यक्तियों की ड्यूटी को घटा कर बारह घंटे करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां, परन्तु ऐसे रेल के फाटकों पर असल काम २४ घंटे में से कुल छः घंटे ही होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[21]Rest Houses.

[22]Level Crossings.

(ख) लगभग १,३८६ ।

(ग) जी नहीं । उत्तर के भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे लेखा कर्मचारी

†१७२४. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलवेज के लेखा विभागों में कितने बी० ए० और एम० ए० पास व्यक्ति ६०–१३० रुपये के वेतन क्रम में लोयर डवीजन क्लर्कों के तौर पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) वे कितनी–कितनी देर से नौकरी में हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १२८७ ।

(ख) एक वर्ष से ३३ वर्ष तक ।

श्रम विधियों का प्रशिक्षण

१७२५. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई कालेज हैं, जहां रेलवे के कर्मचारीवर्ग पदाधिकारियों और कल्याण निरीक्षकों को श्रम विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता हो;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) इस प्रशिक्षण की अवधि क्या है ;

(घ) क्या इस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में रेलवे सम्बन्धी समस्याओं को विशेष रूप से रखा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ). कोई ऐसा कालेज या ट्रेनिंग संस्था नहीं है जहां रेलवे अफसरों को सिर्फ श्रमिक कानून की ट्रेनिंग दी जाती हो। लेकिन कुछ समाज विज्ञान की संस्थाएं हैं जिनमें औद्योगिक सम्बन्धों और श्रमिक-हित की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह की तीन शिक्षा-संस्थाओं में रेलवे के कुछ कर्मिक अफसरों और हित निरीक्षकों को ३ से ४ महीने तक की ट्रेनिंग दिलायी जा रही है। इनके नाम इस प्रकार हैं :—

१. आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ सोशल वैलफेअर एण्ड बिजिनेस मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी आफ़ कलकत्ता, कलकत्ता ।

२. जे० के० इन्स्टीट्यूट आफ सोशियोलाजी एण्ड ह्यूमन रिलेशन्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ ।

३. टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, बम्बई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो लोग हित निरीक्षक का काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क में ट्रेनिंग देने का एक प्रयोग भी किया गया है, जिसका पाठ्यक्रम ३ महीने का है । इन लोगों को रेलवे समस्याओं के बारे में ट्रेनिंग देने का काम उन रेल-अफसरों को सौंपा गया था जिन्हें अपने विषयों का अनुभव हो। इस प्रयोग के फलस्वरूप यह विचार किया गया कि समाज विज्ञान की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में आम तौर पर जो पाठ्यक्रम रखा जाता है, उसके आधार पर एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाय जो रेल कर्मचारियों के लिए अधिक उपयुक्त हो। अभी इसके बारे में आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

यात्री सुविधायें

†१७२६. श्री याज्ञिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम रेलवे पर यात्रियों के बूट पालिश करने के लिये अभिकर्ताओं को लड़के नियुक्त करने के लाइसेंस दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये अभिकर्ता इन लड़कों को बड़ी अनुचित शर्तों पर नौकर रखते हैं और यहां तक कि उनकी अधिकतर आय से उनको वंचित रखते हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात के लिये कोई कार्यवाही कर रही है कि स्वयं इन लड़कों को ही, पोर्टरों की तरह, लाइसेंस दिये जायें जिससे वे पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर अपना काम कर सकें ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) हाल ही में इस मामले की जांच की गई थी और रेलवे विभागों को हिदायतें दी गई थीं :

(१) कि स्टेशनों पर जूते पालिश करने के लाइसेंस चमड़ा कमाने और जूते आदि चमड़े का सामान बनाने के उद्योगों की सहकारी संस्थाओं को ही दिये जायें;

(२) कि एक लाइसेंस एक जिले से अधिक का न हो।

(३) कि जब नये लाइसेंस जारी किये जायें अथवा पुराने लाइसेंसों का नवीकरण किया जाये तो इस नीति का अनुसरण किया जाये।

कीरतपुर में छोटा डाक घर[११]

†१७२७. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कीरतपुर, जिला होशियारपुर के लोगों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि वहां एक छोटा डाक घर खोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[११]Sub-post Offic

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां। कीरतपुर में अतिरिक्त विभागीय ब्रांच कार्यालय को विभागीय छोटे कार्यालय में परिवर्तित करने के लिये।

(ख) विभागीय प्रमापों को देखते हुए ऐसा करना उचित नहीं समझा गया है परन्तु यह निश्चय किया गया है कि एक उपयुक्त व्यक्ति के मिलने पर जो अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टर का काम कर सके इसे अतिरिक्त विभागीय उप कार्यालय बना दिया जायेगा।

अमृतसर रेलवे वर्कशाप

†१७२८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर रेलवे वर्कशाप में इस समय कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों के लोग किन वर्गों में काम कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) १९१७।

(ख) १८६

(ग) श्रेणी ३.....१२

श्रेणी ४.....१७४

इन्दौर दिल्ली रेल सम्पर्क

†१७२९. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से इन्दौर तक एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने का था; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को अभी तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) दोनों स्थानों में रेलवे सम्पर्क पहले से मौजूद हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेलीग्राफ सिगनलर

†१७३०. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे विभागों में काम करने वाले टेलीग्राफ सिगनलरों में से ४५ प्रतिशत को उपयुक्त ग्रेडों में रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे में सिगनलरों को उपयुक्त-ग्रेड में न रखने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे समेत सभी रेलों में हिदायतों के अनुसार टेलीग्राफ सिगनलरों को उपयुक्त-ग्रेडों में रखा जा रहा है।

पंजाब में परिवार आयोजन केन्द्र

†१७३१. **श्री दलजीत सिंह**: क्या स्वास्थ्य मंत्री १४ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में पंजाब राज्य में परिवार आयोजन के कितने केन्द्र खोले गये थे; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी राशि दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) १९५६-५७ में पंजाब में कोई नया परिवार आयोजन केन्द्र नहीं खोला गया।

(ख) पंजाब राज्य में परिवार आयोजन के कार्यक्रम को जिसका व्योरा नीचे दिया जाता है, व्यावहारिक रूप देने के लिये १-४-५६ से लेकर १,३८,२९५ रुपये के सहायक अनुदान दिये गये हैं :—

(१)	पंजाब सरकार	६५,७८२ रुपये	पांच नगरीय और आठ ग्राम्य परिवार आयोजन क्लिनिक खोलने और राज्य परिवार आयोजन पदाधिकारी का खर्च करने के लिये।
(२)	फिलाडलफिया हस्पताल, अम्बाला, शहर	५,५००	एक ग्राम्य परिवार आयोजन केन्द्र खोलने के लिये।
(३)	परिवार आयोजन सन्था पंजाब, शिमला	५१,२७७ रुपये	पांच नगरीय और पांच ग्राम्य परिवार आयोजन केन्द्र खोलने के लिये।
(४)	परिवार आयोजन सन्था, चंडीगढ़	२,७३६ रुपये	एक परिवार आयोजन क्लिनिक चलाने के लिये।
(५)	शिशु कल्याण संस्था, नंगल टाउनशिप	१३,००० रुपये	एक नगरीय परिवार आयोजन खोलने के लिये।
	कुल	१,३८,२९५ रुपये	

औंगोल स्टेशन का नवनिर्माण

†१७३२. **श्री ब० स० मूर्ति**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औंगोल (आंध्र प्रदेश) के रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण का काम शुरू कर दिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नवनिर्माण के लिये कितना समय निश्चित किया गया है ; और

(ग) उसके लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां।

(ख) ९५ प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। शेष काम १९५८ की समाप्ति तक पूरा हो जायेगा।

(ग) १२.१२ लाख रुपये।

रेलवे सेवा आयोग, मद्रास

†१७३३. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग मद्रास का कोई सदस्य शीघ्र ही सेवा निवृत्त होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो सभा में पहले दिये गये एक आश्वासन के अनुसार वहां एक हरिजन सदस्य नियुक्त किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगन प्रस्ताव

नई उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन समारोह पर आने वाले लोगों के लिए उचित प्रबंध करने में रेलवे प्रशासन की अभिकथित असफलता के कारण पैदा होने वाली स्थिति।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री ही० ना० मुकर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री इलियास की ओर से निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है :

"कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन पर नई उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन समारोह पर प्रधान मंत्री नेहरू को देखने के लिये उत्सुकता से आये लोगों की भीड़ को संभालने और उनका नियंत्रण करने के लिये उचित तथा पर्याप्त प्रबन्ध करने में रेलवे प्रशासन की असफलता के कारण पैदा होने वाली दुखद स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु और बहुत से लोगों का घायल होना।"

क्या माननीय मंत्री समाचार पत्रों में उल्लिखित समाचार के अतिरिक्त कुछ कहना चाहते हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : हमें इस प्रस्ताव की सूचना आज प्रातः दस बजे मिली थी और हमने कलकत्ता फोन किया था। परन्तु लाइन खराब होने के कारण हमें जानकारी नहीं मिली।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य): मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाय। समाचारपत्रों में बहुत दुखद समाचार प्रकाशित हुए हैं। कलकत्ता के 'अमृत बाज़ार पत्रिका' पत्र ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि लोगों की भीड़ घेरा तोड़ कर गाड़ी पर चढ़ गई और जिस के दरवाज़े अन्दर से बन्द थे। उन बेचारों को यह भी पता नहीं था कि इस गाड़ी की गति कितनी तेज़ हो जाती है। ऐसे समारोह पर इस प्रकार की दुर्घटना बहुत गम्भीर बात है। रेलवे प्रशासन ऐसे लोगों की रक्षा नहीं कर सका जो प्रधान मंत्री के दर्शन हेतु वहां आये थे।

यह दुर्घटना शनिवार को हुई थी और आज सोमवार है। इस बीच में सभा को संतोष दिलाने के लिये रेलवे मंत्री को तथ्य एकत्र कर लेने चाहिये थे।

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): मेरा निवेदन है कि यह स्थगन प्रस्ताव नियम विरुद्ध है। हताहतों के सम्बन्ध में तो हम सब को ही दुख है। परन्तु यदि कोई घटना सामान्य कारणों से हो जाती है तो वह स्थगन प्रस्ताव का विषय कैसे बन सकती है। यदि उस दुर्घटना का सम्बन्ध विधि तथा व्यवस्था से है तो केन्द्रीय सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। ठीक तथ्य क्या हैं इसके बारे में किसी को निश्चित जानकारी नहीं है। जो कुछ कहा जा रहा है वह समाचारपत्रों पर आधारित है। अतः जिस पहलू से भी इसे देखें यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को जानकारी कब तक मिलेगी ?

†श्री शाहनवाज़ खां: तार की लाइन खराब होने के कारण हमें कठिनाई हो रही है। आशा है कि दो या तीन दिन में हमें जानकारी मिल जायेगी।

†अध्यक्ष महोदय: यह विषय परसों तक स्थगित रहेगा। परसों माननीय मंत्री तथ्यों के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

†श्री मोहम्मद इलियास (हावड़ा) अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि किसी ने भी स्वयं नहीं देखा कि वहां क्या हुआ है। मैं समारोह पर उपस्थित था। वहां लोगों के बचाव की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई। बहुत से डिब्बे खाली थे और उन में अफसरों ने लोगों को घुसने नहीं दिया जिस कारण वे बाहर हैंडल से लटके रहे। इस घटना में बहुत से लोग जख्मी हुए थे। पता नहीं उन में से कितने मर गये हैं।

†अध्यक्ष महोदय: मैं ने इस विषय को स्थगित कर दिया है।

राज्य-सभा से सन्देश

†सचिव: मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक सभा द्वारा ६ दिसम्बर १९५७ को पारित भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९५७ को राज्य सभा ने अपनी १३ दिसम्बर १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†श्री पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम) मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक*

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक *

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री नौशीर भरुचा (पूर्व खानदेश) : जहां कहीं राज्य के हिस्से में परिवर्तन अथवा पुर्नवितरण हो वहां अनुच्छेद २७४ के अधीन भी राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, परन्तु इस विधेयक में केवल अनुच्छेद ११७ के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश का उल्लेख है । अतः माननीय मंत्री इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं कर सकते ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह अनुमति ली जा सकती है परन्तु अनुच्छेद २७४ में यह लिखा है :

> "कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उसको आरोपित या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित "कृषि-आय" पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता है अथवा जो उन सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिनसे कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता है जैसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में वर्णित है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद् के किसी सदन में न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा ।

माननीय सदस्य इस विधेयक की इस विशेष बात पर जो उस में दी गई है अर्थात् "इस अध्याय के उपरोक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन धनराशियां राज्यों में वितरित की जाती हैं या की जा सकती हैं" पर तो विश्वास करेंगे । वस्तुतः वितरण तो इन उपबन्धों के अधीन किया जा चुका है । मैं समझता हूं कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया । अध्यक्ष महोदय इस बारे में निर्णय दें ।

---

*भारत सरकार के असाधारण गज़ट भाग २, अनुभाग २, दिनांक १६-१२-५७ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरुचा** : दिसम्बर १९५७ की अनुदानों की अनुपूरक मांगों म यह स्पष्ट कहा गया है कि पहले ४० प्रतिशत के आधार पर वितरण होता था और अब २५ प्रतिशत के आधार पर वितरण होगा। अतः वितरण में परिवर्तन हो जाता है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : केवल सिद्धान्त का प्रश्न है। राशि की मात्रा तो वही रहेगी परिवर्तन केवल सिद्धान्त में है। यदि और वस्तुएं जोड़ दी जायें तो क्या यह सिद्धान्त के उल्लंघन का प्रश्न होगा ?

†**श्री नौशीर भरुचा** : अनुच्छेद के शब्द ये हैं "कोई विधेयक या संशोधन . . . . . जो कर या शुल्क को आरोपित या परिवर्तित करता है" यहां राशि या दर किसी में भी परिवर्तन का प्रश्न पैदा होता है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य ने अनुच्छेद को गलत पढ़ा है। यहां किसी ऐसे कर या शुल्क का सम्बन्ध नहीं जिस में राज्यों के हितों पर प्रभाव पड़ता हो। इसमें केवल उस विशेष अध्याय में उल्लिखित सिद्धान्त में परिवर्तन का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि सैद्धांततः कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

†**श्री नौशीर भरुचा** : संविधान में तो सिद्धान्त के परिवर्तन का उल्लेख नहीं है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक में अनुच्छेद २७४ के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता थी और वह ले ली गई थी परन्तु यहां करों में कोई परिवर्तन नहीं और केवल केन्द्र का ही इस में हित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के अन्तर्गत तो मंत्री महोदय केवल संचित निधि से धन निकालना चाहते हैं। यहां यह उल्लेख नहीं कि यह राशि राज्यों को दी जायगी और अमुक अमुक अंशों में दी जायेगी।

माननीय मंत्री ने यह भी बताया है कि पहले विधेयक ८८ पारित हो कर अधिनियम बन चुका है और उस के अन्तर्गत वितरण के हिस्से या प्रतिशतता दी गई है। अतः इस विधेयक में अनुच्छेद २७४ के अन्तर्गत सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री इस विधेयक के सम्बन्ध में अगला प्रस्ताव रखें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि खंड १ से ३, अनुसूची, विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ३ अनुसूची ; अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को पारित किया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि विधेयक को पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री अ० कु० सेन के १४ दिसम्बर, १९५७ के उस प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी जिसमें संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का सुझाव रखा गया था।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : मैंने जब इंगलैंड के शेरफों का उल्लेख किया था तो सभापति ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि इंगलैंड में शेरफों को जिन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है वे कर्तव्य यहां शेरफों को नहीं करने पड़ते। अतः उन्हें विमुक्त रखा गया है। परन्तु मैंने कलकत्ता का शेरफ (अधिकार तथा अभिरक्षा) अधिनियम में देखा है कि शेरफ को किसी व्यक्ति को विधि द्वारा अभिरक्षा में रखने का अधिकार है। इसी प्रकार शेरफ शुल्क अधिनियम १८५२ के अनुसार शेरफ व्यवहार न्यायालयों द्वारा दी गई सम्पत्ति को अधिकार में रख सकता है। अतः शेरफ जेलर या सम्पत्ति अभिरक्षक का काम करता है। उसे अनर्हताओं से विमुक्त नहीं रखना चाहिये।

समिति अवैतनिक दंडाधिकारियों मुनसफों आदि को इस आधार पर विमुक्त नहीं करना चाहती कि उन्हें काफी सामाजिक प्रभुत्व प्राप्त होता है। यह बात तो शेरफों पर भी लागू होती है।

इस विधेयक में सेवा निवृत्ति वेतन पाने वालों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इंगलैण्ड में १९४१ में एक समिति ने यह निर्णय दिया था कि इन लोगों को अनर्हताओं से विमुक्त करना चाहिये। उस आधार पर तो यहां भी ये लोग विमुक्त होने चाहियें। परन्तु ताकि उन्हें एक साथ दो लाभ

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्थात् निवृत्ति वेतन और सदस्य होने के नाते वेतन आदि न मिले इसके लिये हमें यह उपबन्ध कर देना चाहिये कि उन्हें निर्वाचन के हेतु निवृत्ति वेतन छोड़ना होगा ।

विधि मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि अध्यापकों और चिकित्सकों के रूप में थोड़ा समय काम करने वाले लोगों को विमुक्त करना चाहिये । इस सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव की समिति का मत है कि बहुत से लोग सरकारी संस्थाओं में भी थोड़ा समय काम करने वाले अध्यापक और चिकित्सकों के रूप में काम करते हैं और उनके विधान मंडल में आने पर उन के कर्तव्य पालन में बाधा आयेगी । साथ ही उन्हें सरकार से पहले ही वेतन मिलता है । संयुक्त समिति को इस विषय पर विचार करते हुए उपरोक्त तर्कों पर ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक व्यापक नहीं है । जब तक इसमें उन पदों सम्बन्धी अनुसूचियां न दी जायें जो अनर्हत होंगे और साथ ही यह न बताया जाय कि अनर्हता का प्रभाव क्या होगा और उसे दूर कैसे किया जा सकता है तब तक इसको पारित करने का कोई लाभ नहीं होगा ।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक की चर्चा में जिन विचारों को व्यक्त किया गया है, संयुक्त समिति उन पर विचार करेगी ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैंने यदि शनिवार की चर्चा न सुनी होती तो मैं कभी विश्वास भी नहीं कर सकता था कि श्री अ० कु० सेन ने एक ऐसा विधेयक पुरःस्थापित किया होगा जो इस सभा की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के लिये सर्वथा हानिकारक है ।

लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के संचालन के लिये हमने एक सिद्धान्त को स्वीकार किया है । वह यह है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान मंडल के कार्यक्षेत्र अलग अलग होने चाहियें । परन्तु इस विधेयक द्वारा कार्यपालिका के पदाधिकारियों को इस सभा में लाया जा रहा है ।

इस सभा को पूर्व प्राधिकारियों ने क्यों यह प्रयत्न किया था कि कार्यपालिका के अधिकार रखने वाले अथवा कार्यपालिका के प्रभाव अधीन व्यक्ति इस सभा के निर्णयों में भाग न ले सकें । इस विधेयक के खंड २ के उपखंड (क) को देखिये । इस में कहा गया है :

"किसी संघमंत्री या राज्यमंत्री का कोई पद अथवा उस का पदेन या नाम से पद ।"

इस का अर्थ कितना अस्पष्ट है ? क्या यह समझा जाय कि एक मंत्री मंत्री-पद के अतिरिक्त अन्य पद भी धारण कर सकता है ?

उपखण्ड (ख) में मुख्य सचेतक और उपसचेतक का भी उल्लेख किया गया है । परन्तु क्या इन्हें वेतन दिया जाया करेगा ? अभी तो उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा ।

उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की व्याख्या करते हुए यह कसौटी निर्धारित की है कि वह पद जिससे कार्यपालिका किसी व्यक्ति को हटा सकती है और लाभ का पद । अतः हमें ऐसे लाभ के पद को ही अनर्हत करना है ।

संसदीय लोकतंत्र का सिद्धान्त यह है कि कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण रहेगा । परन्तु कार्यपालिका यदि अपने अंगों अर्थात् पटेल आदि लोगों द्वारा यहां पहुंच कर कार्य में हस्तक्षेप करे तो वह लोकतंत्र के विरुद्ध होगा । माल गुज़ार पटेल या देशमुख के यहां पहुंच जाने से संसद उनके

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

कार्य की निगरानी नहीं कर सकेगी और कार्यपालिका को तो उन पर नियंत्रण का पूरा अधिकार है ही। हमें संसद में ऐसे लोग नहीं लेने चाहियें जो कार्यपालिका की हां में हां मिलाने वाले हों। इन लोगों को ले लेने से कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान मंडल के कार्यों के पृथक्करण के सिद्धान्त की अवहेलना होती है।

भले ही संविधान में इस सिद्धान्त के बारे में कुछ नहीं कहा गया परन्तु यह कहा गया है कि संसद कभी कभी इस सम्बन्ध में विधान बनाया करेगी। समिति के मत में इस संसद का मुख्य कर्तव्य है कि वह विधान मंडल के कार्य को कार्यपालिका के प्रभाव से बचाये। उन्होंने कहा कि वह इन सिद्धान्तों से हटेंगे नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे संविधान में इन श्रेणियों के लोगों को समय समय पर अनर्हता से मुक्त करने का उपबन्ध है पर इस प्रकार की विमुक्ति या छूट देने में उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये। कार्यपालिका का जिन व्यक्तियों पर प्रभाव हो उनको इस सभा में आने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जायेगा तो इस से अनेक संकट पैदा होने का भय रहेगा। अतः यदि हम इस सिद्धान्त को मान कर चलेंगे तो इस का अर्थ यह होगा कि हम कार्यपालिका को विधान मंडल के सिर पर बैठाने की कोशिश करेंगे। आज अन्य लोग भारत की संसदीय प्रणाली की प्रशंसा कर रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इन सभी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय:** वैसे तो इस विधेयक के लिये ४ घंटे का समय रखा गया था। पर अब यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है अतः जो सदस्य प्रवर समिति के लिये सदस्य रखे गये हैं वह इस समय न बोलें तो अच्छा है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव**: (हिसार): एक कठिनाई है। मेरा नाम प्रवर समिति की सदस्यता के लिये रखा गया है। पर मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जिन पर प्रवर समिति विचार करेगी। अतः मेरे साथ रियायत कर के मुझे अवसर दिया जाय।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस रूप में आज भवन के सामने है अगर उसी रूप में इसको पास कर दिया गया तो शायद इस भवन के अनेक सदस्य मंत्री और अधिकारी वर्ग की तरफ अपनी दृष्टि रखेंगे ताकि उनको कहीं न कहीं बैठने का कोई अन्य स्थान भी मिले। पार्लियामेंट के सदस्यों की ईमानदारी अक्षुण्ण हो, इसके लिये यह ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाये रक्खें ताकि हमारे पार्लियामेंट के सदस्य का किसी मंत्री या किसी अधिकारी के पीछे रुझान ही न हो और उन को किसी प्रकार का कहीं से लाभ मिलने की आशा न हो।

अभी हम ने दस वर्षों के अन्दर इस तरीक़े के तीन विधेयक पास किये और मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि सारे एशिया के अन्दर भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसके कि प्रजातांत्रिक तरीक़ों की और अन्य तमाम देशों की दृष्टि लगी हुई है और जो इस तरह से लोकतंत्र को अपने यहां चलाने में समर्थ हो रहा है। लेकिन अगर हमने भी ऐसा क़ानून पास किया जैसा कि आज हमारे सामने पेश है और इस सदन के सदस्यों को इस तरह प्रलोभन उठाने का अवसर मिला तो भारत जो आज एशिया में प्रजातंत्री कार्यों में अग्रणी होने जा रहा है, वह शायद इस दौड़ में पीछे रह जायेगा और हमारा इस तरह का आचरण देश और सारे एशिया को गुमराह कर देगा। इसलिये इस दृष्टि से मैं ख़ास तौर से जो भार्गव कमेटी बनी थी उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसने पांच

†मूल अंग्रेजी में

तरह के आफ़िसेज़ (पदों) को कहा है कि यहां पांच तरह के आफ़िसेज़ आफ प्राफ़िट (लाभ के पद) माने जायें और उनको इस की सुविधा नहीं मिलनी चाहिये कि वे पार्लियामेंट के मेम्बर बन सकें। रिपोर्ट आफ़ दी कामेटी आफ आफ़िसेज़ आफ़ प्राफिट (लाभ के पद सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन) के पेज १४ पर पैरा ३६ में ये पांच बातें दी हुई हैं :

इन पांचों दृष्टिकोणों से अगर हम देखें तो हम पायेंगे कि जितने आफिसेज आफ प्राफिट को हम इस विधेयक के द्वारा पार्लियामेंट की मेम्बरी के लिये डिस्क्वालिफाईड (अनर्ह) होने से बचाना चाहते हैं ताकि वे आफिसेज़ किसी तरह से उनके होल्डर्स के पार्लियामेंट के मेम्बर बनने में किसी तरह से बाधक सिद्ध न हों, तो हम पायेंगे कि करीब सब उसमें आ जाते हैं और शायद कोई ऐसे बचते हों, जो उनके अन्दर न आ जाते हों। पहले हमने मंत्रियों को निकाला क्योंकि उनका निकाला जाना जरूरी था पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ को निकाला लेकिन अब जिस रूप में हम विधेयक पास करने जा रहे हैं उसके अनुसार तो शायद ही कोई आफिस अलावा सिविल सर्विस को छोड़ कर, कोई ही ऐसा आफिस बचेगा जो इस के अन्दर न आ जाता होगा।

आज हमारी सरकार एक वैलफेयर सरकार के नाते या सोशलिस्टिक पैट्रन के नाते बहुत सी तिजारती वस्तुओं पर भी अपना हाथ डालने जा रही है और ट्रेड के कुछ सीगों को अपने हाथ में ले भी लिया है।

इस विधेयक के द्वारा हम चेअरमैन, डायरेक्टर और मैम्बर आफ स्टैचुटरी बौडी (संविहित निकाय) के आफिस को यह कहने जा रहे हैं कि वह पार्लियामेंट की मैम्बरों के लिये बाधक नहीं होगा। रेलवे बोर्ड के लिये इस में नहीं कहा गया है लेकिन उस के लिये भी आगे चल कर कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड का मैम्बर होना भी पार्लियामेंट की मैंबरी के लिये बाधक नहीं होगा क्योंकि इस विधेयक में हम ने यह डिफाइन कर दिया है कि चेअरमैन, डाइरेक्टर और मैम्बर आफ ए स्टैचुटरी बौडी कारपोरेशन का चेअरमैन मैम्बर हो सकता है उस का डाइरेक्टर मेम्बर हो सकता है, अभी तक हम ने यही रक्खा है कि ऐसी कारपोरेशन का चेअरमैन या डाइरेक्टर जहां कि उन को तनख्वाह न मिलती हो, और अब दो तरह की कारपोरेशनस बनाई जाया करेंगी या वहां पर एक दफा लगा दें कि कारपोरेशन का मैम्बर पेड भी हो सकता है और अनपेड मैम्बर भी हो सकता है। यह तो ठीक है कि उस को उस आफिस होल्ड करने के लिये कोई तनख्वाह नहीं मिलती है लेकिन उस औफिस के अन्दर सता है और एनफ्लुएंस और पैट्रोनीज होती है। इस के जरिये लोगों को प्रलोभन भी हो सकता है। चेअरमैन, का और डाइरेक्टर का काम एग्जिक्यूटिव काम है, कार्यकारी काम है, जिस से शासन प्रणाली की व्यवस्था चल रही है। पर यहां तो पटेल और कारपोरेशन के चेअरमैन दोनों को ही रक्खा है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे लोग दोनों जगह कैसे ईमानदारी से काम कर सकेंगे। वह वहां पर भी ईमानदारी से काम करे और वहां भी ईमानदारी से काम करे, यह मुमकिन नहीं है। अगर इस भवन के अन्दर उसी कारपोरेशन के खिलाफ कोई बात आती है जिस का वह चेअरमैन है कि वह कारपोरेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जैसे वहां डी० वी० कारपोरेशन के बारे में कई बार चर्चा आई, तो वह मैम्बर पार्लियामेंट की हैसियत से यही कोशिश करेगा कि वह बात यहां न उठ सके। वह चाहेगा कि हमेशा उस की तारीफ होती रहे। ऐसी ऐसी वस्तुयें ला कर के हम लोगों के अन्दर ऐसी ही भावना पैदा करेंगे कि वे हमेशा यह कोशिश करते रहें कि उन को कोई स्थान पार्लियामेंट में मिल जावे।

ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में स्थान दिला देने के बाद हम पार्लियामेंट को एक तरह से ऐसा बना देंगे कि वह किसी भी कारपोरेशन पर, या और किसी चीज पर सही तरीके से, ईमानदारी से, अपनी राय प्रकट न कर सकें।

[श्री सिंहासन सिंह]

भार्गव कमेटी ने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में अपनी राय दी है कि फलां फलां चीज को डिस्क्वालिफिकेशन मान लिया जाय। जब हम कमेटी बनाते हैं तो कमेटी की राय को मान्यता देनी चाहिये। इस कमेटी ने खास शब्दों में वाइस चान्सलरों के लिये कहा है कि उन को जगह न दी जाये। अगर कोई वाइस चान्सलर पार्लियामेंट का मेम्बर हो जाये तो या तो वह यहां से चला जाय या वाइस चान्सलर की जगह से चला जाय। वह दोनों तरफ न रहे। लेकिन आप इन चान्सेलरों को इस सदन में कायम रख रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब कमेटी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि वाइस चान्सेलरों को क्यों न रक्खा जाय तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उसकी डैफिनिट ओपीनियन (निश्चित राय) है ओपीनियन बेस्ड आन रीजन (तर्कों पर आधारित राय) हैं, उन्होंने बताया है कि वाइस चान्सेलर को न रक्खा जाय, फिर भी उसे रक्खा जाता है। लेकिन हम उस को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। इस तरह से तो बहुत थोड़े से ही लोग बाकी रह जाते हैं। सिविल सर्विसेज वाले बाकी रह गये, जजेज बाकी रह गये, हालांकि रियटायर्ड जजेज आते हैं, पेन्शन वाले आते हैं कुछ और जगह जो पड़ी रह गई हैं, जो सेक्रेटेरियट का काम करते हैं, वह भी चले आयें, तो हो सकता है कि एक दिन इस पार्लियामेंट का दूसरा ही स्वरूप बन जाये। अगर सरकारी अहलकार आ गये तो यहां पर कोई काम न हो सकेगा और पार्लियामेंट की जो प्रभुसत्ता होगी वह नहीं के बराबर होगी।

इसलिये जो विशिष्ट कमेटी बनी है, उस का कर्तव्य है कि वह इस बात को पूरी तरह से सोचे और ध्यान रक्खे कि कोई विधेयक बनाते वक्त हम ऐसा काम करें जिस से पार्लियामेंट की सत्ता पर या पार्लियामेंट के सदस्यों पर कोई उंगली न उठा सके। आज हमारे प्रति जो देश की उंगली उठती है, वह हमारे लिये कलंक की बात है। हम जहां भी जायें वहां हमारे प्रति आदर का भाव होना चाहिये। पार्लियामेंट के सदस्यों में त्याग की वृत्ति होनी चाहिये। इस वृत्ति के होते हुए हम किसी भी प्रलोभन में न पड़ कर यहां अपनी ईमानदारी और नेकनियती को अक्षुण्ण रक्खें। यह जो विधेयक बिशिष्ट समिति में जा रहा है, उस के विरोध करने या समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर यह पास होने को होता, तो मैं तो कम से कम यह मांग करता कि चूंकि इस विधेयक का हम लोगों से ही सम्बन्ध है, इस का फायदा पार्लियामेंट के मेम्बरों को ही मिलने वाला है, इसलिये जैसे मेम्बरों को अपनी राय प्रकट करने की आजादी होती है, उसी तरह वोट देने की भी आजादी होनी चाहिये, और शायद इस के विरुद्ध ही मैं अपना वोट देता। यह विशिष्ट समिति के सामने जा रहा है, और वह इस पर विचार करेगी। भार्गव कमेटी ने इस में अम्बेदकर साहब की राय बताई है, सेन साहब की राय बताई है, मैं समझता हूं कि जितने भी ला मिनिस्टर पहले हुए सब ने अपने विचार प्रकट किये हैं और सब ने किसी न किसी रूप में विरोध किया है। अब हमारे सेन साहब आये हैं, वह भी यहां पर संख्या बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि संख्या जितनी भी कम रहेगी, उतनी ही कम खराबियां बढ़ेंगी। जितनी अच्छी चीजें दुनिया में हैं उन की संख्या कम होती है। संख्या ज्यादा होने पर उस की वुक्त घटती है, उस का नाम घटता है। इसलिये संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप को संख्या बढ़ानी ही है तो दफा १०२ के अंश को ही क्यों न हटा दीजिये, उस को हमेशा के लिये खत्म कर दीजिये। बार बार पार्लियामेंट में एक विधेयक लाना पड़े और उस पर बहस करनी पड़े, फिर बार बार पुराने विधेयक को रिपील करना पड़े यह कहां तक ठीक है? हम हमेशा कुछ न कुछ स्थान इस में बढ़ाते गये हैं, कल यह किया, परसों और बढ़ाया और आज हम इस में दस और बढ़ा रहे हैं। मुमकिन है कि यह आगे चल कर काफी न मालूम पड़े और सन् १९५८ में और विधेयक आये कि इस रास्ते में दफा १०२ रोड़ा साबित हो रहा है, इसलिये ऐसा कर दिया जाय कि संविधान इस को डिस्क्वालिफिकेशन न करार दे सकें।

अभी हमारे यहां एक ऐलेक्शन पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। एक मुखिया गांव का, एक सदस्य का ऐजेंट हो गया और ऐजेंट होने के नाते वह एलेक्शन पिटिशन मंजूर हो गई। जो मैम्बर खड़े हुए थे वह तो शायद जानते भी न होंगे कि कौन उन का एजेंट बना और कौन नहीं बना, लेकिन चूंकि मुखिया एजेंट बन गया इसलिये उन को निकाल दिया गया। लेकिन हम आज यहां पटेल रख रहे हैं जो कि एक तरह से सरकारी कर्मचारी है। तहसीलदार की जगह पर पटेल हैं। अभी अभी कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में ऐसा होने जा रहा है कि गांव सभाओं के जरिये ही मालगुजारी वसूल की जाये और उन को कुछ अलाउन्स दिया जाय। इस में बहुत आदमी रक्खे जायेंगे और सभी एक तरह से सरकारी अहलकारों की तरह से होंगे।

बहरहाल मैं तो, जो हिस्सा बढ़ाया जा रहा है, उस के बढ़ाने का स्वागत नहीं कर सकता, लेकिन मैं विशिष्ट कमेटी से और सेन साहब से यह अपील करूंगा कि वह विशिष्ट कमेटी में बैठें और अपनी पार्लियामेंट के लिये अच्छे नियम बनायें। आज भारत एशिया का नेतृत्व करने जा रहा है इसलिये हमारे यहां के सदस्यों को कम से कम प्रलोभन हों और कम से कम फायदा उठाने की उन में आदत हो। इसलिये अगर यह विधेयक पास कर दिया गया तो कोई अच्छा आदर्श हम संसार के सामने नहीं रख सकेंगे।

†पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गयी शंकाओं से सहमत हूं। परन्तु जो लोग जनता के मत से निर्वाचित हो कर यहां आते हैं उन के लिये आवश्यक है कि वे अधिक से अधिक जनता की सेवा करें। यदि कोई व्यक्ति संसद् का सदस्य है तो इस का अर्थ यह नहीं कि उसे जनता की और कोई सेवा करने का अधिकार न रहे। मैं उदाहरण के रूप में यह कहना चाहता हूं कि यदि समाज शास्त्र का कोई प्रोफेसर रेडियो पर कोई वार्ता प्रसारित करता है और रेडियो एक सरकारी विभाग है तो इस का अर्थ यह नहीं है कि उसे संसद् का सदस्य बनने की अनुमति न हो। आप किसी व्यक्ति को संसद् का सदस्य होने से केवल इसी आधार पर रोकते हैं कि वह रेडियो पर वार्ता प्रसारित करता है यह कोई न्याय नहीं है। अतः आप ध्यान रखें कि जो व्यक्ति संसद् का सदस्य चुना जाता है, जनता जिस में अपना विश्वास प्रकट करती है उस पर हमें साधारणतया अविश्वास नहीं करना चाहिये। यदि संसद् के विद्वान सदस्य यदि समाज की कोई विशेष सेवा अपनी विद्वता की सहायता से करना चाहें तो उन्हें इस की अनुमति होनी चाहिये। यदि सरकार का कोई मामला उच्चतम न्यायालय में हो तो क्या हम केवल इसी आधार पर किसी भी माननीय सदस्य को उस मामले की पैरवी करने की अनुमति नहीं देंगे कि वह संसद् का सदस्य है। क्या इस से उस में जनता का विश्वास नहीं रहेगा? अतः ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति इन दोनों बातों पर अच्छी तरह विचार करे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब स्पीकर साहब, यह जो बिल हमारे सामने है इस के वास्ते सब से पहले तो मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (कार्य मंत्रणा समिति) से सजेशन (सुझाव) पर और जिन मेम्बरान ने सिलेक्ट कमेटी के वास्ते रेफरेंस की दरख्वास्त की थी उन के व्यूज का लिहाज रख कर मेहरबानी फरमा कर इस के ऊपर मोशन आफ कंसिडरेशन के वास्ते नहीं कहा है बल्कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को रेफरेंस (सौंपने) के बारे में कहा है। फिलवाकै इस हाउस में बहुत से मेम्बरान को बड़ी सख्त मायूसी होती अगर यह मोशन हाउस के सामने न आती और कोशिश यह की जाती कि बिल मौजूदा फार्म में पास कर लिया जाये।

यह मामला दरअस्ल इतनी अहमियत का है कि जिस के ऊपर बहुत से मेम्बर साहिबान, पैनल आव चेअरमैन के मेम्बर और दूसरे साहिबान ३० अप्रैल, १९५४ को इकट्ठे हुए और आनरेबिल

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

स्पीकर साहब की खिदमत में हाजिर हो कर उन्हों ने अर्ज की कि वह मेहरबानी फरमा कर इस मामले का इन्तिजाम करें ताकि यह मामला हमेशा के लिये फुलप्रूफ हो जाये। चुनांचे खास तौर पर एक कमेटी हमारे आनरेबिल स्पीकर साहब ने बनायी जिस को खास टर्म्स आफ रेफरेंस दिये और यह हुक्म दिया कि तुम ऐसा मसाला इकट्ठा करो जिस से गवर्नमेंट को इस बारे में कानून बनाने में इमदाद मिले।

जनाब वाला, यह मामला आज का नहीं, कल का नहीं, एक पालियामेंट का नहीं, दो पालियामेंटों का नहीं, सारी दुनिया की पालियामेंटों के वास्ते एक सब से अहम चीज है। चुनांचे कई सदियों से विलायत में इस के ऊपर झगड़ा होता चला आया है और इस के ऊपर कम से कम सैंकड़ों एक्ट और रिजोल्यूशंस हाउस आफ कामन्स में पास हुए जिनकी तफसील अगर आप देखना चाहें तो हाउस आफ कामन्स के सन् १९५७ के डिस्क्वालिफिकेशन्स पेक्ट में मिल जायेंगी। यह एक्ट आज खुशकिस्मती से हमारे हाथ में है जिस का हमें बेहद इन्तिजार था। इस के अन्दर दस सुफहों के अन्दर उन ऐक्टहाय और रिजोल्यूशनहाय की तफसील दी गई है जो इस एक्ट के रू से रिपील किये गये हैं। यह मामला हमारी पालियामेंट के सामने भी आज ही नहीं आया है। अगर हम अपनी पालियामेंट को देखें तो हम को मालूम होगा कि सन् १९४७ के बाद जो हमारी पालियामेंट बनी वह इस बारे में तीन एक्ट पास कर चुकी है। सन् १९५० में एक ऐक्ट पास किया, सन् १९५१ में एक किया और सन् १९५३ में एक ऐक्ट पास किया जिस को एक्ट १ सन् १९५४ कहते हैं। लेकिन बावजूद उन ऐक्ट हाय के यह शिकायत रही है कि ये एक्ट काम्प्रीहेंसिव नहीं हैं। ये ऐक्ट ऐसे नहीं हैं कि हम कह सकें कि हम अपने कानून को ठीक तौर पर रख सके हैं। यह मामला हम को और भी तकलीफ देता अगर हमारे सामने वे कानून न होते जो कि इतने अर्से तक मदर आव पालियामेंटस में पास हुए।

खुद हाउस आफ कामन्स में सन् १९४१ में एक सिलेक्ट कमेटी बिठायी गई और इस गरज के वास्ते बिठायी गई कि इस कानून को कंसालिडेट किया जाये। बड़े अर्से तक वह काम करती रही उस ने बड़ी गवाहियां लीं। उस कमेटी की रिपोर्ट यह थी कि यह कानून बड़ा आर्काइक और कन्फ्यूज्ड है और बड़ी अनसैटिल्ड कंडीशन में है। चुनांचे सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह मामला सन् १९५५ में मदर आफ पालियामेंट के सामने शुरू हुआ और जो रिपोर्ट हम ने इस मामले के मुताल्लिक लिखी उस के अपेंडिक्स में यह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी दी गई है। उस वक्त तक ऐक्ट पास नहीं हुआ था। खुशकिस्मती से विलायत में सन् १९५७ में वह ऐक्ट भी पास हो गया। मैं चाहता हूं और दरख्वास्त करूंगा अपने आनरेबिल ला मिनिस्टर साहब से कि वह मेहरबानी फरमाकर सिलेक्ट कमेटी के तमाम मेम्बरान के पास इस ऐक्ट की एक एक कापी भेज दें क्योंकि यह बड़ा इल्यूमिनेटिंग डाक्यूमेंट (जानकारीपूर्ण प्रलेख) है, जिससे हम को अपना कानून बनाने में बहुत मदद मिलेगी।

हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर भी यह मामला आज से नहीं है। इस तरह का मामला कि डिस्क्वालीफिकेशन (अनर्हता) क्या हो, किस तरह से उस को कायम किया जाये, किस तरह से उस को दूर किया जाये और किस तरह से उस पर अमल किया जाये, यह मामला हमारे यहां उस वक्त से चल रहा है जब से कि यहां पर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन्स (प्रतिनिधि संस्थाओं) की शुरुआत हुई। चुनांचे सन् १९०९ में और सन् १९१५ में जिन ऐक्ट्स की रू से रिफार्म्स नाफिज किये गये उन में इस के वास्ते भी प्रावीजन बनाये गये। आखिर ऐक्ट सन् १९१९ में पास हुआ जिस की दफा २२ का हवाला उस रिपोर्ट में दिया गया है जिस को कमेटी आन आफिस आफ प्राफिट ने बनाया। और उस में दर्ज है कि आफिस आफ प्राफिट के लेते ही उस शख्स को उस आफिस से जुदा कर दिया जायेगा और उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने का अख्तियार पालियामेंट को ही होगा। चुनांचे ऐक्ट सन् १९१९ की दफा २२ जाहिर करती है आज से तकरीबन ४० बरस पहले भी हम ने इस मामले पर गौर किया था।

सन् १९३५ के ऐक्ट में साफ तौर पर दफात २६ और ६९ में इस का जिक्र आया है । और वहां से यह प्रावीजन हमारे कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १०२ में आया है। जानाब वाला मुलाहिजा फरमायेंगे कि आर्टिकिल १०२ में किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है और जो शख्स इस प्रावीजन की खिलाफवर्जी करता है उस के लिये ड्रास्टिक कांसीक्वेंसेज (बुरे परिणाम) होंगे। कोई शख्स जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अन्डर आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) लये हों वह न पार्लियामेंट के वास्ते खड़ा हो सकता है और अगर खड़ा हो कर गलती से यहां आ भी जाये तो वह कायम नहीं रह सकता । अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को हाटा सकती है । अगर पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती तो कोई ताकत और कोई कानून ऐसा नहीं है जिस के जरिये वह शख्स पार्लियामेंट का मेम्बर हो सके या यहां रह सके। चुनांचे इस के वास्ते ये शरायत हैं कि जब कभी यह सवाल उठे तो यह मामला प्रेसीडेंट साहब को रेफर किया जायेगा और वह इस मामले को तै करेंगे कि उस शख्स को चुना जाना चाहिये या नहीं। इसमें इलैक्शन पिटीशन का सवाल भी नहीं आता। यह अख्तियार डाइरेक्टली प्रेसीडेंट को है कि वह तै करें कि उस शख्स को चुना जाना चाहिये था या नहीं और आया उसको हटा देना चाहिये । अगर प्रेसीडेंट को अख्तियार हो तो बरुये कांस्टीट्यूशन वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का अख्तियार होता है । लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट आव इंडिया के हाथ से भी ले लिया गया है और ऐसा खास वजूहात से किया गया है। इस का मंशा यह है कि पार्लियामेंट के मेम्बर इंडिपेंडेंट हों और फ्री फ्राम करप्शन हों क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देश का इन्तिजाम ठीक से नहीं चल सकेगा। यह सब से बड़ा उसूल है कि जिस के मुकाबले में सारे और उसूल हेच हैं । यह सब से पहली चीज है कि मेम्बर आव पार्लियामेंट फ्री फ्राम इन्फ्लुएंस होने चाहियें ताकि इस देश की हुकूमत ठीक चल सके । ऐसा होना इस सावरिन बाडी के मेम्बर्स के वास्ते एक बड़ी चीज है क्योंकि जो शख्स ईमानदार है और गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव के असर से आजाद है वही यहां पर आजादाना तौर से काम कर सकता है। चुनांचे इस के लिये बड़ी सख्त सजा रखी गई है। अगर किसी शख्स को डिस्क्वालीफिकेशन मालूम हो और फिर भी वह यहां आकर बैठ जाय या अगर वह डिस्क्वालीफाइड न हो पर वह आफिस आफ प्राफिट लिये हुए हो और फिर यहां आकर बैठ जाये तो उस के वास्ते ५०० रुपया रोज के जुर्माने की सजा का प्रावीजन है । जो कि कांस्टीट्यूशन की दफा १०४ में दी हुई है।

अगर यह आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) की डिस्क्वालीफिकेशन किसी मेम्बर को लागू होती हो तो मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि यह उस मेम्बर की निहायत ही बदकिस्मती है। उसको इलैक्शन में कामयाब हो कर आना होता है और उस के रास्ते में वैसे ही बहुत काफी हरडिल्स हैं । हो सकता है कि उस ने कोई आफिस गलती से ले लिया हो जिसे वह आफिस आफ प्राफिट न समझता हो । उस से यह गलती हो सकती है और वह यहां आन कर पार्लियामेंट का मेम्बर बनने की कोशिश कर सकता है । ऐसे शख्श के लिये भी कोई मर्सी नहीं दिखाई गई है। क्यों ? इसलिये कि उसूल यह है कि पार्लियामेंट का मेम्बर एक ऐसा शख्स हो, जिस के बारे में हम कह सकें कि वह बिल्कुल आजाद है और सब तरह के प्रलोभनों से ऊपर है । चुनांचे, जहां पार्लियामेंट का मेम्बर होने की ये तारीफें दी गई, वहां यह तारीफ भी दी गई कि सिर्फ वही शख्स पार्लियामेंट का मेम्बर चुना जा सकेगा, जो कि पच्चीस बरस की उम्र का हो, इलैक्टर हो, सिटीजन आफ इंडिया हो और साथ ही उस को ऐसी वह क्वालिफिकेशन्स हासिल हों, जो कि पार्लियामेंट मुकर्रर करे। यह तारीफ आर्टिकिल ८४ में दी गई।

मेम्बर साहिबान को याद होगा कि इस पार्लियामेंट में एक रेज्योल्यूशन आया था, जिस में यह करार दिया गया था कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिये कोई एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्ज रखी जायें। लेकिन हाउस ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी और अपनी तरफ से इस किस्म की कोई पाबन्दी मुकर्रर नहीं की, जिस के मायने यह हैं कि लोग जिस को चाहें, अपना रिप्रेजेन्टेटिव मुकर्रर कर सकते हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आर्टिकिल १०२ में आफिस आफ प्राफिट होल्ड करने के अलावा और भी पाबन्दियां रखी गई हैं। मसलन, वह पागल न हो---पागल हो, तो कोई परवाह नहीं, कोर्ट से डिक्लेअरड पागल न हो---, अनडिस्चार्ड इनसालवेंट न हो, किसी दूसरे मुल्क के लैजिस्लेचर का मेम्बर न हो, सिटीजन आफ इंडिया हो, वगैरह। इस का मतलब साफ यह है कि आफिस आफ प्राफिट को लेने वाला भी उसी जुमरे में आयेगा, जिस में इन दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन्ज को रखने वाला आयेगा। जिन डिस्क्वालिफिकेशन्ज का मैं ने जिक्र किया है, वे एक से एक आला डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस से बढ़ कर कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं है कि एक आदमी यहां पर चुन कर आये और यहां पर पूरी आजादी के साथ काम न करे और यह ख्याल करे कि गवर्नमेंट का कोई मेम्बर मुझे किसी कमेटी का मेम्बर बना देगा, कोई आफिस आफ प्राफिट दे देगा, जो कि मुझे इनफलुएन्स, इज्जत और पेट्रनेज देगा। इससे गवर्नमेंट भी खराब हो जाती है अगर वह यह ख्याल रखती है कि हम को इस तरह से किसी आदमी की स्पोर्ट मिल सकती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये दोनों बातें हमारे देश की बरबादी का कारण हैं। इसलिये ऐसे किसी आदमी को गवर्नमेंट नहीं हटा सकती है, जिस के बारे में यह कहा जाय कि वह इन डिस्क्वालिफिकेशन्ज के नीचे आ गया है। उस को सिर्फ प्रेजीडेंट हटा सकता है---और असल में प्रेजीडेंट भी उस को नहीं हटा सकता है, उस का तो सिर्फ नाम रखा गया है। इस आर्टिकिल में कहा गया है कि इस सिलसिले में इलैक्शन कमीशन की राय प्रैजीडेंट के लिये काबिले-पाबन्दी होगी। मामला फौरन इलैक्शन कमीशन के पास जायेगा और उस की राय प्रैजीडेंट को कबूल करनी पड़ेगी और उस के मुताबिक यह करार देना पड़ेगा कि उस शख्स को आफिस आफ प्राफिट मिला है या नहीं। इस बात को इतना अहम समझा गया कि कांस्टीट्यूशन में यह प्राबीजन रखा गया और यह अहकामात सादर किये गये।

हमारे सामने तीन बिल आए, जिन का कि मैं ने जिक्र किया है। उन तीनों बिलों से सारे मेम्बरान और पब्लिक गैरमुतमईन थी, क्योंकि उन बिलों में लम्बी चौड़ी एग्जेम्प्शंज दी गई थीं। वे एग्जेम्प्शन्ज इतनी जबर्दस्त थीं कि गवर्नमेंट के हाथ बड़े खुले हुए थे कि वह जिस को सीड्यूस करना चाहे, करे---वह मेम्बर सीड्यूस हो या न हो, यह अलग बात है। जो मेम्बर किसी ऐसे आफिस को कबूल करता है, वह हाउस का मेम्बर रहने का अख्तियार नहीं रख सकता। बहरहाल, ये तीन बिल सैटिसफेक्टरी नहीं थे। इसलिए एक कमेटी मुकर्रर की गई, जिस को यह काम सौंपा गया कि वह रिपोर्ट करे कि क्या कमियां हैं, वे किस हद तक जाते हैं और उन को किस हद तक नहीं जाना चाहिए। उस कमेटी ने एक्सटेंशन भी हासिल की और एक साल में अपना काम पूरा कर दिया और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। वह रिपोर्ट हाउस के सामने है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस गरज से वह रिपोर्ट की गई है, वह गरज पूरी हुई या नहीं। इस बिल को देख कर मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस कमेटी की सिफारिशों की परवाह नहीं की, जितनी कि उसे करनी चाहिए थी और उस कमेटी के अगराज पूरे नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बिल में इस मामले को इस तरह देखा जो कि कमेटी की राय के मुताबिक नहीं था। अगर यह एक्ट पास हो जाता, तो देश में एक ऐसी खराबी होती, जिस को हम ध्यान में नहीं ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे ला मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट इस बात का खास तौर पर ख्याल रखेंगे कि यह मामला ऐसा है, जिस में नान-आफिशियल ओपीनियन का पूरा दखल होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम अपनी पार्लियामेंट को पाक और साफ रखें।

जब मैं इस बिल की तरफ देखता हूं तो मालूम होता है कि कई बातों के बारे में गवर्नमेंट ने कमेटी की राय को न सिर्फ कबूल नहीं किया, बल्कि उस के कतई बरखिलाफ---उसकी

डिफायेन्स में—कई चीजें रखी हैं, जिस को आम तौर पर बहुत से मेम्बर साहबान पसन्द नहीं करेंगे और कंट्री भी पसन्द नहीं करेगा ।

सब से बड़ी बात, जिसकी मैं नुक्ता-चीनी करना चाहता हूं और जिस को सिलेक्ट कमेटी खास तौर से देखे, यह है कि असल मन्शा इस कमेटी के बनाने का, असल मन्शा हमारे स्पीकर साहब का और उन मेम्बर साहबान का, जो कि उन की खिदमत में हाजिर हुए थे, यह था कि एक ऐसा शिड्यूल बना कर रखा जाय, जिस में कि आफिस आफ प्राफिट की तारीख की जाय और बताया जाय कि ये ये आफिसीज आफ प्राफिट हैं । अगर कोई शख्स उन में से किसी को पहले से होल्ड कर रहा है, तो वह पालियामेंट के लिए खड़ा नहीं हो सकता है और अगर वह खड़ा हो कर कामयाब हो जाता है, तो पालियामेंट में कायाम नहीं रह सकता है । यह बात सबको मालूम होनी चाहिए । जब तक यह मालूम न हो, तब तक उस शख्स का क्या कसूर है, जो कि असलियत को नहीं जानता है और जो खड़ा होता है और कामयाब हो कर यहां आ कर बैठ जाता है ? इसलिए सब से पहली जरूरत इस बात की है कि यह एसरटेन किया जाय कि आफिस आफ प्राफिट क्या हैं और उन को शिड्यूल में दाखिल किया जाय और यह प्रोवाइड कर दिया जाय कि आगे के लिए ये अशखास खड़े नहीं हो सकते हैं । जब तक यह नहीं होता है, तब तक आफिस आफ प्राफिटस का कानून मुकम्मल नहीं हो सकता है । यही चीज है, जिस को गवर्नमेंट ने जाहिर करने से परहेज किया है । स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्ज में उस ने कहा है कि हम शिड्यूल नहीं बना सके हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज थीं । लेकिन गवर्नमेंट ने यह नहीं देखा कि जो कमेटी मुकर्रर की गई है, उस ने महीनों बैठ कर कम से कम दो सौ कमेटीज के कांस्टीट्यूशन्ज देखे और, जहां तक उस के इल्म में आ सका, पूरी मालूमात की कि किस तरह से शिड्यूल बनाया जाय और शिड्यूल बनाने की कोशिश की ।

कमेटी की तीन सब-कमेटियां बनाई गई और उन कमेटियों ने रिपोर्ट की । वे रिपोर्टें मुफस्सल तौर पर शाया कर दी गई और चन्द एक कमेटियां ऐसी करार दी गईं, जिनकी मेम्बरशिप लेने से कमेटी की राय में किसी शख्स को डिसक्वालिफाई किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि इस बारे में मेरे हाथ मजबूत हो गए हैं । रिपोर्ट के पार्ट बी, सफा २३५ से २७४ तक उन तेरह कमेटियों के बारे में हम ने अर्ज किया था कि उन कमेटीज की मेम्बरशिप आफिस आफ प्राफिट में आ जायेगी । इस बिल की रू से यक-कलम वे सब कमेटियां ऐसी करार दी गई जिन की मेम्बरशिप डिसक्वालिफिकेशन एनटेल नहीं करेगें । विलायत के ऐक्ट में यह करार दिया गया है कि इस किस्म की कमेटीज की मेम्बरशिप जरूर डिसक्वालिफिकेशन होगी । मैं विलायत के ऐक्ट पर इसलिए जोर देता हूं कि हमारी पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंटरी इंस्टीच्यूशंज, चाहे हम माने या न मानें, उन में अच्छाई हो या न हो, उन बातों पर वेस्ड हैं, जो कि मदर आफ पार्लियामेंट्स ने सैकड़ों, हजारों बरसों के तजुर्बे के बाद कबूल की हैं । पहले शिड्यूल में वह लिस्ट दी गई, जिनकी मेम्बरशिप से कोई शख्स आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता हुआ माना जायेगा और इसलिए डिसक्वालिफाइड हो जायेगा । मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी खुद बैठ कर नए सिरे से इन को आफिस आफ प्राफिट करार दे ।

मैं ने जायंट कमेटी की तजवीज की थी । स्पीकर साहब आम तौर पर किसी सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर मुकर्रर नहीं होते । उन को छोड़ कर नैक्स्ट वैस्ट मैन, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब, को मैं ने अपनी तरफ से दरख्वास्त की थी कि वह उस कमेटी के चेयरमैन बनें ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जिस कमेटी में डिप्टी स्पीकर साहब होते हैं, हमारे रूल्ज के मुताबिक वे उस के चेयरमैन होते हैं । मैं चाहता था कि जो हाइएस्ट आदमी हैं, उन पर यह जिम्मेदारी डाली जाय कि वे शिड्यूल बनायें, मुझे खुशी है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने इस को कबूल कर के, जहां मैं जिम्मेदारी डालना चाहता था, वहां जिम्मेदारी डाल दी है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कानून सारे हिन्दुस्तान के लिए—सारी स्टेट्स के लिए—बनेगा और यह एक एग्जेम्प्लरी होगा । जैसा कि श्री नाथ पाई साहब ने कहा है, यह सारे एशिया में अपनी एक मिसाल होगा । मैं चाहता हूं कि यह कानून इतना मुकम्मल बने कि जो गलतियां मदर आफ पार्लियामेंटस ने करी हैं वे भी हम न करें । मैं क्लेम करता हूं कि हमारा कांस्टीच्यूशन सारी दुनिया में सब कांस्टीच्यूशन्ज से अच्छा है । हमारा यह ऐक्ट भी एक ऐसा नमूना बने, जिस पर एशिया, यूरोप और सारी दुनिया के मुल्क चलें । आज हम हाउस आफ कामन्ज के कायदों पर चलते हैं और हम पाते हैं कि उन में इतनी खूबियां हैं, इतनी उमदा चीजें हैं, जिन को देख कर हमारा दिल लुभायमान होता है । अगर उससे बढ़िया नहीं तो कम से कम ऐसा ऐक्ट हमारे लिए बने, जो कि उस के बराबर हो।

इस नए एक्ट १९५७ की एक खास दफा की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह दफा है दफा ११ ।

मैं यह चाहता हूं कि हमारे रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल ऐक्ट में यही रूल बने । हर एक मैम्बर जहां यह लिखा होता है :

'मैं संसद का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति देता हूं' :

उसके साथ यह लिखा जाए : 'मैंने यह पढ़ लिया है और मैं इसके किसी शैड्यूल के अन्दर नहीं आता और मैं यह जानता हूं कि मेरे में यह डिसक्वालिफिकेशन नहीं है ।' यह चीज पेशतर इसके कि उसको खड़ा होने की इजाजत दी जाए, होनी चाहिये । इसलिए उसके अन्दर यह रूल बनना चाहिए जैसा कि इसमें है । इस रूल को बनाने से यह साफ जाहिर हो जाएगा कि वह शख्स खड़ा नहीं हो सकता । मेरे दोस्त के० सी० शर्मा साहब ने बड़े जोर शोर के साथ अपनी तकरीर की है और उसके दौरान में उन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ा भारी आर्टिस्ट हो या बड़ा भारी वकील हो उसको डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आना चाहिए । मैं इस चीज के मैरिटस में नहीं जाना चाहता । हमने कमेटी के अन्दर ऐसे लोगों को जो कहीं ब्राडकास्टिंग करें किसी रेडियो स्टेशन से उनको डिसक्वालिफिकेशन से एग्जेंम्प्ट किया हुआ है । उनकी यह तजवीज तो हमने पहले ही मानी हुई है । वुकला साहिबान का जहां तक ताल्लुक है, आम तौर पर पब्लिक प्रासीक्यूटर वगैरह होते हैं उनके वास्ते हमारी तजवीज यह है कि उसकी डिसक्वालिफिकेशन रिमूव न की जाए । मेरी अब भी यही राय है कि उसकी डिसक्वालिफिकेशन रिमूव नहीं होनी चाहिए । लेकिन हमारे शर्मा साहब ने बड़े जोर शोर की तकरीर की और कहा कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट एक अजीब तरह का जानवर होता है जो मामूली जानवरों से बहुत ज्यादा फौकियत रखता है । इस वास्ते उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए । मैं मानता हूं कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट एक ऐसा आदमी होता है जिस में लाखों आदमी अपना कान्फिडेंस देते हैं और वह जरूर अच्छा आदमी होना चाहिए । लेकिन यह तो वह चीज हुई जिसको लाजिक में कहते हैं कि उस चीज को जिसको कि हम साबित

करना चाहते हैं एज्यूम कर लेते हैं । इसमें यह दोष है । इस दोष को दूर किया जाना चाहिए । मैम्बर वही शख्स होना चाहिए जिस में दोष न हो, जिसमें कोई डिसक्वालिफिकेशन न हो, जो कोई आफिस आफ प्राफिट न लिए हुए हो । सैक्शन १ क्लाज ४ ने इस चीज का फैसला कर दिया है ।

जिसके माने यह हुए कि इस ऐक्ट के अन्दर जो जो आफिस आफ प्राफिट दर्ज हैं उनके अलावा अगर कोई शख्स आफस आफ प्राफिट होल्ड करता है, वह डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी और साथ ही उन आफिसीस के वास्ते जो इसके अन्दर मैनशंड हैं उनके अलावा जितने भी आफिस आफ प्राफिट हैं उनके वास्ते मैम्बरशिप आफ पार्लियामेंट डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी । सैक्शन १ क्लाज ४ ने यह फैसला कर दिया है कि यह शैड्यल खुद बिल्कुल जामय है, एक्सक्ल्यूसिव है, इसके अन्दर जो आफसिस दर्ज हैं उनके अलावा कोई ऐसा आफिस नहीं होगा जो किसी को डिसक्वालिफाई करे । कानून हमेशा सर्टेन होना चाहिए । इस ऐक्ट की रू से इसको सर्टेन बना दिया गया है ।

उस जमाने में जब यह क़ानून विलायत में पास नहीं हुआ था, एक मशहूर अखबार 'टाइम्स' ने इस कानून के बारे में लिखा था उस वक्त जब यह सिलैक्ट कमेटी की स्टेज में था कि सिलैक्ट कमेटी ने बड़ा भारी एहसान किया है जो उसने एक शैड्यूल बनाने की कोशिश की है और उसने इंडिकेट किया है कि किस तरह का यह कानून होगा । 'टाइम्स' ने एक आर्टिकल में लिखा था कि कानून सर्टेन हो और उससे पता चल जाना चाहिए कि आफिस आफ प्राफिट क्या है । हमारा शैड्यूल बने और वह सटन हो और उससे यह पता चले कि आफिस आफ प्राफिट क्या है । इसके अलावा और कई चीजें इस ऐक्ट के अन्दर थीं जिन का हावाला टाइम्स ने दिया जिन को पढ़ना मैं गैर जरूरी समझता हूँ ।

इस वास्ते सब से पहली चीज जो हमें करनी चाहिये वह यह है कि हम एक शैड्यूल बनायें जिस में हम आफिस आफ प्राफिट का इंडिकेशन दें । वह एक जामे शैड्यूल होगा जिस के अन्दर सारे आफिस आफ प्राफिट आ जायेंगे । अगर सारे नहीं आयेंगे तो वह शख्स जो कि बावजूद उस शैड्यूल के अगर कहीं नौकरी कर लेगा तो उसको किसी सूरत में मैम्बरशिप से खारिज नहीं किया जाएगा । विलायत के ऐक्ट का एक चीफ मैरिट यह है मैं चाहता हूं कि हमारे एक्ट का भी चीफ मैरिट एक यह हो और यह चीज हमारे ऐक्ट के अन्दर भी आ जाये ।

हमारे ला मिनिस्टर साहब ने जो बिल पेश किया है वह एक नैगेटिव सा बिल है । उन्होंने तो यह कहा है कि फलां चीज डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी लेकिन यह बतलाने की तकलीफ नहीं की कि आफिस आफ प्राफिट है क्या । कौन कौन से आफिसिस हैं जिन को आफिस आफ प्राफिट कहा जाएगा । मैं यह मानता हूं कि यह एक बड़ा मुश्किल काम है । पहले तो आफिस की तारीफ करना मुश्किल है, फिर प्राफिट को तारीफ करना मुश्किल है और उसके बाद आफिस आफ प्राफिट की तारीफ करना मुश्किल है । जहां तक प्राफिट का सवाल है उन्होंने मौनेटरी प्राफिट को ही ख्याल में रखा है । चुनाचे उन्होंने लिखा है कि कम्पंसेटरी एलाउंस से अगर नीचे या कम्पंसेटरी एलाउंस की हद तक अगर कोई आफिस होगा जिस का उन्होंने जिक्र किया है, तो वह आफिस आफ प्राफिट नहीं होगा । गर्ज कि इसके अन्दर सिर्फ रुपये आने पाई का ही खयाल रखा गया है और किसी दूसरी चीज का नहीं, हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट में और सैकड़ों चीजें हैं जिन का हवाला उसमें दिया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

गया है । डा० अम्बेडकर, श्री सी० सी० बिसवास और बहुत से दूसरे मैम्बरों ने जिन्होंने उस मौके पर तकरीर की थी जब यह बिल बनाये गये थे, कहा था और साफ तौर से कहा था कि इसमें सिर्फ रुपये पैसे का सवाल नहीं है, बल्कि ऐसा आफिस जो किसी को इस हालत में रखता है कि वह पैट्रनेज दे सके, वह आफिस जिस में इन्फ्लूएन्स बढ़ता हो, जिसमें एग्जेक्टिव फंक्शंज का एक्सरसाइस हो, रुपये पैसे के डिसबर्समेंट का सवाल हो, इस किस्म के आफिस भी आफिस आफ प्राफिट बनते हैं । जहां पर मैं प्रेक्टिस किया करता था, वहां पर एक वकील मजाक में कहा करता था, कि मुझ को कोई तनख्वाह नहीं चाहिये । मुझ को आनरेरी थानेदार बना दें, आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दें, मैं राजी हूं । यह रुपये पैसे का मामला बहुत जरूरी है । जो सैलेरी लेकर सरकार की नौकरी करता है, वह पार्लियामेंट का मैम्बर होने के किसी भी सूरत में काबिल नहीं है । आनरेबिल मिनिस्टर्ज साहिबान की बात अलग से है और उनके बारे में मैं अलग से अर्ज करूंगा । लेकिन अगर किसी शख्स को ज्यादा पैट्रनेज मिलता है, ज्यादा डिगनिटी मिली है, ज्यादा अख्तयारात मिलते हैं, ज्यादा इन्फलयुएंस मिलता है, किसी आफिस की रू से, तो वह आफिस आफ प्राफिट की जद में आता है । लेकिन यह बिल इसकी बिल्कुल परवा नहीं करता है । यह बिल यह डिफाइन नहीं करता कि आफिस आफ प्राफिट है क्या । इसकी तरफ से इसने बिल्कुल आंखें बन्द कर ली हैं । एक ही चीज का ध्यान रखा गया है कि कहीं कोई कम्पेंसेटरी एलाउंस से एक पैसा ज्यादा तो नहीं लेता जैसे कम्पेंसेटरी एलाउंस हीं सब कुछ हो । कितने ही मिनिस्टर और कितने ही मैम्बर हमारे हाउस में ऐसे हैं जिनको जो कम्पेंसेटरी एलाउंस पार्लियामेंट देती है, वह उनके सामने हेच है और उससे कई गुना ज्यादा जरूरी वे गवर्नमेंट के कौफर्म में बतौर टैक्सों के अदा करते हैं । लेकिन जो ज्यादा जरूरी चीज है वह यह है कि पार्लियामेंट के मेम्बर इस काबिल न हों, इस प्रलोभन में न पड़ें कि वे अपनी स्वतंत्र राय की परवा ही न करें और सोचें कि इस तरह से मुझ को फलां जगह मिल जाएगी । वे किसी मिनिस्टर के जेर एहसान नहीं होने चाहियें, गवर्नमेंट के जेर एहसान नहीं होने चाहियें । उन्हें अपनी आजादी बरकरार रखते हुए अपना काम ईमानदारी के साथ कर सकने के काबिल होना चाहिए । हमें सोचना चाहिए कि आया यह चीज पूरी होती है या नहीं ।

ला मिनिस्टर साहब ने कहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न जो आने वाला है, उसमें हम को बहुत से लोगों की जरूरत होगी, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो यहां पर आ कर बहस कर सकें । मेरा खयाल है कि उनका यह नुक्तानिगाह उस प्वाइंट आफ व्यू से मेल नहीं खाता जो मैं उनके सामने रख रहा हूं । जो कमेटी हमारी बनी थी, वह हिन्दुस्तानियों की कमेटी थी, मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट की कमेटी थी । हम चाहते हैं कि अगर मैम्बर इस काबिल हैं कि वे देश को आगे बढ़ा सकें, किसी लेबर प्राबलैम में, किसी एजुकेशनल प्राबलैम में, किसी हैल्थ प्राबलैम में, तो वे जरूर मैम्बर बन सकें । हम को ऐसे मैम्बरों को काम करने के लिए एनकरेज करना चाहिए । लेकिन उसी के अन्दर हम ने इसके आखिर में दूसरा एक्सट्रीम काशन भी दे दिया है जिसके अन्दर ये दोनों खयालात रह सकें । जहां हम यह चाहते हैं कि मैम्बर पार्लियामेंट इन चीजों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा काम करें और उनको ऐसा करने के लिए एनकरेजमेंट मिले वहां साफ तौर पर लिखा है कि मैम्बरों की आजादी, उनकी प्योरिटी और फ्रीडम फ्राम कोरप्शन से भी ज्यादा जरूरी चीज यह है कि उनको ऐसे आफिसिस पर मुकर्रर न किया

जाए जिन के अन्दर वे यह सोचें कि हमारे ऐसा बन जाने से रुतबा बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, पैट्रनेज का अख्त्यार हमें मिल जाएगा । इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना होगा । किसी हद तक हमें विलायत के कानून से मुख्तलिफ कानून बनाना होगा । वहां पर कई सौ वर्षों से डेमोक्रेसी चलती आ रही है । वहां के लोगों की कई हैबिट्स बाई ट्रेडिशन बन गई हैं जिन की वजह से उन के अन्दर उस तरह का प्रलोभन नहीं आ सकता । बल्कि हमारी जो कांस्टीट्यूशन है और दूसरा मुतलका कानून है उसमें हमें कई तरह के अहकाम दिए हैं । वे विलायत के कानून से कहीं ज्यादा हैं हम को कोई अख्त्यार नहीं है कि जिस मेम्बर के साथ एक आफिस आफ प्राफिट अटैच होता हो उसको यहां बैठने की इजाजत दें । लेकिन उन्होंने अपने ही पास यह अधिकार रक्खा । यहां पर एलेक्शन कमिशन फैसला करता है वहां पर प्रिवी कौंसिल के तीन जजेज इसका फैसला करते हैं ।

मैं जनाब की खिदमत में अब उन ४, ५ सीगों की तरफ जाना चाहता हूं जिनका कि जिक्र हमारे ला मिनिस्टर साहब ने इस बिल के अन्दर किया है । पेश्तर इसके कि मैं उनकी तरफ तवज्जह दिलाऊं, मैं जनाब की तवज्जह सैक्शन १ पार्लियामेंट के उस ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके कि अन्दर वे आफिसेज दिये गये हैं जिनको कि आफिस आफ प्राफिट करार दिया गया है ।

फर्स्ट शैड्यूल में उन जुडिशल आफिसर्स का जिक्र है । आमतौर पर हमारे देश में वे जुडिशल आफिसर्स जो गवर्नमेंट की सैलरीज लेते हैं, वे पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं हो सकते लेकिन ताहम मैं जानता हूं कि कितनी कमेटीज ऐसी होती हैं जो जुडिशल काम करती हैं और उन पर पार्लियामेंट के मैम्बर्स मुकर्रर कर दिये जाते हैं और वे जुडिशल काम करते हैं । चुनांचे अजमेर में एक ऐसी कमेटी है, ऐक्साइज अपील कमेटी, उसमें इस हाउस के एक मेम्बर साहब हैं और आज तक हमने यह नहीं कहा कि वे उस कमेटी के मेम्बर होने से डिसक्वालिफाई हो जायेंगे और उनको हक है कि वे मेम्बर बने रहें । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी जुडिशल आफिसर का इस पार्लियामेंट का मेम्बर रहना हमारे खास हालात में मुनासिब नहीं होगा और उनको इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में सवाल उठता है कि हम अपने आनरेरी मजिस्ट्रेट्स का क्या करें, आनरेरी सिविल जजेज का क्या करें और आनरेरी रेवेन्यूज आफिसर्स का क्या करें । अगर खारी मैरिट्स पर देखा जाय तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर कोई आनरेरी जज या आनरेरी मजिस्ट्रेट यहां आकर देश की सेवा करना चाहता है और उनके यहां पर आने में आमतौर पर कोई हुज्जत नहीं होनी चाहिए और जैसे कि विलायत में जस्टिसेज आफ दी पीस को डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जम्प्शन हासिल है उसी तरह इनको भी यहां पर हो लेकिन जब मैं अपने देश के खास हालात को देखता हूं तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि वह चीज यहां के लिए मुनासिब नहीं होगी । मैं इस चीज से इंकार नहीं करता कि हमारे आनरेरी जजेज और आनरेरी मजिस्ट्रेट्स में अच्छे से अच्छे लोग भी मौजूद हैं लेकिन आनरेरी मजिस्ट्रेट्स के इंस्टीट्यूशन का अर्से से जो कि ट्रैडिशन चला आया है वह कोई अच्छा ट्रैडिशन नहीं रहा है, उसमें बुरी तरह से लोगों ने काम किया है यहां तक कि अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में लोग आनरेरी मजिस्ट्रेटों को टोडी बच्चा हाय हाय कह कर याद किया करते हैं । हमारी कमेटी ने इस देश के खास हालात को देख कर ही यह फैसला किया कि ऐसे अशखास को छूट न दी जाय लेकिन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इस बिल के अन्दर उसका कोई जिक्र ही नहीं है। अगर कोई आनरेरी मजिस्ट्रेट बन जाय और यहां पर पार्लियामेंट का मेम्बर बन जाय तो उसके वास्ते क्या होगा ? इस बिल की जद में वह आयेगा नहीं क्योंकि यह सिर्फ ऐग्जम्प्शन देने का बिल है, आफिस आफ दी प्राफिट का बिल नहीं है। जब वह यहां पर आयेगा तो प्रेसीडेंट साहब के पास उसका केस हुक्म के लिए भेज दिया जायेगा। उसका आफिस आफ प्राफिट में जिक्र नहीं है लेकिन उसके अख्तियारात हैं, उसको इज्जत और पैट्रोनेज मिली हुई है और उस वक्त यह फैसला करने में दिक्कत होगी कि आया वह आफिस आफ प्राफिट है या नहीं और यह कि वह इस हाउस में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह शैड्यूल मुकम्मिल होना चाहिए और जो शख्स पार्लियामेंट की मेम्बरी के लिए खड़ा हो उसको मालूम हो कि मैं कहां खड़ा हूं और मुझे खड़ा होना चाहिए कि नहीं। विलायत के अन्दर जस्टिसेज आफ दी पीस खड़े हो सकते हैं लेकिन हमारी कमेटी नहीं चाहती कि वैसा ही यहां इस देश में हो और यह आनरेरी मजिस्ट्रेट और सिविल जजेज वगैरह जहां हैं वहीं रह कर ईमानदारी के साथ अपना काम करते जायें। इन अशखास की जैसी रैपुटेशन है और जो उनके ट्रैडिशंस रहे हैं वे इस काबिल नहीं हैं कि हम उनको एग्जम्प्शन दे सकें।

इस बिल में जो दूसरी मद है उसमें पार्ट टाईम आफिसर्स लिख कर मिनिस्टर साहब ने एक ब्लैंक चैक दे दिया है। हमारी कमेटी ने यह रिपोर्ट की थी कि ऐसे अशखास जो गवर्नमेंट से सैलरीज हासिल कर सकते हैं या किसी तरीके से गवर्नमेंट के ऐम्पलाय में हैं चाहे पार्ट टाइम भी हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसे अशखास पार्लियामेन्ट के मेम्बर बन सकें। गवर्नमेंट का यह बिल उस कमेटी की रिपोर्ट के बरखिलाफ जाता है और जो हालात कि हमारे यहां पर आज सैंकड़ों वर्षों से मौजूद हैं और आज भी कायम हैं, उनके बरखिलाफ है चुनांचे मैं चाहता हूं कि यह रूल ऐब्सैलूट कर दिया जाय और सेलेक्ट कमेटी ऐसे सब सिविल एम्प्लाईज को चाहे वह गवर्नमेंट की इम्पलाय में हों अथवा किसी अन्य शख्स की किसी कैपेसिटी में इम्पलायड हों, उनको यहां पार्लियामेंट में आने की इजाजत नहीं होना चाहिए और मेम्बर बन कर यहां पर बैठने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मैं जानता हूं कि जब मैं किसी शख्स के खिलाफ डिस्कवालिफिकेशन लगाता हूं तो यह सीरियस डिसक्वालिफिकेशन है लेकिन जैसे हमारे देश के हालात हैं उनके देखते हुए हमारे देश के इंटेरेस्ट में यही है कि हम गवर्नमेंट के किसी आदमी को जिसके कि ऊपर गवर्नमेंट का इस तरीके का कोई असर हो कि उसकी राय के ऊपर काबू पा सकती हो, हमें इस सैक्रेड आफ दी हाउस प्रीसिक्ट्स में उसे दाखिल होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की आजादी बरकरार रहे तो हमको इस तरह की पाबन्दी रखनी लाजिम है।

मैं यहां पर उस चीज का भी जिक्र करना चाहता हूं जिसका कि हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहिब ने कानून में ब्लैंक चैक दिया है और जिसे कोई भी मेम्बर कबूल नहीं करेगा। मालगुजार, देशमुख, पटेल वगैरह जो कि दफा १२३ के सब सैक्शन ८ की जिम्न में आते थे और इस वजह से यह हुक्म था कि वे अशखास अगर किसी पार्लियामेंट के लिए खड़े होने वाले शख्स के लिए एलेक्शन में काम करेंगे तो उस शख्स का एलेक्शन इस बिना पर नाजायज करार दे दिया जायगा कि उसने गवर्नमेंट आफिसर्स की इमदाद एलेक्शन में हासिल की। चुनांचे अभी मेरे एक भाई ने मिसाल दी थी कि किसी शख्स की एक गांव के मुखिया ने पार्लियामेंट के एलेक्शन के वक्त उसकी इमदाद की थी और उस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका एलेक्शन नाजायज करार दे दिया। मैं किसी आदमी के बरखिलाफ जो कि पबलिक का काम

करता हो, कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं नहीं चाहता कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थानेदार वगैरह जिनकी कि बाबत मैं जानता हूं, कि वे सब किस तरह काम करते हैं और मैं पूछता हूं कि कौन उनके बारे में नहीं जानता, मैं ऐसे अशखास इस दरवाजे के अन्दर दाखिल नहीं होने देना चाहता और मैं चाहता हूं कि ऐसे अशखास को यह एग्जम्पशन न दिया जाय।

अब मालगुजार का सवाल आता है तो मालगुजार कोई गवर्नमेंट का नौकर तो होता नहीं है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जिन आदमियों के बारे में पूरी तहकीकात न की हो उनके बारे में हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तहकीकात करे और इस अम्र का फैसला करे कि आया उनको एग्जम्पशन मिले कि नहीं। अब जहां तक मालगुजार का सवाल है तो मैं भी एक मालगुजार हूं, गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देता हूं और मैं समझता हूं कि इस हाउस में ८० या ९० परसेंट मेम्बर्स ऐसे होंगे जिनके कि पास कुछ न कुछ जमीनें होंगी और वे मालगुजारी देते होंगे और मैं समझता हूं कि उसके बरखिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस को डिस्क्वालिफाई किया जाय अलबत्ता अगर एक मालगुजार के लिए यह माना जाय कि वह मालगुजारी में से कुछ हिस्सा अपने पास रखता है बतौर कमीशन मालगुजारी इकट्ठा करने की उजरत के तौर पर और बाकी हिस्सा जाकर सरकार के खजाने में दाखिल करता है तब तो बात दूसरी है। लेकिन तहसीलदार और थानेदार, जेलदार, तालाटी वगैरह, जिनके कि बारे में हर कोई जानता है कि वे किस तरह काम करते हैं, वे अगर यहां पालियामेंट में घुस आते हैं तो उसका हमारे देश की आजादी पर खराब असर पड़ेगा।

मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी उन तमाम ओहदों की जिनकी कि फेहरिस्त दे दी गई है, उनके बारे में तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट दे कि उन ओहदों को पालियामेंट की मेम्बरी के लिए छूट दी जाय कि नहीं।

लम्बरदार के लिए मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने दफा १२३ के सब सेक्शन (८) से यह छूट दे दी है और मैं चाहता हूं कि लम्बरदार के बारे में जांच की जाय कि आया वह अपने छोटे छोटे जो पैटी अफसरान हैं, उनके काबू में होगा कि नहीं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने १२३ (८) से ऐग्जम्पशन दी है और वह पालियामेंट की मेम्बरशिप के लिए खड़ा हो सकता है और जिसे कमेटी ने पालियामेंट की मेम्बरी के लिए लिखा है, मैं चाहता हूं कि उसको छूट दी जाय लेकिन जहां तक बाकी पैटी आफिशियल्स जैसे रैवेन्यू आफिसर्स वगैरह हैं उनको मैं नहीं चाहता कि इस तरह की छूट दी जाय। हर केस अपनी मैरिट पर देखना चाहिए और मैं चाहता हूं कि जिन ओहदों के बारे में कमेटी ने लिखा है उनके बारे में तहकीकात की जाय। अब मैं देश के दूसरे हिस्सों के हालात से वाकिफ नहीं हूं कि "देशमुख" वगैरह ओहदों के लिए कह सकूं कि वह इस काबिल हैं कि नहीं कि उनको एग्जम्पशन दिया जाय या न दिया जाय। मैं पंजाब के बारे में जानता हूं और पंजाब के बारे में अर्ज कर सकता हूं। बाकी सेलेक्ट कमेटी को हक होगा, उसका यह फर्ज होगा कि आइन्दा वह इस चीज की तहकीकात करे। हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने तो बिल्कुल कार्ट ब्लैंश राइट दे दिया है। मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ हूं क्योंकि यह हमारी इंडिपेंडेंस पर बड़ा खराब असर करेगा।

तीसरी जो चीज आती है वह आर्म्ड फोर्सेज की है और चौथी चीज है: **मेम्बर्स आफ दि पुलिस फोर्स, मेन्टेन्ड बाई दि पुलिस अथारिटीज।** जहां तक पुलिस का सवाल है, हमारी ...टी ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि एक सिपाही जो गवर्नमेंट से तन्ख्वाह पाता है

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वह डाइरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्टेड है और किसी सूरत में उसे इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह हाउस का मेम्बर बन जाय।

आगे इस बिल के अन्दर जिक्र है कैडेट आफिसर्स का, टेरिटोरियल आर्मी वालों का। कुछ जिक्र किया गया है होमगार्ड्स का। मैं चाहता हूं कि जहां तक इनका सवाल है, उसको मेरिट्स पर देखा जाय। अगर वह गवर्नमेंट के इतने काबू में हैं कि वह इंडीपेंडेंस कायम नहीं रख सकते तो वह किसी भी फोर्स के मेम्बर हों, उनको यहां आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कल हमारे एक आनरेबल मेम्बर ने जिक्र किया कि अगर ऐसा शख्स यहां आएगा तो क्या वह आर्मी के मामले में हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब के खिलाफ कुछ कह सकेगा? अगर आपने ऐसे मेम्बरों को रक्खा तो इससे हमारी आर्मी का ही नुकसान होगा। जहां तक आनरेरी आफिसर्स का सवाल है, जो रेगुलर फोर्स में नहीं हैं, हमने उनके लिए कानून बनाया है, जिसमें पब्लिक के आदमी देश की सर्विस कर सकते हैं, वह इन चीजों के अन्दर नहीं आएंगे जो कि रेगुलर आर्म्ड फोर्स के आदमियों पर लागू होती हैं। इसके अलावा जनाब मुलाहजा फरमाएं, इंग्लिश ला में भी लिखा हुआ है;

"(छ) किसी देश या राष्ट्रमंडल के बाहर के किसी देश के विधान मंडल का कोई सदस्य।"

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य संक्षेप में भाषण समाप्त करें। विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है। वहीं सारी बातों पर विचार होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक शेड्यूल का ताल्लुक है, यह शेड्यूल हमें जरूर बनाना पड़ेगा। हमें इससे कोई एस्केप नहीं है। हमें शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा और उसमें सब आफिसर्स को दर्ज करना होगा। जैसा मैंने विलायत के ला से पढ़ कर सुनाया, मैं जनाब की तवज्जह उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। आम तौर पर हर एक लेजिस्लेचर में यह दिक्कत नजर आती है। जब आम तौर से मिनिस्टर्स को इजाजत दी, कहा कि मिनिस्टर्स आफिस आफ प्राफिट में नहीं आते, तो कहा गया कि हम नहीं चाहते कि एक **लार्ज नम्बर आफ मिनिस्टर्स** इस हाउस में आ कर बैठें, १०० या १५० मिनिस्टर्स आकर बैठ जाएं और हमारे वोट पर पानी फेर दें। वहां विलायत में इसके लिए यह किया गया कि ७० से ज्यादा आदमी ऐसे नहीं होंगे जो मिनिस्टर्स हो सकें और उनमें से २७ आदमियों से ज्यादा को वोट देने का हक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस किस्म का कोई सैलूटरी ला यहां भी हो। जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया की मौजूदा शक्ल का सवाल है, इसके अन्दर जरूरत से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी उनकी तादाद इतनी एक्सेसिव न पहुंच जाय जो नान फिशल ओपीनियन को आफिशल ओपीनियन स्वेप कर दे। मुझे एक ऐसा माला याद है जब कि आफिशल ओपीनियन ने नानआफिशल ओपीनियन को डिफीट दे दी थी। मैं वह चीज दुबारा नहीं देखना चाहता। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया है लेकिन इसके लिए हमने कोई राय नहीं दी, क्योंकि ऐसे हालात पैदा नहीं हुए थे। लेकिन अब चूंकि हम वाजेह कानून बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐक्ट के अन्दर इस चीज को ध्यान में रक्खा जाय और यह फैसला किया जाय कि इससे ज्यादा तादाद मिनिस्टरों की नहीं होगी। मिनिस्टर की जगह आफिस आफ प्राफिट की करार देने के यह माने नहीं हैं कि मिनिस्टर इस हाउस में आएं और वह सारे हाउस को स्वेम्प कर दें: मैं कमेटी से यह उम्मीद करूंगा कि वह इसका पूरी तरह से मुताला कर के सब तरह से इस हाउस की आजादी को कायम रखने की कोशिश करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अलावा मैं इस बिल में जो कि हमारे सामने है, एक नई चीज देखता हूं। अब तक सिर्फ ऐडवाइजरी कमेटी की मेम्बरशिप का सवाल था, उसी के वास्ते लिखा गया था, ऐक्ट में भी वही लिखा गया था कि जब तक किसी का फंक्शन ऐसा न हो कि वह किसी को पैट्रनेज दे सकता हो, या इंफ्लुएंस कर सकता हो, तब तक ग्राम तौर से ऐसा होना चाहिए कि उसे ग्राफिस ग्राफ प्राफिट न करार दिया जाए और उसको एग्जेम्शन दिया जाय। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो बिल मिनिस्टर साहब लाए हैं, उसमें सारी चीज पर पानी फेरा जा रहा है और एक नई कैटेगरी बनाई जा रही है, जिस कैटेगरी में मुझे डर लगता है कि पता नहीं ग्राइन्दा वह क्या बनेगी।

तीसरी प्रकार की जो श्रेणी उन्होंने बनाई है उसमें (ज) भाग में जो कुछ कहा गया है मुझे फिलवाकया सबसे ज्यादा डर इस जिम्न से लगता है। ग्राप ऐडवाइजर मुकर्रर कर दीजिए, उसका नाम तो ग्राप ऐडवाइजर रख दीजिए लेकिन उसे सब पावर्स दे दीजिये, जुडिशल और एग्जिक्यूटिव, तहकीकात करने की, नौकर मुकर्रर करने की, सब तरह की। ग्राप तो कहते हैं कि **ही इज ऐन ऐडवाइजर**। किस चीज का ऐडवाइजर? "फार दि गवर्नमेंट ग्रार एनी ग्रदर ग्रथारिटी"। जितने ग्रापके कारपोरेशन हैं, सबके लिए ग्राप ऐडवाइजर मुकर्रर कर दीजिए, कह दीजिए कि तुम को यह ग्रख्यारात हैं। मैं ग्रदब से ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इतने वेग ग्रल्फाज रक्खे गए हैं कि **आफिस ग्राफ प्राफिट** के जो कानून ग्राप बना रहे हैं, वह बड़े डेन्जरस हैं। मैं नहीं जानता कि वह कहां पर स्टैन्ड करते हैं। इसमें जो ग्रनसर्टेन्टी और वेगनेस है, जो इनडेफिनिटनेस है, वह सबसे ज्यादा इसका कंडेम्नेशन है। मैं ग्रर्ज करूंगा कि ग्राप ऐडवाइजर मुकर्रर कीजिए, उसके ग्रन्दर कम्पेन्सेटरी ग्रलाऊंस ज्यादा न हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जब तक वह ऐडवाइस देता है। लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसी चीजें ऐडवाइजर को भी करप्ट कर सकती हैं जैसे नौकरी देने का हक, पैट्रनेज देने का हक, **डिस्बर्समेंट ग्राफ फंड्स** का हक। यह लोग हमेशा देखा करेंगे कि गवर्नमेंट ने हमें 'ऐडवाइजर' मुकर्रर किया है, हम कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दें। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहबान को ग्रपने को इस चीज से दूर रखना चाहिए कि वह किसी पार्लियामेंट के मेम्बर को पैट्रनेज दे सकें। पार्लियामेंट के मेम्बर को तो ऐसी पोजीशन ग्रख्त्यार करनी चाहिए कि वह दुनियां में परमात्मा के सिवा और कंट्री के इन्टरेस्ट के सिवा किसी की भी परवाह न करे। ग्राप ऐडवाइजर्स को इसमें से ग्रलग कर दीजिए, कम से कम उन ऐडवाइजर्स को जो इस तरह के इंफ्लुएंस को एक्सर्साइज करते हैं। इसमें तो हमारे मिनिस्टर साहब ने इन लोगों को एक कोर्ट ब्लैंश दे दिया है। यह ठीक नहीं है।

इसमें वाइस चान्सेलर की जो चीज रक्खी गई है, उसके बारे में मुझे ज्यादा कहना नहीं है, जो मैं जानता हूं कि वाइस चान्सेलर को ग्राफिस ग्राफ प्राफिट करार दिया जाय, लेकिन कमेटी ने यह तय किया कि सब चीजों पर गौर करने के बाद यह मालूम होता है कि यह जरूर ऐसा ग्रोहदा है जिसे ग्राफिस ग्राफ प्राफिट करार दिया जाय। हमको इस हाउस के ग्रन्दर वाइस चान्सलर्स का तजुर्बा है, कई वाइस चान्सेलर इस हाउस के मेम्बर रहे हैं। इस हाउस के तजुर्बे से ही श्री सी० सी० विस्वास ने यह राय दी थी कि वाइस चान्सेलर की जगह को ग्राफिस ग्राफ प्राफिट करार दिया जाय। दूसरी राय भी हो सकती है क्योंकि वह यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखने वाले हैं। वह काबिल ग्रादमी होंगे, लेकिन महज काबिलियत ही काफी वजह नहीं है। हम को यह करार देना चाहिए कि जहां उन्हें ज्यादा काबिलियत दिखलाने की जरूरत है, उस ग्रोहदे कर छोड़ को इस पार्लियामट में ग्राकर बैठें, यह ठीक नहीं है। फिर हम यह भी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नहीं चाहते कि यहां ऐसे मेम्बर आएं जो कि हमेशा यहां हाजिर न रहें। यह बिलकुल इन्कैम्पैटिबिल है। यह पहला फेज है, यह मेम्बर की एसेन्शल क्वालिटी है कि वह सात महीने तक यहां आ कर बैठे, और सब चीजों को पीछे छोड़ दे और इस हाउस में अपने फर्ज को अदा करने में कोताही न करे। मैं नहीं जानता कि कोई भी वाइस चान्सेलर यहां आकर इतना वक्त दे सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन्कम्पैटिबिलिटी के प्वाइंट आफ व्यू से यह फैसला ठीक है। मैं अपने मिनिस्टर साहब की काबिलियत की दाद देता हूं जिन्होंने आने वाले सोशलिस्ट पैटर्न का ख्याल कर के यह किया कि जो आदमी यहां आने के काबिल हों, उनको यहां आने से न रोका जाय। मैं इस चीज की दाद देता हूं लेकिन चूंकि आनरेबल मिनिस्टर साहब खुद इनकरप्टिबल हैं, वह नहीं जानते कि करप्शन क्या चीज है। अगर उनको दुनियां का तजुर्बा होता कि लोग किस तरह से आते हैं और कितना फायदा उठाते हैं तो उनको पता चलता वाकई ऐसे लोग कैसा कुरराहवाई करते हैं और पालियामेंट की प्योरिटी और मेम्बरान की आजादी रखने के नुक्तह ख्याल से उन्हें ऐसा बिल न बनाना चाहिए था।

मैं इस वास्ते अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कमेटी ने जो असली असूल रख दिये हैं उन उसूलों से तजाबुज न किया जाये। बहुत सारे मेम्बर पालियामेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनको किसी कमेटी का मेम्बर बनाकर या और किसी तरह से सेवा ली जा सकती है। मैं तो समझता हूं कि उनको ऐसा करने का मौका न देना देश को उनकी सेवा से महरूम रखना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बशर्ते उनके इंडिपेंडेंस में फर्क न आने पाये, हमको उन मामलात में मेम्बर पालियामेंट से मदद लेनी चाहिए जिनमें वे अहल हों। यह उसूल भी कमेटी ने देखा है और मैजारिटी व्यू यही था जो कि मैं कह रहा हूं गो कि माइनारिटी तो यह चाहती थी कि हर आफिस आफ प्राफिट को डिस्कवालीफिकेशन समझा जाये। हम जानते थे कि अभी हमारे देश की यह हालत है कि बहुत से मामलों में काम करने की महारत पालियामेंट को हासिल है। लेकिन हमको यह उसूल नहीं भूलना चाहिए, और हमको खास तौर से विलायत के तजुरबों से सबक सीखना चाहिए कि हमें इस देश के अन्दर ऐसी पालियामेंट रखनी है कि जिसका हर एक मेम्बर आजाद हो, हर एक मेम्बर ईमानदार हो, जो गवर्नमेंट के हर इनफ्ल्यूएंस को स्टेंड कर सके और वही काम करे जो कि देश के लिए अच्छा हो। यही उसूल है इस आफिस आफ प्राफिट के कानून का। अगर हम इस उसूल से डिपार्ट करेंगे तो हम गलती करेंगे।

मैं ज्वाइंट कमेटी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस कमेटी की रिपोर्ट का ख्याल रखें और विलायत के ऐक्ट के उसूलों को ध्यान में रखें।

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ताकि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं।

†श्री याज्ञिक (अहमदनगर): पंडित ठाकुर दास ने इस विधेयक की जो आलोचना की है उससे अब विरोधी दल को भी बहुत आसानी हो गयी है। अब अनर्हता से विमुक्ति के सम्बन्ध में तीन बातें स्पष्ट हो गई हैं अर्थात् लाभ के पद पर होने वाले व्यक्ति के पास संसद के कार्य के लिए काफी समय होना चाहिए, वह सरकार से स्वतंत्र कार्य करने के लिए समर्थ होना चाहिये और वह ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों पर कोई अनुचित प्रभाव न डाल सके जो इसके

†मूल अंग्रेजी में

अधीन काम करते हों। किसी विश्वविद्यालय का वाइस चान्सलर, जो कि सरकार की शिक्षा नीति को कार्यान्वित करता है, इस सभा में किसी विषय पर कैसे अपने स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकता है। फिर वाइस चान्सलर का प्रभाव हजारों अध्यापकों तथा विद्यार्थियों पर होता है। अतः हम इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि किसी वाइस चान्सलर को इस सभा का सदस्य बनने की अनुमति दी जाय।

संविहित निकायों के सभापतियों तथा गवर्नरों को भी इस विधेयक के अधीन अनर्हता से विमुक्त कर दिया है। पर मैं कभी भी यह बात स्वीकार नहीं करूंगा कि इन्हें संसद का सदस्य बनने की छूट दी जाये।

गांवों के राजस्व पदाधिकारियों के बारे में मैं अधिक जोर देना चाहता हूं। उनके बारे में हम सभी जानते हैं। उनके कामों और उनके रवैये के बारे में हम सब को पता है। ब्रिटिश सरकार के अधीन भी वे कार्यपालिका के एजंट थे और कांग्रेस के मार्ग में रोड़े अटकाया करते थे और आज भी वे कार्यपलिका के एजंट मात्र हैं। अतः मैं कभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वे इस संसद के लिए किसी भी तरह उपयोगी सिद्ध होंगे अतः मैं उनको मुक्त करने के विचार के विरुद्ध हूं।

लोक प्रतिनिधान अधिनियम के अन्तर्गत तो उन्हें चुनाव में सहायता देने की भी अनुमति नहीं थी। और आज इतना घृणास्पद उपबंध किया जा रहा है कि वह स्वयं उम्मीदवार बन सकेगा। अतः मैं आशा करता हूँ कि संयुक्त समिति इस विधेयक के उपबन्धों पर विचार करते समय माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बातों को ध्यान में अवश्य रखेगी।

†**श्री आचार** (मंगलौर): विधेयक को पुरःस्थापित करते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि हम चाहते हैं कि विशेष विशेषज्ञों को भी हम अपनी संसद में आने का अवसर दें। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि विशेषज्ञ होना और संसद का सदस्य होना दो बातें हैं। एक विशेषज्ञ अपनी कला पर अपने विज्ञान का विशेषज्ञ होगा। सभा में उस की कोई विशेष उपयोगिता नहीं होगी। फिर बड़े-बड़े साहित्यिक व्यक्ति या वैज्ञानिक वगैरह संसद का सदस्य बनना शायद पसंद भी न करें। हम विशेषज्ञों का, चाहे वे डाक्टर, वकील, वैज्ञानिक या इन्जीनियर हों, सहयोग अवश्य चाहते हैं पर इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि हम उनको संसद का सदस्य बनाये।

लाभप्रद पदों की परिभाषा का मामला वास्तव में व्याख्या का मामला है हम उसे नहीं उठाना चाहते पर क्या लाभप्रद पद पर होने वाला व्यक्ति इस संसद में स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकेगा? यदि नहीं, तो मैं यह नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति हमारी संसद में सदस्य बन कर आयें।

संविधान में साफ कहा गया है कि लाभप्रद पदों पर काम करने वाले व्यक्ति संसद सदस्यता के लिए अनर्ह होंगे। इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों को इस शर्त से छूट दी जा रही है जो सरकार के प्रभाव में होंगे। अतः मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

इसके अलावा इस विधेयक में अजीब अजीब उपबन्ध हैं। खण्ड २ (ज) (१) में और (३) में लम्बरदार, मालगुजार पटेल और देशमुख आदि को इस अनर्हता से विमुक्त करने की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

बात कही गयी है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अतः मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति इस विधेयक के उपबन्धों पर बहुत अच्छी तरह विचार करे अतः सरकार के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों को संसद का सदस्य बनकर आने की छूट न दी जाये।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह जो बिल पेश हुआ है और उस पर वक्ताओं की जो तकरीरें हुई हैं उन सबको मैं ने बहुत गौर से सुना। हमारे बहुत से दोस्तों को इस बात से ऐतराज है कि वाइस चांसलर, गांव के मुखिया और दूसरे लोगों को प्राफिट होल्डर माना जाय यद्यपि मैं उनसे इसमें सहमत हूं और मेरी समझ में यह ठीक बात भी है कि उनको आफिसेज आफ प्राफिट माना जाय।

इस बिल में मैं समझता हूं कि तमाम उन लोगों को जो गवर्नमेंट आफिसेज में हैं और सरकार के यहां से बाकायदा तनख्वाह पाते हैं उनको छोड़कर उन सब को इस बात की इजाजत दी गई है कि वे पालियामेंट की मेम्बरी के लिये खड़े हो सकते हैं जो कि हालांकि जाब्ते से तनख्वाह तो नहीं पाते लेकिन उनके पास पावर होती है और वे लोगों पर अपना असर बखूबी और कामयाबी के साथ डाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी इस पर गौर करे कि इन मिनिस्ट्रों का क्या होगा। मिनिस्टर के आफिस को आफिस आफ दी प्राफिट नहीं माना है लेकिन एलेक्शन का तजुर्बा हमें बतलाता है और मैं सैकड़ों मिसालें इस हाउस के सामने पेश कर सकता हूं जहां पर कि मिनिस्टरों ने बहैसियत एक मिनिस्टर होने के वोटरों पर खुद नाजायज़ दबाव डाला खुद हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस, गाजीपुर और बलिया में मंत्री महोदय अपने दौरे पर जाते थे और उन्होंने खुद तकरीरों में इसको धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी दशा में हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रीति से कैसे सम्पन्न हो सकता है यह कैसे संभव हो सकता है? सही मायने में कैसे चुनाव हो सकेगा जब कि यह मंत्रिगण स्वयं अपने ओहदों पर मौजूद रहेंगे और बहैसियत मंत्री के चुनाव में उतरेंगे। मेरी राय में तो अगर आप चाहते हैं कि देश के अन्दर सही माने में लोग आजादी से अपनी राय दें तो आपको ऐसी व्यवस्था यहां करनी पड़ेगी कि मंत्री लोग चुनाव में उतरने से पहले अपने मंत्रि-पदों से इस्तीफा दे दें वरना लाजिमी तौर पर इसका नतीजा यह होगा कि जब एक तरफ ऐसे लोग चुनाव में खड़े होंगे जिनके कि हाथ में सारे अधिकार होंगे तो जनता आजादी के साथ ऐसे लोगों को वोट नहीं दे सकेगी जो कि आफिसों में नहीं हैं क्योंकि उनको डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा करने से उनको परमिट न छिन जाय, तो किसी को डर रहेगा कि उसके लड़के की नौकरी न चली जाये। मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर्स, मुखिया और चैअरमैन आदि अपने नीचे के अमले पर दबाव डाल सकते हैं और उनके दबाव डालने से सही और आजादाना एलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। यहां कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि एलेक्शन ट्रिब्युनल ने महज इस बिना पर कि किसी शख्स ने मुखिया को एलेक्शन एजेंट बनाया था, उसके चुनाव को नाजायज़ करार दे दिया।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जब मिनिस्टर्स अपने ओहदों पर कायम रहते हुए चुनाव में खड़े होंगे तो लाजिमी तौर पर स्वतंत्र चुनाव हमारे देश में नहीं हो सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कानून में यह व्यवस्था हो कि मंत्री लोग चुनाव में जाने से पहले अपने ओहदों से इस्तीफा दें वरना हमारे देश में कतई तौर से सही चुनाव नहीं हो सकेंगे और विरोधी दलों के उम्मीदवारों को कोई वोट नहीं देगा। अभी पिछले चुनाव को ही ले लीजिये। इस ५३० के हाउस में मुश्किल से ८० या ६० ऐसे सदस्य बैठे हैं जो कि विरोधी दलों के हैं और आज हालत यह हो गई है कि विरोधी दल की ओर से अगर कोई सही से सही

बात भी हाउस में कही जाये तो चूंकि सरकारी दल के लोगों की यहां पर बहुत बड़ी संख्या है, इसलिये वह सही आवाज भी उनके आगे दब सी जाती है। अगर उसके सम्बन्ध में सरकारी बेंचों पर बैठने वालों से भी पूछा जाये तो वे भी कह देंगे कि हां होना तो वैसा ही चाहिये लेकिन फिर भी वोटिंग के वक्त उनको पार्टी अनुशासन का खयाल रखते हुए उसके विरुद्ध मत देना पड़ता है और जिसका कि परिणाम यह होता है कि वह सही चीज आगे नहीं बढ़ पाती और दब जाती है। इसलिये जनतंत्र रक्षा के लिये और विरोधियों को आगे बढ़ाने के लिये लाजिमी तौर पर यह अधिकार देना होगा । और भी देशों में यही नियम है। मंत्री महोदय को अपने पदों से चुनाव के पहले इस्तीफा देना होता है। लेकिन हमारे देश में उनके इस्तीफा देने की बात कौन कहे, वह लोग गांवों में जा कर अपने बल से लोगों से वोट लेते हैं। लोग तरह तरह के ओहदों पर रह कर गांवों में यह काम करते हैं और इस बिल के अन्दर उन्हीं को अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में गांवों में पंचायतों के चुनाव होते हैं, आप जा कर देखिये कि किस तरह से मुखिया और नम्बरदार इन लोगों के लिये वोट लेते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि बहैसियत मंत्री इन लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी मुखिया और नम्बरदारों को भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार न दे। अगर उनको यह हक मिल गया तो मैं समझता हूं कि लाजिमी तौर पर हमारे देश में जनतंत्र कायम नहीं हो सकेगा।

साथ ही साथ मंत्री लोगों के बारे में भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि और मुल्कों की तरह से हमारे देश में भी यह मिसाल कायम होनी चाहिये कि मंत्रियों को ओहदे पर रहते हुए चुनाव में न जाने दिया जाय। मैं आपको गाजीपुर की मिसाल बताता हूं। वहां मंत्री महोदय ने दो तीन कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन इस लिये रिकमेन्ड किया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को शिकायत लिखी कि वह लोग विरोधियों से मिले हैं। यह तो सब को मालूम है कि कौन सरकारी कर्मचारी विरोधी दलों से मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि उन लोगों को वोट नहीं मिला इसलिये उन्होंने बहाना बनाया और अधिकारियों को लिखा कि उन कर्मचारियों को हटा दिया जाये। इसी तरह से मीटिंग में खुल्लमखुल्ला इस बात का एलान किया गया कि अगर मैं चाहूं तो तुम लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लूं। गांवों में मंत्री लोग मीटिंगों में जा कर इस तरह की बातें कहते हैं कि अगर वह चाहें तो लोगों से वोट देने का राइट ही छीन लें। वह कहते हैं कि हमारी मर्जी की बात है जो कि तुम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, हम सब चाहें उसको छीन लें, हम जब चाहें तुम को गिरफ्तार कर लें और जेल भेज दें। मैं कोई लम्बी बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी तय करे कि चुनाव के लिये मंत्रियों को भी अपने पदों से इस्तीफा देना होगा जिसमें लोग आजादी से अपना वोट दे सकें वर्ना यह मानी हुई बात है कि जब इस तरह से मंत्री लोग गांवों में घूमेंगे, तो हम लोगों को कोई वोट देने वाला नहीं है। वह साफ साफ कहेंगे कि बाबा, तुम को वोट देकर हम क्या करेंगे ? तुम्हें वोट देने का मतलब है कि हम जेलों में जाएं, अपनी सर्विसज से निकाल दिए जायें।

उपाध्यक्ष महोदय: इस बिल में माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री सरजू पांडे : मैं यह चाहता हूं कि इस बिल में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि मंत्री लोग जब अपने पदों पर बने रहें, तब तक वह प्राफिटेबल पोस्ट मानी जाय और वह एलेक्शन में खड़े न हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मेम्बर न बन सकें ?

श्री सरजू पांडे : मेम्बर बनें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह आफिस आफ प्राफिट होगा तो वह मेम्बर कैसे बन सकेंगे जब तक कि उन्हें एग्जेम्पट न किया जाये ?

श्री सरजू पान्डे : वह खड़े होने से पहले इस्तीफा देकर मेम्बर बन सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: बगैर मेम्बर बने वह मिनिस्टर कैसे हो सकेंगे ?

श्री सरजू पांडे : मेम्बर तो बन सकते हैं, लेकिन एलेक्शन लड़ने से पहले उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहिये । इन मंत्रियों के लिये भी ऐसी व्यवस्था की जाये, सेलेक्ट कमेटी इन पर गौर करे ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लिया है मैं उनका आभारी हूं । सदस्यों ने चाहे विधेयक के उपबन्धों के पक्ष में कुछ कहा था विपक्ष में इसका महत्व यही है कि वे सभी सभा की गरिमा तथा उसकी स्वतंत्रता के सम्बन्ध में बहुत सचेत हैं । विचारों में मतभेद हो सकता है ; किसी समस्या के हल के बारे में मतभेद हो सकता है पर सभी सदस्य संसद की मर्यादा तथा उसकी परम्परा को स्थायी बनाने के लिये तत्पर हैं । श्री नाथपाई के **मांचेस्टर गार्जियन** नामक पत्र के विचार के बारे में जो कुछ कहा है वह ठीक है । आज १० वर्षों से जो दल सत्तारूढ़ है उसने पहले कभी भी इस प्रकार के विधेयक पारित करवा के कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया और अब भी माननीय सदस्य आशा रखें कि सत्तारूढ़ दल किसी भी विधेयक या उपबन्ध का नाजायज फायदा नहीं उठायेगा ।

परन्तु माननीय सदस्यों ने सभा की गरिमा तथा स्वतंत्रता की रक्षा के सम्बन्ध में अपनी उत्कट इच्छा व्यक्त करते हुए विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान नहीं दिया ।

प्रथम वक्ता ने कहा था कि यदि इस विधेयक को पास किया गया तो संविधान के अनुच्छेद १०२ का भी संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि यह विधेयक अनुच्छेद १०२ के विरुद्ध है । बाद में भी कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही । अतः इस आलोचना का उत्तर देना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह विचार निराधार है । जब संविधान सभा ने अनुच्छेद १०२ की रचना की थी तो उन्हें इस बात का भान था कि संसद को देश के हित को देखते हुये कुछ लाभ के पदधारी व्यक्तियों को अनर्हता से मुक्त करने का अधिकार होगा । इसी कारण अनुच्छेद १०२ में ही कहा गया है कि इस सम्बन्ध में संसद को अधिकार प्राप्त होंगे । इस अनुच्छेद के (क) में कहा गया है :

> "यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्हन होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए हैं ।"

इसका अर्थ यह है कि संसद् को अधिकार है कि वह इस बात की घोषणा कर सकती है कि कौन सा पद उसकी दृष्टि में लाभ-प्रद पद है । अतः यह बात कहना गलत है कि लाभप्रद पद होने वाला कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद १०२ के अधीन कभी भी संसद् सदस्यता के लिये अर्ह नहीं हो सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुच्छेद १०२ में यह अधिकार देना क्यों आवश्यक था इस सम्बन्ध में मैं ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बताया था। १९५० से १९५३ तक विभिन्न लाभप्रद पदों के व्यक्तियों को संसद की सदस्यता की अनर्हता से मुक्त करने के लिये जो अधिनियम पारित किये गये हैं उनको देखते हुए इस विधेयक को पारित करना अब बहुत आवश्यक हो गया है।

इस समय एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है जिसके कारण कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई है।

यह समझा जा रहा है कि अनर्हता हटाने का तात्पर्य किसी को सभा का सदस्य बनाने के ही समान है। इस कारण चारों ओर से तर्क किये गये हैं। यह कहा गया है कि उपकुलपति को जिसको बहुत से अन्य कार्य करने हैं सभा का सदस्य न बनाया जाये। उपकुलपति स्वयं ही निर्वाचित नहीं हो जायेंगे। निर्वाचन जनता पर निर्भर करता है और हमें जनता की बुद्धि पर पूरा विश्वास है। जो लोग जनता का विश्वास नहीं प्राप्त करेंगे वे इस सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। सभा में आने के लिये जनता का विश्वास प्राप्त करना और बहुमत से निर्वाचित होना बहुत आवश्यक है।

अनुच्छेद १०२ में संसदीय विधान की मूल बातें विद्यमान हैं उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं है।

यह कहा गया है कि उपकुलपति अथवा अमुक अमुक व्यक्तियों को इससे क्यों छूट दी जाय। उन्हें अन्य कार्य भी करना पड़ता है और ये दो कार्य एक दूसरे के विरोधी हैं। संविधान में भी राज्यों की विधान परिषदों में अध्यापकों और स्नातकों के लिये विशेष स्थान रखे हैं। यहां राज्य सभा में भी सदस्यों का चुनाव करते समय हम इस सिद्धान्त को अपने ध्यान में रखते हैं। अर्थात स्नातकों और अध्यापकों को राज्य सभा में चुने जाने की अर्हता प्राप्त है। लेकिन हमें कहा जाता है कि ज्योंही वे उपकुलपति बनें उन्हें विधि द्वारा, संसद् के सदस्य होने के लिये अनर्हत किया जाये। विधेयक का उद्देश्य इसी विधि सम्बन्धी अनर्हता को दूर करना है।

कई माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि सदस्यों को यहां पूरे समय कार्य करना चाहिये तथा उन्हें किसी अन्य कार्य को करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। यदि हम यह बात स्वीकार करें तो हममें से बहुत से लोग अनर्हत हो जायेंगे। इसलिये इस तर्क को मानना गलती होगी अन्यथा यह हमारे ऊपर ही आघात करेगा।

मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने हाल में ही खाद्य समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बहुत अच्छा काम किया है। उनके ज्ञान तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि से हमें बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने ऐसे समय जब कि संसद सदस्य नहीं थे बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन यदि आज हम उनके ज्ञान तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि का लाभ उठाना चाहें तो अनुच्छेद १०२ के अनुसार हम उन्हें परामर्शदाता के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिये इस विधेयक के क्षेत्र के अधीन मंत्रणा समितियां इत्यादि भी आ गई हैं। वस्तुतः इस विधेयक के उद्देश्यों के सम्बन्ध में लोगों ने बहुत गलत सोचा है। हमने कुछ ही वर्गों को छूट दी है। अधिक वर्गों को छूट देना संभव नहीं हो सका।

छूट के अन्तर्गत जो वर्ग हैं उनमें वे व्यक्ति आ जाते हैं जो देश तथा राष्ट्र की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। अवैतनिक रूप से लम्बरदार इत्यादि का कार्य लाभपद के अन्तर्गत नहीं आता है।

[श्री अ० कु० सेन]

तत्पश्चात् संघ सरकार के मंत्री इत्यादि हैं। यदि हम श्री पांडे के तर्क को स्वीकार करें तो मंत्री लोग सदस्य नहीं रह सकते हैं। वे उत्तरदायी सरकार से अनुत्तरदायी सरकार को अच्छा समझते हैं। हमने उत्तरदायी सरकार की एक ऐसी प्रणाली चुनी है जिसे अपने प्रत्येक कार्य का सभा में उत्तर देना होगा।

मुख्य चेतक और उप-मुख्य चेतक का कार्य उन सभी देशों में ज्ञात है जहां संसदीय प्रणाली की सरकार है। तत्पश्चात् राष्ट्रीय छात्र सेना, प्रादेशिक सेना, रक्षित तथा सहायक वायु सेना इत्यादि हैं। इनके द्वारा हम अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं को बलवान बना रहे हैं। देश की विशालता को ध्यान में रखते हुए स्थायी सेवा बहुत कम है। हमें उन नवयुवक अथवा नवयुवतियों को केवल इस कारण अनर्हित नहीं कर देना चाहिये कि वे देश भक्ति के कारण राष्ट्रीय छात्र सेना दल में शामिल हुए हैं

वस्तुतः इस तर्क पर किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं गया कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक नवयुवक और नवयुवती राष्ट्रीय छात्र सेना दल में शामिल हो सकते है, जिससे वे समय पर देश की रक्षा कर सकें और उन्हें अधिकतम त्याग करने तथा देश की स्वतंत्रता तथा परम्पराओं की रक्षा करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा सके। यदि हम श्री भरूचा की बात स्वीकार करें तो हमें उन नवयुवकों और नवयुतियों को पहिले ही बता देना चाहिये कि राष्ट्रीय सेना दल और सहायक सेना दल में भर्ती होने पर आप संसद सदस्य नहीं बन सकेंगे। क्या इससे हमारे नवयुवकों को सेना में जाने की प्रेरणा मिलेगी !

अब मैं गृह रक्षकों के प्रश्न को लेता हूं। पंडित ठाकुर दास भार्गव का आशय यह नहीं है कि उन्हें भी पृथक रखा जाये। बल्कि उनका आशय इसके विपरीत है। इस समिति ने गृह रक्षकों को छूट देने की सिफारिश की है। इसके अलावा यदि राष्ट्रीय छात्र सेना दल के सदस्यों को छूट दी गई है तो गृह रक्षकों को क्यों यह छूट प्रदान न की जाये।

अगला वर्ग शेरिफ का है। हमारे देश में शेरिफों के पद के सम्बन्ध में संगत संविधियां हैं। उनके कार्य हमारे देश में इंगलैंड या अमेरिका की तरह नहीं हैं। ये लोग सामान्यतः जनता के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से होते हैं और उनका चुनाव उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय की पूरी कोर्ट विभिन्न न्यायालयों के लिये शेरिफों का चुनाव करती है। इन लोगों को शिक्षा संस्थाओं और वाणिज्यिक समुदायों इत्यादि से चुना जाता है। शेरिफों को महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं जिनके लिये बहुत सावधानी और निष्पक्षता की आवश्यकता है। उनके द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। उन्हें न्यायालय के प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य सौंपे जाते हैं, आदेशों को क्रियान्वित करना होता है, मानहानि करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करना होता है और उन्हें बन्दी गृह में ले जाना होता है। वे बन्दियों को बन्दी गृह से सत्र न्यायाधीश के सम्मुख ले जाते हैं और वहां से वापस जेल पहुंचाते हैं। आदेशों को निष्पादन करने इत्यादि से उन्हें बहुत आय होती है। वह निष्पादन के दौरान जब्त की गई चल या अचल सम्पत्ति की बिक्री भी करता है। वह वस्तुतः कोर्ट का दायां हाथ है। शेरिफ न्यायालय के निर्णयों को क्रियान्वित करता है। इसी लिये उनको चुना जाता है। हमें यह बताया जा रहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण और निष्पक्ष कार्य करने वालों को संसद की सदस्यता के लिये अनर्हित घोषित कर दिया जाय। केवल इस आधार पर कि उनका चुनाव उच्च न्यायालयों द्वारा किया गया है।

इस के पश्चात् वे व्यक्ति आते हैं जो विशेष प्रयोजनों के लिये सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बन कर विदेशों को जाते हैं। प्रति वर्ष इस सभा के कई सदस्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र सभा इत्यादि में जाते हैं। और उन्हें कुछ भत्ते मिलते हैं। हमारी कर प्रणाली इत्यादि के कारणों से ऐसे व्यक्ति बहुत कम रह गये हैं जो प्रतिवर्ष बाहर जायें और सम्मेलनों में जाकर अपना धन व्यय करें। इसलिये यदि यह अनर्हता हटा दी जाये तो हम संसद् के किसी सदस्य को किसी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल में नहीं भेज सकेंगे। हमें सभा के बाहर के व्यक्तियों को शामिल करना होगा और केवल हमारे संसद् सदस्य होने का यह आशय होगा कि हम अपना कार्य कुशलता और बुद्धिमत्तापूर्वक नहीं कर पायेंगे। क्या कोई सदस्य केवल विदेश के किसी सम्मेलन में जाने से सभा का स्वतन्त्र सदस्य नहीं रह जाता? मेरे विचार से हम अपने सम्बन्ध में तुच्छ विचार कर रहे हैं। मेरे विचार से इस सभा के सदस्यों की क्षमता महान है तथा केवल विदेशों के सम्मेलन में भाग लेने या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने से उन की आत्मा बिक नहीं जाती है। संसद् सदस्यों को अपने महत्वपूर्ण कार्यों के अन्तर्गत इन कार्यों को भी शामिल करना है। सूची में अगले व्यक्ति निम्नलिखित हैं :--

"(१) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी संस्था के अलावा किसी भी अन्य संविहित संस्था के सभापति अथवा निदेशक या सदस्य जब तक कि विधि में जिस के अधीन या अनुसार उस की स्थापना हुई है स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्ध न किया गया हो, अथवा

(२) खंड (ग) में निर्देशित संस्था के अलावा किसी अन्य संस्था के सभापति और सदस्य, अथवा

(३) सरकार या किसी अन्य पदाधिकारी को लोक महत्व के कार्य में सलाह देने के प्रयोजन से नियुक्त अस्थायी मंत्रणादाता"

मैं इस सम्बन्ध में भार्गव समिति ने जो भी सिफारिश की है मैं उन से सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि संविहित संस्थाओं से सम्बन्धित अनर्हतायें हटा दी जायें। क्योंकि संविहित संस्थाओं, यथा भारतीय डाक्टरी चिकित्सा परिषद् में संसद सदस्यों को शामिल करना होता है। ऐसी संस्थाओं की एक पूरी सूची भार्गव समिति के प्रतिवेदन में दी है। प्रतिवेदन की कंडिका ७३ में जो कुछ कहा गया है उस का सारांश यह है कि समिति के सदस्यों के बहुमत की यह राय है कि भारत जैसे अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में जहां प्रतिभा की अधिकता नहीं है वहां संसद् सदस्यों को ऐसी समितियों में भाग लेने से वंचित करना उचित नहीं है। इसलिये अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किया जाय कि समितियों के सदस्य संसद् की सदस्यता के लिये अनर्हित न हों।

समिति ने अधिनियम में संविहित निकायों के सम्बन्ध में संगत परिवर्तन करने की सिफारिश की है लेकिन प्रत्येक अधिनियम में इस बात को शामिल करने की बजाय यह उपबन्ध इस विधेयक में कर दिया गया है क्योंकि संविहित निकायों की संख्या नित्य प्रति बढ़ रही हैं और प्रत्येक अधिनियम में अपवाद का खंड रखना कठिन है। हम ने समझा था कि संविहित निकायों की अनर्हता को दूर करने का उपबन्ध मूल अधिनियम में देने से प्रारूप भी अच्छा बनेगा।

इस प्रकार हम ने उपकुलपति वाले वर्ग को छोड़ कर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है। यह बात मैं चर्चा के प्रारम्भ में भी बता चुका हूं।

पटेल व मालगुजारों के सम्बन्ध में एक और बात कहनी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से ऐसे राजस्व अधिकारियों से जो गांव का हिसाब किताब रखने का कार्य करते हैं सहायता लेने की कुप्रथा जारी हुई लेकिन उन्होंने पटेलों, मालगुजारों तथा इसी प्रकार

[श्री अ० कु० सन]

के अन्य अधिकारियों को छोड़ दिया। इस का स्पष्ट आशय यह था कि पटेल मालगुजार इत्यादि की सहायता लेना कदाचरण नहीं समझा जा सकता। पटेल व मालगुजार के पद पैतृक हैं और प्राचीन काल से ही वह बहुत लाभदायक कार्य कर रहे हैं; बहुत से स्थानों से विशेषतः महाराष्ट्र से कई पटेल निर्वाचित भी हुए हैं।

ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें प्राचीन काल से ही इस पद पर पैतृक अधिकार प्राप्त हैं उन्हें संसद् की सदस्यता के लिये अनर्हत किया जाय। यह दूसरा प्रश्न है कि वे निर्वाचित किये जायेंगे या नहीं। लोग उन्हें पराजित कर सकते हैं और यदि किसी व्यक्ति का प्रभाव है तो वह अपने मित्र को भी निर्वाचित करवा सकता है। इन लोगों के विरुद्ध यही तर्क दिया गया है कि उन पदाधिकारियों का प्रभाव बहुत अधिक है। यह बात गलत है कि लोग भेड़ों की तरह अन्धे हो कर उस की बातें मानेंगे। उस का प्रभाव उसे अनर्हित कर समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वह अपने स्थान में दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर मनचाही बात करवा सकता है।

यह एक टैक्नीकल और विधि संबंधी प्रश्न है कि क्या उस के पद में कोई ऐसी बात अन्तर्ग्रस्त है जो उसे सदस्यता के लिये अनर्हित करे।

भले ही हम परस्पर सहमत न हो तथापि हम सब की यह सामान्य इच्छा है कि इस संस्था की स्वतन्त्रता बनी रहे। यह संस्था ऐसे सदस्यों के सहयोग से तरक्की करेगी जो जनता द्वारा निर्वाचित हैं और ऐसी विधि के अधीन निर्वाचित हैं जिस ने अनर्हता हटा दी है। प्रतिनिधियों का चुनाव अन्ततः जनता पर निर्भर करता है। यह इस संविधान तथा इस संस्था का आधारभूत सिद्धान्त है। मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि हमारी जनता सर्वोत्तम व्यक्तियों को निर्वाचित करेगी और वे इस संस्था की महानता बनाये रखने का भरसक प्रयत्न करेंगे। सदस्यों की यह आशंका कि इन विमुक्तियों के कारण सदस्यों की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी बिल्कुल निराधार है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

नामों की सूची में कुछ गलती रह गई है। श्री रामेश्वर राव के स्थान पर श्री जगन्नाथ राव का नाम रख दिया जाय और श्री विमल घोष के स्थान पर श्री खुशवक्त राय का नाम रख दिया जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक के सम्बन्ध में १४-१२-१९५७ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में,—

(१) "Shri J. Rameshwar Rao" ("श्री जे० रामेश्वर राव") के स्थान पर "Shri Jagannatha Rao" ("श्री जगन्नाथ राव") शब्द रखे जायें।"

(२) "Shri Bimal Comar Ghose" ("श्री बिमल कुमार घोष") के स्थान पर "Shri Khushwqt Rai" ("श्री खुशवक्त राय") शब्द रखे जायें"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ईश्वर अय्यर का संशोधन संख्या ८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक के सम्बन्ध में १४-१२-१९५७ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में,—

(१) "Shri J. Rameshwar Rao" ("श्री जे० रामेश्वर राव") के स्थान पर "Shri Jagannatha Rao" ("श्री जगन्नाथ राव") शब्द रखे जायें ।

(२) "Shri Bimal Comar Ghose" ("श्री बिमल कुमार घोष") के स्थान पर "Shri Khushwqt Rai" ("श्री खुशवक्त राय") शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ को, दोनों सदनों की ३० सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में लोक सभा के २० सदस्य, अर्थात्, सरदार हुक्म सिंह, पं० ठाकुर दास भार्गव, श्री म० रं० कृष्ण, श्री बसुमतारी, श्री राजेश्वर पटेल, श्री चतुर्वेदी, श्री जीन चन्द्रनन्, श्री रा० स० तिवारी, श्री सुब्बया अम्बलम्, श्री सिद्ध नंजप्पा, श्री पन्ना लाल, श्री जगन्नाथ राव, श्री दामानी, श्री राने, श्री खुशवक्त राय, श्री महन्ती, श्री ब्रजराज सिंह, श्री घोषाल, श्री ईश्वर अय्यर, और अ० कु० सेन, और राज्य सभा के १० सदस्य हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसी विभिन्नताओं तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष करे, और

कि यह सभा, राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें विधेयक)

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं *:

"कि कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क-लगाने और उसे वसूल करने तथा आय के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने तथा उन वस्तुओं को अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के लिये विशेष महत्व की वस्तुयें घोषित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की शिफारिश से प्रस्तुत किया गया

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २७२ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह उस अनुच्छेद की सभी उपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता।

पहली बात तो यह कि इस विधेयक में शुद्ध आगम के राज्यों में वितरण के सिद्धान्त नहीं दिये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि वितरण-योग्य राशि बताने के साथ ही, इस विधेयक को उस राशि की मात्रा निधारित करने का सिद्धान्त भी बताना चाहिये।

इसलिये, यह विधेयक अनुच्छेद २७२ की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता, और हम इस के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर सकते।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** लेकिन माननीय सदस्य विधेयक पर विचार करने के समय अपनी ये आपत्तियां उठा सकते हैं। तब हम उन पर विचार करेंगे।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : गत शुक्रवार को, इस विधेयक की पुरः स्थापना की अनुमति मांगते समय, मैंने सभा को इस विधेयक द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त रोपणों के बारे में बताया था। मैं ने सभा को प्रत्येक शुल्क की दर और उन से पूरे वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित आय का भी एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया था। वह माननीय सदस्यों को याद ही होगा। इसलिये, अब मैं इन शुल्कों के शुद्ध आगम के वितरण से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में ही कुछ कहूंगा।

ये अतिरिक्त शुल्क वस्तुओं के वर्तमान बिक्री कर के स्थान पर ही लगाये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को तो केवल संघ क्षेत्रों सम्बन्धी आगम से ही मतलब है। इसलिये इस करधान का सारा लाभ राज्यों को ही होगा। इन से प्राप्त होने वाले शुद्ध आगम में से केवल एक प्रतिशत के बराबर राशि को ही केन्द्रीय सरकार अपने पास रखगी। शेष सारी राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों में वितरित कर दी जायेगी।

आयोग द्वारा सुझाई गई वितरण की योजना को लागू करने के दौरान में, हम उस में एक छोटा सा रूपभेद भी इसलिये कर रहे हैं कि वह साधारण संघीय उत्पादन शुल्क के हिस्से-बांट के लिये की गई आयोग की सामान्य सिफारिशों के साथ मेल खा सके। माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि आयोग ने न्यसन की योजना के सम्बन्ध में एक यह भी सिफारिश की है कि आठ वस्तुओं पर लगने वाले उत्पादन शुल्कों के शुद्ध आगम का २५ प्रतिशत राज्यों में वितरित किया जाना चाहिये। इन वस्तुओं में, चीनी और तम्बाकू भी शामिल हैं, जिन पर अब अतिरिक्त शुल्क रोपित किये जा रहे हैं। सरकार का अपना विचार यह है कि इन अतिरिक्त शुल्कों के शुद्ध आगम की २५ प्रतिशत राशि को आधारभूत शुल्कों की भांति ही वितरित करना उचित होगा और उन की बकाया राशि को आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही वितरित करना चाहिये।

यह इसलिये किया जा रहा है कि यदि कोई राज्य विशेष किसी योजना विशेष के अनुसार नहीं चलना चाहता तो, वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार, उस राज्य को यह अधिकार होगा कि वह चीनी और तम्बाकू पर रोपित किये जाने वाले इन अतिरिक्त शुल्कों का २५ प्रतिशत भाग ले सके। इस प्रक्रिया को उचित रूप में, इस सभा द्वारा स्वीकृत एक विधान में सम्मिलित कर लिया गया है। हम वधानिक स्थिति बनाये रखना चाहते हैं। वित्त आयोग ने इन राज्यों को जितनी राशि की अदायगी की

---

†मूल अंग्रेजी में

सिफारिश की थी वह भी ज्यों की त्यों रखी जा सकती है, लेकिन निसन्देह ही एक ऐसी व्यवस्था भी रखनी ही पड़ेगी कि इस के अतिरिक्त जिस राशि की अदायगी होगी, जिस का राज्यों को वास्तव मे अधिकार होगा, वह आयोग द्वारा बताई गई राशि और उन को विधि द्वारा सम्मत राशि का अन्तर ही होगी। इस का स्पष्ट प्रभाव यह होगा कि आयोग की सिफारिश तो कार्यान्वित हो जायेगी, लेकिन यदि कोई राज्य इस योजना को नहीं मानता, तो वह इस राशि में से कोई भाग की मांग भी नहीं कर सकेगा। इस में ऐसी वैधानिक सम्भावना के विरुद्ध व्यवस्था भी हो जायेगी। आयोग ने जितनी भी राशि की सिफारिश की है, उस की बकाया राशि को भी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही वितरित किया जायेगा।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के रोपण के साथ ही, राज्य सरकारों ने इन वस्तुओं को राज्य बिक्री कर और अन्तर्राज्यिक बिक्री कर से विमुक्त करने के लिये कार्यवाही की है। लेकिन, समस्या तो यह है कि बाजारों में इन वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा मौजूद है। और यदि हम कोई विशेष कार्यवाही न करें तो उन पर न तो नये अतिरिक्त शुल्क और न पहले का बिक्री कर ही संग्रह किया जा सकता है। बिचौलिये लोग इस स्थिति से लाभ उठायेंगे। इस से उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिये राज्य-सरकारें इस बात को सुनिश्चित बनाने का प्रयास कर रही हैं कि अस्थायी प्रकार के इन स्टाकों को रखने वाले व्यापारियों से किसी प्रकार का समझौता कर के उन से बिक्री कर संग्रह किया जा सके। इसलिये, इन वस्तुओं पर थोड़े समय के लिये बिक्री कर लगाया जा सकता है। यह विधेयक का आधार जिस योजना पर है वह इसी धारणा पर आधारित है कि इस में सभी राज्य हाथ बटायेंगे। इस के सम्बन्ध में एक समझौता भी किया गया है। लेकिन वह एक आपसदारी का ही समझौता है, उस का कोई संविहित या औपचारिक आधार नहीं है। लेकिन पूरी पूरी सावधानो रखने के विचार से हमें राज्यों में वह राशि वितरित करने की व्यवस्था करनी पड़ी है जिसे पाने का उन्हें अधिकार है, और साथ ही हमें इस विधेयक में किसी भी राज्य द्वारा बाद में इस आपसी समझौते को न मनाने की संभावना के विरुद्ध भी व्यवस्था करनी पड़ी है।

यह तो स्पष्ट ही है कि कोई भी राज्य इस प्रकार अपना विचार बदलने के साथ साथ, अतिरिक्त शुल्कों के शुद्ध आगम में से अपने उस हिस्से के वितरण की मांग नहीं कर सकता जो बिक्री कर को हटाने पर ही दिया जायेगा। इसीलिये, विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि १ अप्रैल, १९५८ के बाद जो भी राज्य इन वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाये उस के हिस्से की राशि के किसी भी भाग को केन्द्र रोक सकता है। बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का एक मुख्य प्रयोजन यह है कि बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली इन तीनों वस्तुओं के कराधान में एकरूपता लाई जाये। यदि कोई राज्य १ अप्रैल, १९५८ के बाद, इस शुल्क के आगम में से अपना हिस्सा लेने के बाद, इन में से किसी वस्तु पर मन चाहा कर ले सकेगा, तो फिर यह प्रयोजन ही विफल हो जायेगा।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

सरकार का विचार यह है कि इस सम्भावना से बचने के लिये, वांछनीय यही है इन तीनों वस्तुओं को अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के लिये विशेष महत्व की घोषित की जाने वाली वस्तुओं की सूची में सम्मिलित कर दिया जाये। यह इसलिये भी उचित है कि इन तीनों वस्तुओं का अन्तर्राज्यिक व्यापार काफी होता है। इन का निर्माण कुछ राज्यों में ही होता है और फिर ये सारे देश में भेजी जाती हैं। तदनुसार, विधेयक में एक व्यवस्था की गई है कि इन वस्तुओं को १ अप्रैल, १९५८ से घोषित वस्तुयें बनाने की अधिसूचना कर दी जाये। उसका परिणाम यह होगा कि उस तिथि या उस के बाद इन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कोई भी बिक्री कर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १५ में लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा, अर्थात् कोई भी राज्य इन वस्तुओं पर दो प्रतिशत से अधिक बिक्री कर रोपित नहीं कर सकेगा।

†श्री महन्ती : मेरे औचित्य प्रश्न का क्या हुआ ?

†सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपने तर्कों को दोहरा दें। मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं थी ।

†श्री महन्ती : यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २७२ के अनुसार पुरःस्थापित किया गया है, लेकिन वह उस अनुच्छेद की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता ।

मैं पहले दिखा चुका हूं कि इस विधेयक में राज्यों को वितरित किये जाने वाले आगम के वितरण और उस वितरण की राशि की मात्रा को निर्धारित करने के सिद्धान्त निरूपित नहीं किये गये हैं। इन सिद्धान्तों को बताना आवश्यक है। उन के बिना, हम इस के गुण दोषों पर विचार नहीं कर सकते।

इसलिये, इस विधेयक को नियम विरुद्ध कर दिया जाना चाहिये ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी: अनुच्छेद २८० के उल्लेख से बात स्पष्ट हो जाती है । अनुच्छेद २८० का खण्ड १(३) (ख) देखिये :

> "भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में;"

वित्त आयोग ने इसी सिलसिले में राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों की सिफारिश की । उस विनियोग विशेष के संमबंध में पालनीय सिद्धान्त उसी को बताना चाहिये ।

सभा ने इस विषय के सम्बन्ध में चर्चा की थी और सहायक अनुदानों के बारे में विधेयक का अनुमोदन किया था। इस विधेयक विशेष में सहायक अनुदानों का उल्लेख नहीं है । इसलिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी अनुच्छेद २८०(३) (ख) का उल्लेख करना या सिन्धात के निरूपण की आवश्यकता का तर्क देना संगत नहीं है ।

माननीय सदस्य ने तो विधेयक पर ही आपत्ति की है । मैं उन से कहता हूं कि यदि उन की परिभाषा को मान ली जाय, यह भी मान लिया जाये कि इस विधेयक में सिद्धान्त नहीं बताये गये, तो भी वे सूती कपड़ों,चीनी और तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क रोपित करने वाले प्रस्ताव पर सभा द्वारा विचार किये जानें का विरोध नही कर सकते। यह शक्ति तो राज्य में निहित ही है और अनुच्छेद २७० में उसे मना नहीं किया गया है । केवल राज्यों में किये जाने वाले वितरण के लिये ही संसद् द्वारा विधि निर्मित करने की आवश्यकता होती है । सरकार द्वारा निश्चित वितरण की प्रत्येक योजना विधि द्वारा समर्थित होनी चाहिये ।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह तो उल्लिखित की गई वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर संघ द्वारा रोपित किये जानें वाले उत्पादन शुल्कों से संबंधित है, जिन के लिये, वे कहते हैं कि वितरण के सिद्धान्त स्पष्ट रूप में बताये जाने चाहिये ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा कहना यह है कि संघ सूची में उल्लिखित औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री सम्बंधी सामग्रियों पर लगने वाले उत्पादन शुल्कों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर लगने वाले उत्पादन शुल्क भारत सरकार द्वारा ही रोपित और संग्रह किये जायेंगे । लेकिन, यदि संसद् विधि द्वारा व्यवस्था कर देगी तो शुल्क का रोपण करने वाली वह विधि जिन जिन राज्यों में लागू होगी उन को भारत की संचित निधि में से अदायगी कर दी जायेगी । वास्तव में, हम जिन आठ वस्तुओं के

---

†मूल अंग्रेजी में

शुल्कों के संग्रह का २५ प्रतिशत राज्यों को दे रहे हैं, उन के अलावा सूती कपड़े जैसी अन्य वस्तुयें भी हैं। उस का संग्रह अनुच्छेद २७२ के अनुसार किया जाता है। वह अनुसूची ७, सूची १ द्वारा सरकार में निहित की गई शक्ति के द्वारा ही संग्रह किया जाता है। सामान्य तौर पर वह राज्यों में नहीं किया जाता। लेकिन यदि संसद् इस विधि को स्वीकार कर ले, तो इस मामले विशेष में उसे राज्यों में वितरित करने का प्रस्ताव है।

स्थिति यह है कि इस विधेयक विशेष का खण्ड ४ ही, माननीय सदस्य के अनुसार, संविधान के प्रतिकूल होगा। यदि उन की बात सही भी मान ली जाय तो भी इस विधेयक के खण्डों १, २, ३, ५, ६ और ७ में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें इस पर विचार न करने दे। यदि इस का खण्ड अस्वीकृत होता है, तो अनुसूची भी अस्वीकृत हो जाती है। अनुसूचियों में वितरण को काफी ब्यौरेवार ढंग से रखा गया है। वह काफी विस्तृत है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं तो चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे यह बतायें कि हमें इस विधेयक में कौन से सिद्धान्त समाविष्ट करने चाहियें। यदि माननीय मित्र कहते हैं कि मैं ने इस में कोई त्रुटि रहने दी है, तो वे बतायें कि वह त्रुटि क्या है। उन के "सिद्धान्त" शब्द के उच्चारण मात्र और अनुच्छेद २८० (३) (ख) में उल्लिखित उस की परिभाषा का उल्लेखमात्र कर देने से ही तो मेरी समझ में यह नहीं आ जायेगा कि वे कौन सा सिद्धान्त रखना चाहते हैं, जो अनुच्छेद २८० की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकेगा। माननीय मित्र को यह बताना चाहिये कि इस के लिये कौन से सिद्धान्त निर्धारित किये जायें, या इस में कौन सी चीजें रखी जायें जिस से अनुच्छेद २७२ की अपेक्षाओं की पूर्ति हो जायेगी। मान लीजिये कि मेरे प्रारूपण में त्रुटि है, तब भी उस का मंशा, उस का उद्देश्य तो स्पष्ट है। प्रश्न तो त्रुटिपूर्ण प्रारूप का ही है, उद्देश्य का तो नहीं। वह तो अनुसूची में काफी विस्तार के साथ स्पष्ट कर दिया गया है। हमें इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिये कि वितरण में किसी भी राज्य के अधिकार विशेष को जरा भी चोट न पहुंचे। मेरा मतलब यह है कि राज्यों को इस सभा द्वारा पारित और निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार चीनी और तम्बाकू पर संग्रह किये जाने वाले उत्पादन शुल्कों की राशि का २५ प्रतिशत पाने का अधिकार है। इसीलिये, व्यवस्था की गई है कि उस की यही दर रहेगी।

उस दर के अतिरिक्त, वित्त आयोग ने इसी राशि की व्यवस्था की है। वह लगभग सहायक अनुदान ही है। उस में यह अन्तर की राशि जोड़ दी जायेगी,। राज्यों को जितना कुछ पाने का अधिकार है, वित्त आयोग ने उन को कितना कुछ देने की सिफारिश की है, उस पर विचार किया जायेगा और उस में अन्तर की यह राशि जोड़ दी जायेगी और दोनों को कुल राशि उन के लिये सुनिश्चित रहेगी। अब यदि इस पर कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो उसे बताना चाहिये कि उस की आपत्ति क्या है, इस में अभाव किस चीज का है। केवल यही कहने से काम नहीं चलेगा इस में सिद्धान्त का अभाव है। माननीय सदस्य को कोई ऐसी ठोस चीज बतानी चाहिये, जिसे दूसरे भी देख-समझ सकें, तभी वे उस पर विचार कर सकेंगे,। इसलिये, इस औचित्य प्रश्न का कोई आधार ही नहीं है। वह न तथ्यपूर्ण है और न विधि सम्मत।

†**श्री महंती** : वित्त मंत्री ने मुझ से त्रुटि को दूर करने, अभाव की पूर्ति करने के लिये कहा है। यह कार्य वित्त मंत्रालय का है।

मैं मानता हूं कि अनुच्छेद २७२ के अनुसार वितरण के विधि द्वारा अधिसूचित सिद्धान्त बताना तभी आवश्यक होता है जब कि शुल्कों को राज्यों में वितरित करने का प्रश्न उठता है। लेकिन, इसलिये, मैं पूछता हूं कि इस विधेयक में वितरण के वे सिद्धान्त कहां बताये गये हैं? अनुसूची को सिद्धान्त नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महंती]

कहा जा सकता। और जब तक वे सिद्धान्त नहीं बताये जाते, तब तक सभा इस पर विचार नहीं कर सकती ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): मेरा अपना विचार तो यह है कि यह विधेयक सिद्धान्तों से परिपूर्ण है। एक निश्चित प्रतिशत मात्रा राज्यों में वितरित करने का सिद्धान्त ही है। सिद्धान्त शब्द को संकीर्ण अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिये। यदि सभा निर्धारित करती है कि अमुक वितरण के लिये अमुक प्रणाली का पालन किया जायेगा, तो वह उस का सिद्धान्त ही है।

सिद्धान्त केवल हवाई ही नहीं होते। उन में कुछ निश्चित और निर्धारित आंकड़े भी हो सकते हैं। इस विधेयक में भी वितरण के ऐसे ही सिद्धान्त दिये गये हैं। हम उन्हें पसन्द या नापसन्द करें, यह दूसरी बात है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** मैं कह चुका हूं कि माननीय सदस्य ने एक शब्द जाल सा बुन दिया है, उन्होंने यह बताया ही नहीं कि सिद्धान्त क्या होना चाहिये। श्री नौशीर भरूचा ने बताया ही है कि पूरी अनुसूची में वितरण के सिद्धान्त ही दिये गये हैं। वित आयोग ने सिफारिश की थी कि हम इन शुल्कों के आगम के वितरण में इन राज्यों की पहले की आय संरक्षित रखनी चाहियें, और प्रत्येक अतिरिक्त राशि को प्राथमिक तौर पर जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत मात्रा के आधार पर वितरित करना चाहिये आप पायेंगे कि कपड़े के मामले में सामान्यतया यही किया जा रहा है, अर्थात् भाग (३)—सूती कपड़े के अतिरिक्त शुल्कों के वितरण—के संबंध में यही किया जा रहा है। उस में केवल दो अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में वह राशि में उल्लिखित है जो राज्यों को उन के चालू राजस्व को सुरक्षित रखने के लिये अदा की जानी चाहियें, और कितनी बकाया राशि छोड़ दी गई है, या आगे चल कर किसी अवसर पर कितनी बकाया राशि छोड़ी जायेगी। यह बताया गया है। यह बकाया राशि, जो समय समय पर उत्पादन की वृद्धि या इन वस्तुओं की वृद्धि के कारण होती है, उस के तिवरण की भी प्रतिशत मात्रा का आधार बताया गया है। उस बकाया राशि का वितरण ९० प्रतिशत तो जनसंख्या के आधार पर और १० प्रतिशत अन्य आधारों पर किया जायेगा। लेकिन चीनी और तम्बााकू के सम्बन्ध में हमें इसे बदलना पड़ता है जिस से कि वितरण के सिद्धान्त या वितरित की जाने वाली राशि की मात्रा को कोई हानि न पहुंच सके। हमें उस सारणी में इसलिये परिवर्तन करने पड़ते हैं कि आकस्मिकताओं के काल में भी स्थिति ठीक बनी रही। उदाहरण के तौर पर, कभी कोई राज्य कह सकता है कि वह इस में सहयोग नहीं करेगा और वह इस उत्पादन शुल्क के संग्रह में से अपना हिस्सा भी नहीं लेना चाहता। वह केन्द्र से उसे अलग करने के लिये कह सकता है। लेकिन, इस सभा द्वारा गत सप्ताहों में पारित किये जाने वाले एक विधान के अनुसार तो हमें चीनी और तम्बाकू पर संग्रह किये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के शुद्ध आगम का २५ प्रतिशत राज्यों में वितरित करना ही पड़ेगा। सारणी के स्तम्भ २ में चीनी और तम्बाकू दोनों के ही सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है।

इस मामले में यह पेचीदगी इसलिये आ गई है कि वैधानिक अपेक्षा की पूर्ति करना आवश्यक था। हमें इन दोनों वस्तुओं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना ही था कि राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राशि मिलेगी अर्थात् अपने यहां बिक्री कर हटा देने की हानि के प्रतिकर के बराबर राशि मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भरूचा ने इस का स्पष्टीकरण कर ही दिया है और मैं उन का आभारी हूं ; । हमने अनुसूची में विभाजन का जो विस्तृत आधार बताया है, उस से अधिक कुछ हम कर भी नहीं सकते थे। हम सभा को इतना ही बताने में समर्थ हैं : सभा इसी को, इसी आधार पर इस विधेयक पर विचार कर के इसे पारित कर सकती है। इसलिये, यह कहना निरर्थक है। बे सिर पैर की बात है कि विधेयक का कोई सिद्धान्त नहीं है और यदि सभा इसे स्वीकार करती है तो वह मनमानी होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कृपा करके अनुच्छेद २७० को देखें। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयों पर कर भारत सरकार लगाती है। और उगाहती है जिसका बंटवारा खण्ड (२) के अनुसार संघ तथा राज्यों में किया जाता है। अनुच्छेद २७० में संघ तथा राज्यों के बीच बंटवारा होता है तथा अनुच्छेद २७२ में राज्यों तथा राज्यों के बीच बंटवारा होता है।

अनुच्छेद २७० के अनुसार समस्त आय कर केन्द्रीय सरकार इकट्ठा करती है तथा राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रतिशतता के अनुसार राज्यों में इसका विभाजन किया जाता है। इसी अनुच्छेद के खण्ड ४ में "विहित" शब्द एक की परिभाषा इस प्रकार की गई है।

"विहित" का अर्थ है कि :

(१) जब तक वित्त आयोग गठित न हो जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ; अथवा

(२) वित्त आयोग के गठित हो जाने के पश्चात वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित,

अनुच्छेद २७२ तथा २७० की भाषा में अन्तर है। जहां तक अनुच्छेद २७० का सम्बन्ध है राष्ट्रपति निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार वितरण के आदेश देता है, यदि वित्त आयोग ने प्रतिवेदन दिया हो तो उसकी सिफारिशों के अनुसार 'विहित प्रतिशतता के आधार' पर प्रतिशतता विहित करता है। इस प्रतिशतता को राष्ट्रपति संसद् के अधिनियम से विहित नहीं करता है। राष्ट्रपति से अनुच्छेद २७० के खण्ड (४) (ख) (२) के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने की अपेक्षा है। अनुच्छेद २७० में 'विहित' शब्द है, में यह जानना चाहता हूं कि इन सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए कौन राष्ट्रपति का स्थान लेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** अनुच्छेद २७० तथा २७२ में बहुत अन्तर है। अनुच्छेद २७० में अनुच्छेद २६९ के अधीन लगाये गये कर आते हैं जो कि संघ के विषय नहीं हैं। समय समय पर अनुच्छेद २६९ में और ऐसे विषय जोड़े जा सकते हैं जिन पर संघ विधान नहीं बना सकता हो।

सातवीं अनुसूची की सूची १ के अधीन केन्द्र को दी गई शक्तियों के आधार पर अनुच्छेद २७२ के अधीन केन्द्र द्वारा लगाये जा सकते हैं और राज्यों से इस प्रकार उत्पादन शुल्कों के रूप में लिए गए धन का वितरण करने के अधिकार संसद् को नहीं है। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि गत दो दिनों में हमने वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दो विधेयक पारित किए हैं। एक विधेयक, अनुच्छेद २७२ के अधीन संघ उत्पादन शुल्कों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

के सम्बन्ध में है । तथा दूसरा विधेयक अनुच्छेद २६९ के अधीन इकट्ठा की गई सम्पदा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में था ।

अनुच्छेद २७२ के अधीन संघ धन इकट्ठा कर सकता है और हम कह सकते हैं कि इस बारे में हम वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को मानने को तैयार नहीं हैं । हमें यह कहने का पूरा अधिकार है कि हमें वित्त आयोग की सिफारिशें मान्य नहीं हैं । ऐसा किया जाता है कि वित्त आयोग सिद्धान्तों की सिफारिश और इन सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश संसद् पटल पर रख दिये जाते हैं । यदि संसद, वितरण की विधि अधिनियमित नहीं करती है तो यह धनराशि वितरित नहीं की जाती है ।

दूसरे संसद् में मतभेद हो सकता है । केवल एक बात निश्चित है कि सामान्य उपबन्धों के अधीन संचित निधि की राशियों के लिए बनाया धन विधेयक, जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, पर संसद पूरी तरह विचार कर सकती है ।

वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद् द्वारा स्वीकृति का अर्थ है कि उस अनुसूची को स्वीकार करना जिसमें इसके सम्बन्ध में सिद्धान्त दिए हुए हैं । इन सिद्धान्तों में बहुत कम उलट फेर करके कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि पहले मामले में केन्द्र तथा राज्यों में वितरण होता है परन्तु इसका वितरण कौन करेगा ? वित्त मंत्री को यह अधिकार नहीं दिया गया है । एक अन्य प्राधिकारी वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार काम करता है । और वित्त आयोग के द्वारा बतायें गये सिद्धान्तों पर प्रतिशतता निर्धारित करता है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह अनुच्छेद २६९ तथा २७० के अधीन हैं तथा २७२ के अधीन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं । परन्तु क्या एक ही प्रकार के मामले के लिए अलग अलग प्रकार की शब्दावलि के लिए हम यह कह सकते हैं इसके अर्थ अलग अलग नहीं होंगे । वह प्रतिशतता तथा विहित शब्दों को यहां भी रख सकते हैं । वह कह सकते थे कि संसद् द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार । वह सब प्रतिशत शब्द से अनभिज्ञ थे । क्या हमारा विचार उनके विपरीत इसी कारण नहीं हो सकता क्योंकि वित्त आयोग १० अथवा १५ प्रतिशत निर्धारित करता है । हम इस प्रतिशतता को बढ़ाकर २५ क्यों नहीं कर सकते हैं । यदि हम से कोई राज्य पूछने लगे कि हमने इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किए तो हम क्या उत्तर ेंगे ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : ऐसी बात नहीं है। अन्तर स्पष्ट है । अनुच्छेद २६९ तथा २७० के अधीन, संसद को भी शुल्क इकट्ठा करने के अधिकार हैं । पहले उनको विधि बनानी पड़ेगी तथा दूसरे शुल्क इकट्ठा करना होगा । तत्पश्चात इसका विनियोजन राज्यों में होगा । इस विनियोजन के समय ही राष्ट्रपति आता है। वह चाहें तो आदेश दे सकते हैं अथवा वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वितरण के मामले में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से काम नहीं ले सकता है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अनुच्छेद २७० के खण्ड ४ से पता लगता है कि जब तक वित्त आयोग सिफारिश न करे, राष्ट्रपति स्वविवेक से काम ले सकता है । वित्त आयोग की सिफारिशों से उसका मतभेद हो सकता है परन्तु राष्ट्रपति केवल अनुमति देता है और उसका इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझा नहीं हूं । धन वितरण के दो अनुच्छेद हैं । एक अनुच्छेद २७० तथा दूसरा अनुच्छेद २७२ । दोनों वितरणों के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति होती है । एक प्रकार के वितरणों में, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राष्ट्रपति वितरण प्रतिशतता निर्धारित करता है । दूसरे में संसद् को यह अधिकार दिए गए हैं । इसलिए हमें अपनी सिफारिशों करते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार का अधिकार नहीं दिया गया है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम १६५६ के अध्याय २ को देखें। उसमें दिया है कि "अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य से बाहर व्यापार व्यवसाय के लिए वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीददारी निश्चित करने के लिये सिद्धान्तों का निर्माण"

इससे पता लगता है कि सिद्धान्तों को विधान मंडल बनाते रहे हैं । मैं यही जानना चाहता हूं कि यह प्रतिशतता अथवा विभाजन ही क्या, सिद्धान्त है ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वितरण का आधार दिया हुआ है । हर एक वस्तु अलग अलग दी हुई है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री संभवतया विधेयक के पृष्ठ ६ वितरण योजना की ओर निर्देश कर रहे हैं कि "ऐसी प्रतिशतता के समान धनराशि" "अन्तर के समान धनराशि" क्या येह वितरण के सिद्धान्त हैं ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी हां ।

†श्री नौशीर भरूचा : मैं आपका ध्यान द्वितीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ १४ की कण्डिका ३४ की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । उसमें दिया है कि संघ उत्पादन शुल्क २७२ के अधीन वितरण में अन्तर है । यह अनुच्छेद वित्त आयोग के सम्बन्ध में नहीं है । वितरण के सम्बन्ध में आयोग के अधिकार अनुच्छेद २८०(३)(क) में दिए हैं । वित्त आयोग के प्रतिवेदन अध्याय ४ में दिया है कि दोनों अनुच्छेद बिल्कुल अलग अलग हैं इसलिए संसद् वित्त आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान दिए बिना सिद्धान्त बना सकती है : इसके लिए अतिरिक्त मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि संसद् बैलट द्वारा यह निश्चित कर सकती है कि किस राज्य को कितना अंश दिया जाये ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं अनुच्छेद २६६, २७० तथा २७२ का अन्तर बताता हूं। अनुच्छेद २६६ बिल्कुल अलग है। अनुच्छेद २७० की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है । पहले भारत सरकार अधिनियम के अधीन आय कर की कुल प्रतिशतता राज्यों को दी जाती थी । उस समय वित्त आयोग नहीं होता था । समय समय पर पंचाट दिए जाते थे । संविधान लागू होने के पश्चात् राज्यों के राजस्व का ढंग बनाया गया और उस समय इस बात का ध्यान रखा गया कि इस मामले के पूरी तरह संसद् को ही नहीं सौंपा जाना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि आय-कर का एक भाग प्रति वर्ष एक निश्चित प्रतिशतता राज्यों को मिले। यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार अर्थात् राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया।

जैसा कि मैं ने बताया अनुच्छेद २६९ एकदम अलग है क्योंकि इसका केवल राज्यों से ही सम्बन्ध है।

अनुच्छेद २७२ का मुख्यतः सम्बन्ध केन्द्र से है। परन्तु हम यहां ऐसा विधान बना रहे हैं जिसका सम्बन्ध पूरी तरह से राज्यों से है। परन्तु अनुच्छेद २६९ तथा २७२ में वितरण की जिम्मेदारी संसद् की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय से पूछा था कि राज्य पूछ सकते हैं किस सिद्धान्त पर ? सिद्धान्त ऐसी चीज है जिसके बारे में राज्यों को संतुष्ट होना चाहिए। सरकार ने मामला वित्त आयोग को दे दिया है। वित्त आयोग ने कुछ सिद्धान्तों के आधार पर वितरण की सिफारिश की है। हमने इसमें यही परिवर्तन किया है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया और प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए।

अध्यक्ष महोदय को पूरा अधिकार है कि वह इस मामले पर पूरी तरह विचार करें। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद २७० की शब्दावलि बदल जाने से ही हमें चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके रखे जाने के ऐतिहासिक कारण हैं और हमको संविधान लागू होने के समय से पहले के वितरण के ढंग को अपनाना था।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: अनुच्छेद २६९ तथा २७० देखने पर मालूम होता है कि अनुच्छेद २६९ के खण्ड २ में दिया है कि संसद् द्वारा निर्मित सिद्धान्तों के आधार पर इन शुल्कों का वितरण किया जायेगा। यदि संसद् सिद्धान्तों को बनाना चाहती है तो उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार काम करना है। खण्ड (३) से यह स्पष्ट हो जाता है। "संसद् विधि द्वारा निश्चित करने के सिद्धान्त बना सकती है।" इसमें यह नहीं है वह जरूर ही सिद्धान्त बनायेंगी। यदि खण्ड (२) में यह दिया है कि सिद्धान्त अवश्य बनाये जायें तो खण्ड (३) बेकार हो जाता है।

मैं जानता हूं कि दोनों खण्डों के विषय अलग अलग हैं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि सिद्धान्त बनाने का प्रश्न यहां है। खण्ड (२) में यह नहीं बताया गया है है कि संसद् सिद्धान्तों को जरूर बनायेगी। इसमें यह दिया है कि निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार वितरण किया जायेगा। शब्द है 'जो बनाये जायें', जिसका यह अर्थ होता है कि यदि संसद् चाहे तो वितरण उन सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है। वही शब्दावलि अनुच्छेद २७२ में है।

†**अध्यक्ष महोदय**: 'सकने' का अर्थ बहुत से मामलों में 'होगा' होता है।

†**श्री अ० कु० सेन**: संसद् जैसी संस्थाओं के बारे में नहीं होता है। एक मामला प्रिवी कौंसल के पास गया था जिसका संबंध भारत सरकार अधिनियम के अनुच्छेद २०५

---

†मूल अंग्रेजी में

मे था । उसमें दिया गया था कि जब 'सकना' शब्द का प्रयोग संसद्, अथवा उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में किया जाये तो उसके सामान्य अर्थ नहीं माने जायेंगे वरन् उसमें आदेश का अर्थ होगा । ऐसा प्रिवी कौंसिल निर्णय है । जहां कहीं भी 'सकना' शब्द है उसमें दिया है कि यदि संसद् ने वितरण के सिद्धान्त बना लिये हों तो वितरण उन सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुच्छेद २६९ में दिया है कि कर अथवा शुल्क द्वारा एकत्रित राशि का वितरण उन सिद्धान्तों के अनुसार होगा । इसका अर्थ हुआ कि वह अपने कार्यालय में बैठ कर उसका राज्यों में वितरण कर सकते हैं और उन्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है हमें वितरण के लिए सभा के समक्ष आना पड़ेगा क्योंकि संचित निधि में से कोई भी धनराशि संसद् के अनुमति के बिना नहीं निकाली जा सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड (२) में दिया है कि यह संचित निधि का अंग नहीं होंगे ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : तब यह लोक लेखों के अन्तर्गत आते हैं । लोक लेखों के लिए भी संसद् की स्वीकृति चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुच्छेद २६९, २७० तथा २७२ तीन शुल्कों के सम्बन्ध में है । अनुच्छेद २६९ के अधीन सरकार केवल एजेन्ट है और जो धन इकट्ठा होता है वह राज्यों में बांटा जाता है । परन्तु अनुच्छेद २६९ (१) में दिया है कि कुछ शुल्क तथा कर भारत सरकार इकट्ठा करेगी और खण्ड २ दिया है कि यह संचित निधि का अंग नहीं होगा क्योंकि यह केन्द्र की आय नहीं होगी इसलिए इसको संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय मंत्री कृपा करके खण्ड (२) को देखें । उसमें दिया है कि इसका वितरण निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर होगा । केवल सिद्धान्त बनाने का काम संसद् का है ।

मैं समझता हूं कि मंत्रिमण्डल संसद् की ऐसी समिति है जिसको सब से अधिक अधिकार होते हैं और यह समिति संसद् के नाम पर काम करती है इसलिए इस उच्चाधिकार प्राप्त संसद समिति को वितरण के पूरे अधिकार क्यों नहीं दिये जाने चाहिएं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अनुच्छेद २६८ में संसद को विधान बनाने का अधिकार दिया गया है परन्तु कर इसके अधीन राज्यों का एकत्रित होता है । इस प्रकार अनुच्छेद २६९ एक माध्यमिक उपबन्ध है । इस प्रकार यह धन भारत की संचित निधि में नहीं आता है ।

मेरा विचार है कि उस समय हम 'संचित निधि' की पूरी परिभाषा नहीं कर पाये थे । यह काम बाद में किया गया । उस समय लोक लेखों के बारे में हमारा विचार कुछ दूसरा था । अनुच्छेद २६८ तथा २६९ में एक अन्तर रखा गया था कि अनुच्छेद २६८ के अधीन केन्द्र धन इकट्ठा नहीं करेगा जिसके कारण यह भारत की संचित निधि में नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

आयेगा । परन्तु अनुच्छेद २६९ में ऐसी संभावनायें हैं कि केन्द्र यह कहदे कि हम कर इकट्ठा नहीं करते, राज्य स्वयं उसे इकट्ठा करें, हमने इसे लगा दिया है । यदि केन्द्र इसे इकट्ठा करता है तो इसको संचित निधि में लाने की जिम्मेदारी केन्द्र पर हो जाती है । कठिनाई इसी कारण है कि ऐसा विचार कर लिया है कि यह संचित निधि में नहीं आयेगा । मेरा विचार है कि जैसे की भारत सरकार किसी कर को इकट्ठा करती है वैसे ही वह संचित निधि में आ जता है और इसलिए उस पर संसद् का अधिकार हो जाता है।

मान लीजिये यह मामला, सम्पत्ति, कृषि भूमि अथवा ऐसी ही किसी वस्तु के कर शुल्क के बारे में है, जिसको राज्यों ने इकट्ठा किया हो । इस प्रकार यदि राज्य अथवा उसका कोई अभिकरण इसको इकट्ठा करता है तो यह समझने पर कि वह सब धन भारत की संचित निधि में आ जायेगा, मामला कठिन हो जाता है । अनुच्छेद २६९ द्वारा लगने वाले शुल्क के बारे में यह गड़बड़ी है ।

†**श्री पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम) : अनुच्छेद २६८ से २८१, राज्यों तथा केन्द्र में शुल्क के वितरण के सम्बन्ध में हैं । अनुच्छेद २६८ में केन्द्र द्वारा लगाए गए शुल्कों को राज्य द्वारा इकट्ठा किए जानें की व्यवस्था है । अनुच्छेद २६९ के द्वारा संघ कर लगाता है और इकट्ठा करता है परन्तु उसको राज्यों को दे देता है । अनुच्छेद २७० के अधीन लगे करों का वितरण राज्यों में किया जाता है । परन्तु अनुच्छेद २७२ में दिया है कि इसमें उत्पादन शुल्क लगाये जा सकते हैं जो भारत की संचित निधि से दय होंगे ।

इस कानून द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार वह रकमें राज्यों म बांट दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सरल बात है, यह स्पष्ट है कि यह भारत की संचित का अंग है । यह आवश्यक नहीं कि संसद् अवश्य उसे दे, यदि वह चाहे तो इन्कार भी कर सकती है ।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : यहां कोई वित्त आयोग नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त आयोग बाद की बात है जब आप अधिकार राष्ट्रपति को देंगे । परन्तु संसद सर्वोपरि है और प्रत्येक बात के सिद्धान्त का निर्णय कर सकती है । इस मामले पर मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता इसलिए इसे रोकना पड़ेगा ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्या आप विधेयक को रोकना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस सम्बन्ध में किसी नियम की आवश्यकता हुई, तो मैं विधि मंत्री तथा वित्त मंत्री को इस मामले के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहूंगा ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हम वित्त आयोग के प्रतिवेदन के कुछ अंश ले लेते हैं । इससे आगे हम नहीं जा सकते और इसके उल्लेख से इसे अनुसूची में रखा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इसे संशोधन के रूप में लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यह हो सकता है, अनुसूची बना कर वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार उसका उल्लेख किया जा सकता है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** आप अनुच्छेद २८३ (१) को देखिए । इसके अनुसार वित्त सम्बन्धी हर मामलों को संसद् के कानून द्वारा नियमित किया जायेगा । अनुच्छेद २६८ और २७९ के अनुसार राज्यों को दिये जाने वाली निधि का विनियमन भी संसद के कानून द्वारा ही होगा । इसका अर्थ यही है कि यदि संसद चाहे तो वितरण को नियमित किये बगैर सिद्धान्तों का निश्चय कर सकती है, और कुछ नहीं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : अनुच्छेद २४३ का उल्लेख किया गया है । मेरे विचार में यह मामला अनुच्छेद २७२ के अन्तर्गत आता है । उसके अनुसार एक दम वितरण के सम्बन्ध में निर्णय कर सकती है । अनुच्छेद २६९ में भी यही विधान है । इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि संसद् सब से ऊंचा प्राधिकार है, और यह वितरण के सिद्धान्तों का निर्णय कर सकती है । अन्य मामलों में यह अधिकार अन्य प्राधिकारों को दे सकती है । परन्तु सिद्धान्तों का निर्णय इस सदन द्वारा ही किया जाना चाहिए, और विधि का आधार भी वही होना चाहिए । कानून बनाने का अधिकार केवल संसद् को है और आप इससे बच नहीं सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह धन संघ सरकार का है, सरकार और संसद् विधि अनुसार यह कह सकती है कि इस अंश को राज्यों में बांट दिया जाय । यह वितरण संसद् द्वारा ही किया जायेगा । अनुच्छेद २७२ के अनुसार संसद् की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई धन नही लिया जा सकता । यदि संसद् ने निर्णय किया कि अमुक धन राज्यों में बांटा जायगा तभी उसका वितरण होगा । शर्त यह है कि संविधान के अनुसार वितरण संसद् की अनुमति से होगा ।

क्योंकि सभी सदस्य इस पर चर्चा के लिए अधिक समय क हेतु आग्रह कर रहे हैं अतः अभी अन्य विषयों को लिया जायेगा ।

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन

†**श्री फीरोज गांधी** (रायबरेली) : आज यह विवाद आरम्भ करते हुए मेरा मन विद्रोह कर रहा है । जबकि सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग हो रहा हो तो चुप रहना पाप है । आज हमें बड़ी शक्तिशाली वित्तीय संस्था की निधियों के दुरुपयोगों का परीक्षण करना है । आश्चर्य तो इस बात का है कि किस प्रकार जीवन बीमा निगम इस प्रकार के सौदों में फंस गया ।

इसलिये मैं आज कुछ कड़ी चोटें करने जा रहा हूं । और मुझे पता है कि दूसरा पक्ष भी पूरी तरह तैयार है । मेरा कहना है कि जीवन बीमा निगम ने संसद् के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है कि उसे मुंदड़ा से किये गये सौदे की जानकारी ही नहीं दी गई । मैं पूछ सकता हूं कि इसे गुप्त क्यों रखा गया । २९ नवम्बर को वित्त मंत्री ने कहा था कि विनियोजन से ही बीमा कराने वालों तथा निगम को अन्ततः लाभ रहेगा, इस विचार से ही यह सौदा किया गया था, किसी का पक्षपात करने के लिये नहीं । क्या इसी नीति को कार्यान्वित करने के लिये श्री मुंदड़ा के १,२५,००,००० के अंश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फीरोज़ गांधी]

२५ जून १९५७ को खरीद लिये गये। और १९ बार इसी के अंश खरीदे गये। और यह राशि १,५६,००,००० की हो गई। क्या यह पक्षपात नहीं। एक बार तो यह सौदा उस दिन किया गया जबकि कलकत्ता और बम्बई दोनों के स्टाक एक्सचेंज बन्द थे। और मैं ने प्रश्न पूछा था कि क्या कुछ महीने पूर्व कुछ अंश बाजार दर से ऊंचे दरों पर खरीदे गये थे। वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।

मंत्री महोदय के अपने वक्तव्य से पता चलता है कि २५ को ७७,००० रुपये की अधिक अदायगी हुई और २५ को ३ लाख अधिक दे दिया गया। इस निकाय को इतना अच्छा समझा गया कि इस से १९ बार सौदा किया गया। कहा गया कि यह सौदा बाजार दर के अनुसार किया गया। यह बात गलत है। मेरा मत तो यह है कि मुंदड़ा जबकि आर्थिक संकट में थे तो हमारी सरकार उन की सहायता को पहुंच गई। और लोगों के पैसे से जुआ खेल दिया।

अब मैं अंशों के खरीद का परीक्षण करूंगा। कुल खरीद १,२४,४४,००० की हुई। खेद है कि इन समवायों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हों ने १९५५ से अपना सन्तुलन पत्र तक तैयार नहीं किया। और इस बात का आश्चर्य है कि सन्तुलन पत्र के बिना उन के अंशों को कीमत का निर्णय कैसे कर लिया गया। साथ ही मामले का अध्ययन करने से पता चलता है कि यदि यह सौदा २४ के स्थान पर २१ को होता तो १०,७३,००० निगम को कम देना पड़ता। यदि २० को होता ९,४२,००० कम पड़ता। १९, और १८ को यह कमी क्रमशः ५२,००० और १३,४७,००० की होती। १७ को यह १३,६२,००० कम होती। और यदि यह खरीद १० जून को कर ली जाती तो २०,८३,००० रुपये कम देने पड़ते। कितने आश्चर्य की बात है।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय आप ने २९ जून को मेरे एक प्रश्न को स्पष्ट करते हुए कहा था :

"माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस समवाय के अंशों की गिर रही कीमत के कारण निगम अथवा सरकार ने इसे विनियोजना के रूप में सहायता दी।"

बात यही है, २५ जून को मंडी को ऊपर उठा कर कीमतें ऊंची की गई और सौदा कर लिया गया। बाद में रुख नीचे का हुआ। १३ दिसम्बर को १,२४,४४,००० रुपये की निगम की विनियोजना का मूल्य ३७ लाख कम हो गया। बीमा कराने वालों को कितनी हानि उठानी पड़ी। ऐसे समवायों के अंश खरीद लिये जिस की आर्थिक अवस्था कभी भी ठीक नहीं कही जा सकती। २५ जून को विनियोजन करने से पूर्व निगम के विनियोजन बोर्ड के सदस्यों का भी परामर्श नहीं लिया गया। क्या बोर्ड के सभापति को यहां तक अधिकार है कि बिना किसी के परामर्श के अपनी मर्जी से १,२४,००,००० का विनियोजन कर दे। यह कोई छोटी रकम तो नहीं है। वित्त मंत्री बतायें कि बोर्ड के सदस्यों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की? क्या इन समवायों की आर्थिक स्थिति के ठोस होने के सम्बन्ध में सरकार के पास पूरे प्रमाण थे। कपड़ा आयुक्त के प्रतिवेदन से पता चलता है कि 'ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन' को बैंकों ने पैसा देना बन्द कर दिया क्योंकि उस की आर्थिक स्थिति खराब थी। इसी प्रकार और भी कई समवायों को आर्थिक अस्थिरता के कारण भारत के राज्य बैंक, अथवा रक्षित बैंक से कर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। परन्तु जीवन बीमा निगम ने इन सार्थों में धन विनियोजित किया।

२३ मार्च के दिन मुंदड़ा गुट की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे किसी भी ओर से कर्जा नहीं मिल रहा था। १० जून को कपड़ा आयुक्त की रिपोर्ट में भी यही कहा गया, परन्तु ठीक १५ दिन के बाद निगम की निधि को बुरी तरह से उस से विनियोजित कर दिया गया। यदि सारी

स्थिति का अध्ययन कर लिया जाता तो ऐसी भूल कभी भी न की जाती । साथ ही जाली अंशों पर ही अदायगी कर दी गई । में इस मामले का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

मैं ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार लोगों के धन के साथ इस प्रकार का मज़ाक किया गया है । और यही बात मैं आज के विवाद में सिद्ध करना चाहता हूं । क्या इस लोकतंत्र में हम इस प्रकार लोगों का गला काट सकते हैं । मेरी मांग है कि सरकार को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिये । जब औद्योगिक वित्त निगम के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप थे, तो उस समय के वित्त मंत्री श्री देशमुख ने एक विरोधी पक्ष के सदस्य के सभापतित्व में जांच समिति नियुक्त की थी । क्या हमारे वित्त मंत्री वही रास्ता अपनायेंगे ?

इस विवाद के लिये काफ़ी परिश्रम करना पड़ा है । मैं राष्ट्रीयकरण का पक्षपाती हूं, इसलिये हमें जांच से डरना नहीं चाहिये और तह तक पहुंचने का यत्न करना चाहिये । आशा है वित्त मंत्री महोदय मेरे इस छोटे से सुझाव की ओर ध्यान देंगे और उस पर विचार करेंगे ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : श्री फीरोज़ गांधी ने निगम की शोचनीय स्थिति का उल्लेख किया है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि निगम की निधि किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है । आशा की गई थी कि निगम के धन का उपयोग राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के निर्माण के लिये किया जायेगा, परन्तु हो कुछ और ही रहा है । मेरा प्रश्न यह नहीं कि अमुक व्यक्ति अथवा सार्थ के पास धन का विनियोग क्यों किया गया है ? मेरे प्रश्न का आधार सिद्धान्त है और सरकार तथा मंत्रालय द्वारा दिये गये वक्तव्य है । एक बार जब हम कुछ समवायों के राष्ट्रीयकरण पर बल दे रहे थे तो प्रधान मंत्री ने बड़े रोष से कहा था कि कुछ सदस्य यह चाहते हैं कि कूड़ा करकट खरीद लिया जाये । हमें तो अपना रुपया नये कारखाने बनाने में लगाना है । परन्तु इस मामले में अवस्था यही है कि निगम के १२४ लाख रुपये खर्च कर के कूड़ा कर्कट को खरीदा गया है । यदि सरकार यह कूड़ा कर्कट नहीं खरीदना चाहती थी तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

हमें इस से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्रों के परामर्श से चलने वाली सरकार का यही हाल होता है । हमें तो इस बात पर आश्चर्य है कि सब बातें श्री फीरोज़ गांधी ने खोज निकालीं । मामला हैरान होने का नहीं, नीति का प्रश्न है, जिस पर कि हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये । मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या आगे भी सरकार इसी प्रकार कूड़ा कर्कट खरीदने पर ही जनता का धन लगा दिया करेगी ? यदि यही है तो नीति का पुनरीक्षण होना चाहिये ।

मेरा पहला परिणाम यह है कि सरकार ने अपनी नीति का उल्लंघन किया है । वह यही कहेंगे कि राष्ट्रीयकरण के समय यही कहा गया था कि इस राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप जो ३५ करोड़ रुपये के लगभग प्राप्त होगा, उसे गैर-सरकारी व्यापार में लगाया जायेगा । आखिर किस आधार पर हम यह धन एकत्रित करते हैं ? हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि पंचवर्षीय योजना में हमने लगभग २५० करोड़ रुपये की व्यवस्था इन भविष्य निधियों और अन्य कर्जों से की है । इस में बीमा और छोटी बचतें भी सम्मिलित हैं । हम लोगों को बचत करने के लिये कहते हैं, क्योंकि सरकार के पास धन की कमी है । और सरकार इस प्रकार गलत ढंग से रुपयों का विनियोजन करती है । क्या यह ठीक नीति है ? क्या हम सच बोलते हैं, जबकि हम यह कहते हैं कि हम रुपया कारखाने बनाने के लिये ले रहे हैं, और लगा देते हैं उन्हें इन समवायों में । क्या सरकारी क्षेत्र में लगाने के लिये रुपये की जरुरत नहीं रही ? क्या यह पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम है कि मुंदड़ा की सहायता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री० अ० डांगे]

की जाये। यदि यही है तो लोगों को योजना के सम्बन्ध में अपनी राय बदलनी होगी। यह तो नीति का उल्लंघन करने का गम्भीर मामला है। हो सकता है यह पुरानी मित्रता निभाई जा रही हो, क्योंकि कुछ मंत्री किसी समय मुंदड़ा के निर्देशक रह चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक हो सके माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने चाहियें।

किसी को भी गलत धारणायें नहीं बनानी चाहियें क्योंकि संभवतः किसी दिन माननीय सदस्य सरकारी बेंचों पर हों और यदि दैवात् मुझे उस दिन भी अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ तो मैं उस दिन विपक्ष को उस के विरुद्ध ऐसी बातें करने से रोकूंगा।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं किसी के बारे में मिथ्या धारणा का उल्लेख नहीं कर रहा। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि पूंजीवादी व्यापार की ऐसी रीति है।

मेरा निवेदन है कि इस विषय पर वक्तव्य देते हुए तीन प्रश्नों का उत्तर दिया जाय। एक तो यह कि क्या श्रमिक वर्ग को अपनी बचत का रुपया सरकार को देना चाहिये। दूसरे क्या सरकार ऐसे समवायों को खरीद कर उन्हें राष्ट्रीयकृत कर लेगी और तीसरे क्या यह नीति उचित है और क्या योजना में परिवर्तन कर रही है ?

जिस प्रकार की नीति को अपनाया गया है यदि इसी नीति पर चलते रहे तो जब हमारे पास निधि नहीं होगी हम इस की शिकायत करते रहेंगे। परन्तु निधि मिलने पर उसे ऐसे अंश खरीदने पर लगा देंगे। जिस से अंत में पछताना पड़ेगा। यह एक प्रकार से सरकारी उद्योग क्षेत्र के गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के हाथ बेचने के समान है। इस मे तो हम उस योजना में कभी सफल नहीं होंगे जिस के लिये हम प्रयत्नशील हैं।

निगम का संचालन कुछ ऐसे निदेशकों के हाथ में है जिन्हों ने बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण का घोर विरोध किया था। संभवतः वे सरकारी उद्योग क्षेत्र विफल बनाने के लिये ऐसे उपक्रम कर रहे हैं। माननीय मंत्री को विषय की जांच करनी चाहिये और यदि यह बात सच है तो इन निदेशकों से कह देना चाहिये कि वे अपने पद त्याग दें और सरकार स्वयं निगम का प्रबन्ध कर लेगी ताकि देश के वित्त को इस दुरुपयोग से बचाया जा सके।

श्री फ़ीरोज़ गांधी ने इस सम्बन्ध में सरकारी जांच की मांग की है और मैं उस का समर्थन करता हूं ताकि लोगों के सन्देह का समाधान हो सके।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज़फ्फरपुर) : श्री फ़ीरोज़ गांधी ने हमें जो जानकारी आज दी है उस के लिये हम सब आभारी हैं। जीवन बीमा निगम विधेयक पर चर्चा के समय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जीवन बीमा जो १६ प्रतिशत विनियोजन गैर-सरकारी उद्योग में कर रहा है वह भी नहीं रहने दिया जायगा। परन्तु हुआ इस के सर्वथा विपरीत ही। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अन्तरिम प्रतिवेदन के अनुसार यह विनियोजन ४४ प्रतिशत तक कर दिया गया है और उस में १५ प्रतिशत तो केवल मुन्दड़ा के सार्थों को ही दिया गया है।

इस के अतिरिक्त मई अथवा जून के आरम्भ में आयव्ययक पारित होने के पश्चात् जीवन बीमा निगम ने काफी राशि टाटा जैसे सार्थों में, बिना परामर्शदात्री समिति से परामर्श लिये ही लगा दी

---

†मूल अंग्रेजी में

थी। क्या सरकार की यह नीति है कि केवल स्टाक बाजार की सहायता के लिये ऐसे सार्थों में पूंजी लगाई जाय।

यदि टाटा, ए० सी० सी०, और मुंदड़ा सार्थों में पूंजी का विनियोजन परामर्श-दात्री समिति से परामर्श ले कर किया जाता तो मुझे विश्वास है कि ऐसी बात कभी न होती। क्या माननीय मंत्री को पता है कि उक्त समिति के सदस्यों ने इस विनियोजन का लिखित विरोध किया है? क्या माननीय मंत्री यह भी बतायेंगे कि भारत के राज्य बैंक और भारत के रक्षित बैंक के पदाधिकारियों के इस स्पष्ट प्रतिवेदन पर भी कि मुंदड़ा सार्थों की सहायता नहीं करनी चाहिये, बैंक ने जुलाई में सहायता देनी आरम्भ कर दी थी?

कार्मिक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते मैं श्री मुंदड़ा को दस बारह वर्ष से जानता हूं और जिन लोगों की उस से और मुझ से भी मैत्री है उन्हों ने बताया है कि श्री मुंदड़ा ऐसे ऐसे लोगों की सहायता का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें प्रकट करना मैं यहां ठीक नहीं समझता। परन्तु यह घटना बहुत दुखःजनक है और इस की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

श्री फ़ीरोज़ गांधी और मैं ने पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से पूरे तथ्यों का उल्लेख कर दिया है परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जो जांच समिति को ही बताई जा सकती हैं। मैं उन लोगों के बारे में यहां कुछ नहीं कहना चाहता जो यहां नहीं हैं और अपने पक्ष का समर्थन यहां नहीं कर सकते।

माननीय वित्त मंत्री मेरे मित्र हैं और मैं उस मैत्री के नाम पर उन से यह कहना चाहता हूं कि यदि इस अवसर पर जांच समिति न बनाई गई तो यही कहा जायगा कि उन्हों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।

अन्त में मेरा निवेदन है कि वक्तव्य में श्री फ़ीरोज़ गांधी की विभिन्न बातों का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री यह भी बतायें कि क्यों कुछ विनियोजन का ४४ प्रतिशत गैर-सरकारी समवायों में लगाया गया है और फिर उस का १५ प्रतिशत क्यों एक ही व्यक्ति के सार्थों को दे दिया गया है।

श्री प्रभात कार (हुगली): मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि क्या एफ़ ऐण्ड सी आसलर तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अंश खरीदना खतरे से खाली है और दूसरे क्या जीवन बीमा निगम को पता था कि श्री मुंदड़ा ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अंश लेख खरीदे वे भी जाली थे।

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) जब जान मथाई वित्त मंत्री थे तो इंडिया के एक्सचेंज बैंक, को ८० लाख रुपये का ऋण दिया गया था। इस पर चर्चा हुई थी और हमने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

पूछा था कि क्या वित्त मंत्री इतने ऋण की मंजूरी दे सकता है। उसी प्रकार आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक करोड़ रुपये तक की राशि का ऋण वित्त मंत्री मंजूर कर सकता है अथवा उस के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है ?

इस के अतिरिक्त ऐसी स्थिति में जब कि हम ७०० करोड़ रुपये की राशि संसार से मांग रहे हैं क्या यह बात उपयुक्त है कि एक कल्याणकारी राज्य में केवल एक व्यक्ति के लिख देने से किसी संदेहास्पद व्यक्ति को एक करोड़ रुपये की राशि दे दी जाए।

तीसरे, क्या वित्त मंत्री ने ऐसे व्यापारियों का अभिलेख तैयार किया है जिन के पास दर्जनों सार्थ हैं और जो धोखे धड़ी से काम चलाते हैं ?

†**श्री नथवानी** (सोरठ): मुंदड़ा के साथ व्यापार विनिमय निगम के सदस्यों, कार्यपालिका समिति अथवा प्रबंध निदेशक ने किया है ?

क्या मुंदड़ा ने ये अंश बैंक के पास रखे हुए थे और भुगतान के लिए उन के आग्रह पर जीवन बीमा निगम का आश्रय लिया गया था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय मित्र श्री फीरोज़ गांधी को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रशासन की त्रुटियों को बिना गलती के पकड़ने की अपनी ख्याति को बनाए रखा है। मैं ने उन्हें ध्यान पूर्वक सुना है और मैं उनके भाषण में संगीत नाटक के तत्वों की प्रशंसा भी करता हूं।

जैसा उन्हों ने बताया तथ्य ये है कि जीवन बीमा निगम ने २४ या २५ जून को बहुत से अंश खरीदे थे। इस सभा में की गई सारी आलोचना और प्रश्नों में एक गलती की गई है और वह यह है कि यह कहा गया है कि एक विशेष व्यक्ति को यह सारी राशि दी गई है और यह समवाय उसका था और उसकी सहायता के लिए अथवा उसे वित्तीय कठिनाई से निकालने के लिए राशि दी गई है। श्री जोकीम आल्वा ने संभवतः बात को ठीक समझा है। उन्होंने कहा है कि यह ऋण था और कि एक करोड़ रुपये का ऋण एक व्यक्ति को दे दिया गया था। यह ठीक हो सकता है परन्तु इसका उल्लेख भिन्न प्रकार से किया गया है।

परन्तु वस्तुतः तथ्य यह है कि इन समवायों के स्थापित होने में कुछ समय लगा था और जैसा श्री फीरोज़ गांधी ने बताया है उन में से कुछ का कारोबार अच्छा रहा है। मुझे स्वयं इन समवायों का अधिक ज्ञान नहीं है सिवाय इस के कि जेसप्स का हमें कुछ ज्ञान है क्योंकि वे रेलवे और भारत सरकार के बड़े ग्राहकों में से है।

संयोग की बात है कि श्री फीरोज़ गांधी ने प्रशासन की अपेक्षा अथवा एक बुरे प्रयोजन के विनियोजन से भी अधिक आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या निगम ने भुगतान से अंश लेख ले लिए थे ? एक और माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या ये राज्य बैंक के पास और राज्य बैंक की स्थिति की रक्षा के लिए इन अंशों को खरीदने के हेतु जीवन बीमा निगम का प्रयोग किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी म

मैं इस विषय में अपने उत्तरदायित्व को कम किये बिना, क्योंकि मैं इस सभा के समक्ष उत्तरदायी हूं और केवल कुछ शब्दों से मैं इस से विमुक्त नहीं हो सकता, यहां उठाई गई बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने उत्तरदायित्व से नहीं कतराता और इसे कुछ पदाधिकारियों के कंधे पर नहीं फेंकना चाहता। सच बात तो यह है कि जीवन बीमा निगम का संचालन वित्त मंत्रालय नहीं करता। हम तो केवल उस समय हस्तक्षेप करते हैं जब कर्मचारियों का विवाद हो कोई गड़बड़ हो या जब कोई प्रश्न पूछा जाए। एक दो बार मैं ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए वहां जाकर उन्हें निवटारे के कुछ साधनों का सुझाव अवश्य दिये थे जिन को निगम ने स्वयं करना था। अतः निगम की व्यवस्था ऐसी है कि वित्त मंत्री के लिए उस के नित्य प्रति के कार्यों की देख रेख करना न तो उपयुक्त ही है और न ही संभव, वह तो केवल उसके संचालन का ध्यान रख सकता है।

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उस से श्री डांगे के संदेह भी दूर हो जायेंगे और श्री अशोक मेहता ने पूछा भी था कि क्या पूंजी विनियोजन करना निगम की नीति है और कि उन्हों ने पूंजी विनियोजन आय-व्ययक के समय किया था और उन्होंने नील मुद्र में पूंजी लगाई थी। मैं यह अपराध स्वीकार करता हूं। मैं अनुभव करता हूं था कि निगम को नील मुद्र में पूंजी लगानी चाहिये। श्री डांगे का यह कहना कि यह व्यर्थ का व्यापार था गलत है क्योंकि मैं टाटा, इंडियन आयरन और ए. सी. सी. को व्यर्थ का व्यापार नहीं समझता। मैं तो यह अनुभव करता था कि यदि मूल्य उचित हुए—और संभवतः इन के अंशों के मूल्य बहुत अधिक थे—तो पालीसीधारियों अर्थात जन सामान्य को इन बड़े सामवायों से बहुत लाभ होगा जिन के विकास में सरकार का बहुत हाथ है। यह निर्णय नीति सम्बंधी था और उस का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यदि इस में गलती हुई है तो इस के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। आय-व्ययक के समय ही ऐसा किया गया था और मैं बताना चाहता हूं कि श्री अशोक मेहता ठीक ही कह रहे थे। विनियोजन की प्रतिशतता में कुछ गड़ बड़ हो गई है और उसका कारण यह है कि पूरा विनियोजन अभी नहीं हुआ वह बाद में किया जाएगा। पैसे मिलने पर आय प्रायः अगस्त, सितम्बर में निगम सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगाता है। उस समय ये अंश खरीदे गये थे अतः गैर-सरकारी उद्योगों में विनियोजन की प्रतिशतता में कुछ गड़बड़ हो गई। हम यह प्रतिशतता भी विदित कर देंगे।

मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि पूंजी विनियोजन का नियंत्रण जीवन बीमा निगम के अधीन ही रखा गया है क्योंकि मेरा विचार था निगम के हितों को मुख्य स्थान देना चाहिये। मैं यह स्वीकार करता हूं कि एक अन्य मंत्रालय ने कहा था जीवन बीमा निगम अपने सार्थों में से एक में ३ १/२ प्रतिशत पूंजी लगाए परन्तु मैं ने उसे अस्वीकार कर दिया था। श्री डांगे तो कहेंगे कि वह सरकारी उद्योग क्षेत्र है अतः ऐसा करना ही चाहिये। परन्तु मैं ने इसे ठीक नहीं समझा था क्योंकि सामान्यतः उन्हें ५ प्रतिशत पूंजी मिलती है। यह तो विदित है कि उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में पूंजी लगानी पड़ती है परन्तु, केवल इस कारण कि वह एक सरकारी संस्था है हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिये कि वे कम प्रतिशत पूंजी लगायें और इस प्रकार पालीसीधारियों को कम लाभ हो।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा निकाय बनाने के हेतु एक विधेयक सभा के पास विचाराधीन है, जो जीवन बीमा निगम के पूंजी विनियोजन की देखरेख करेगा। विधेयक में यह उद्देश्य भी बताया गया है कि विभिन्न केन्द्रों में जीवन बीमा निगम

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

की परामर्शदाता समितियां होनी चाहियें। मेरा यह भी विचार है कि जब इन परामर्शदाता समितियों द्वारा कई आवास निगम आरम्भ किये जायेंगे तो निगम आवास व्यवस्था में पूंजी लगाएगा तो इसे सामान्यत: ६ प्रतिशत ब्याज मिलेगा और यह निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने और उन के निगमों को ऋण देने का भी काम करेगा।

अतएव मेरी यह इच्छा नहीं कि पालीसीधारियों को हानि हो और उन्हें केवल सरकारी उपक्रमों में पूंजी लगाने के लिए कहा जाए जहां से संभवत: उन्हें पर्याप्त लाभ न हो। हमारी तो यह इच्छा है कि जीवन बीमा निगम को ऐसे समवायों से लाभ हो जिनका क्षेत्र सामाजिक हो। विचाराधीन विधेयक का यही उद्देश्य है। उस के अन्तर्गत एक उच्च शक्तिधारी निगम बनाया जाएगा जिसका सरकार से सम्बंध नहीं होगा और जो नीति का निर्धारण करेगा तथा पूंजी विनियोजन का नियंत्रण करेगा और साथ ही विभिन्न स्थानों की आवश्यकता अनुसार परामर्शदाता समितियां स्थापित करेगा।

उदाहरणत: कलकत्ता की शिकायत है कि निगम की अधिक पूंजी बम्बई में लगाई जा रही है और कलकत्ता को वंचित किया जा रहा है। जो कुछ हो चुका है मैं उसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूं वरन् श्री डांगे और अशोक मेहता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि क्या निगम देश को समृद्ध बनाने में सहायक होगा और क्या नीलमुद्र का उचित अंश पालीसीधारियों को मिलेगा। संभवत: उन्हें अंत में उचित अंश न मिले तो तब नियंत्रण का प्रश्न पैदा होगा।

अब इस विशेष विनिमय के सम्बंध में पूर्ण उत्तरदायित्व से ठीक स्थिति नहीं बता सकता क्योंकि इस बारे में दो प्रश्न उठाये गये थे कि राज्य बैंक ने उन्हें अंश खरीदने के लिए कहा था ताकि बैंक उन के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए। वस्तुत: अंश सेंट्रल बैंक से खरीदे गये थे।

दूसरे मुझे इस बात का पता नहीं और मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं कि राज्य बैंक सामान्य बैंकिंग के सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात करेगा। संभवत: ब्रिटिश इंडिया ने अधिक अग्रिम धन लिया था, पहले मार्च में और फिर जुलाई में उन्होंने पेशगी ली थी। मुझे इन बातों का पता नहीं। मैं इस सम्बंध में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि राज्य बैंक द्वारा विभिन्न समवायों में पूंजी विनियोजन में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही यह करना उपयुक्त है। राज्य बैंक ही इस की व्यवस्था करता है।

इस विशेष विषय के बारे में मैं यह कहूंगा कि जीवन बीमा निगम अंश लेख ले लिए थे।

†श्री फीरोज गांधी : किस दिन ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उसी दिन जिस दिन भुगतान किया गया था। मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय सदस्य क्यों यह समझ रहे हैं कि अंश लेख नहीं लिए गये। यह सच है कि किसी ने निगम से कहा था कि वे शीघ्र अंशों को पंजीबद्ध करवा लें। लाखों रुपयों के इतने अधिक अंशों को पंजीबद्ध करवाने में समय लगता है। मैं ने अब सभी पंजीबद्ध अंशों की सूची मंगवाई है और रिचर्डसन कुडस ने बताया है कि लगभग १,७०,२०० के अंशों में से सिवाय २२,४५० के सभी अंश पंजीबद्ध हो गये हैं। उन्हें पंजीबद्ध

†मूल अंग्रेजी में

करने का कार्य हो रहा है। मुझे बताया गया है कि प्रतिदिन ७००० से ८००० तक के अंश पंजीबद्ध हो रहे हैं।

†**श्री फीरोज गांधी** : संभवतः गत सप्ताह से।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं समझता हूं कि कुछ समय से उन्हें पंजीबद्ध किया जा रहा है। और मैं ने बताया है कि बहुत कम अंश शेष है। मुझे स्मरण है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने से बहुत पहले लगभग एक मास पूर्व चेयरमेन से मिला था .

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : ४ सितम्बर को आप ने बताया था कि कानपुर में किसी गैर-सरकारी समवाय में पूंजी नहीं लगाई गई।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं समझता हूं कि किसी गैर-सरकारी समवाय में पूंजी नहीं लगाई गई थी। संभवतः माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न रखा था जिस का सम्बंध इस विषय से नहीं था।

मैं ने इस सत्र से प्रायः एक मास पूर्व चेयरमैन से मूंदडा समवायों के बारे में पूछा था कि क्या उन्होंने उन के अंश पंजीबद्ध करवा लिए हैं अथवा नहीं। उन्होंने उस समय बताया था कि ६० प्रतिशत अंश पंजीबद्ध हो चुके हैं। अतः यह प्रश्न कि उन्हें खरीदने के समय अंश लेख नहीं लिए गये पैदा ही नहीं होता। जून में ही निगम से कहा गया था कि मूंदड़ा के अंशों को तुरंत पंजीबद्ध किया जाए। यह जानकारी किसी जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने उन्हें दी थी।

दूसरा प्रश्न विशेष तिथि के बारे में है और उस विषय में मेरे मित्र द्वारा वर्णित तथ्य ठीक हैं। परन्तु उन्होंने (श्री फिरोज़ गांधी) कहा है कि यह योजना मार्च से बनाई जा रही थी और फिर अकस्मात निगम ने सौदा कर लिया था।

वास्तव में तथ्य यह है कि जहां तक अंशों का संबंध है, यदि मान लिया जाय कि उन के द्वारा दिये गये आंकड़े सही हैं तो यह कहा जा सकता है कि जब कुछ अंश कुछ कम कोट कर किये गये थे तो कुछ अधिक किये गये थे। मैं यह जानकारी २४ तथा २५ के बारे में दे रहा हूं। इस प्रकार यदि हम उस दिन को देखें जिस दिन अंश खरीदे गये थे तो हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा लाभ हुआ। अगले दिन घाटा होना आरंभ हो गया।

†**श्री फीरोज गांधी** : श्रीमान् मैं तो यह दिखाना चाहता था कि १० जून तक इनकी कीमतें बहुत ही मन्दी थीं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : २४ को औसलराज के अंश थे जिनके बारे में थोड़ा सन्देह हो सकता है। यदि आप उस तारीख के अंश बाजार की समस्त स्थिति को देखें तो उस दिन हानि १,०९१,९९५ रुपये की हुई और लाभ १,८९,५०० रुपये का। बाजार के भाव के अनुसार ८७,००० रुपये का अन्तर बैठता है। अगले दिन लाभ अधिक हुआ किन्तु हानि में अन्तर है और इस वृद्धि से ८४०० रुपये १५२ लाख की हानि में बदल गये

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी (देहरादून) : क्या क्रय खुले बाजार से हुआ था या एक ही व्यक्ति से ? क्या बात चीत करते समय यह भावों पर विचार किया गया था ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं सभा को वही जानकारी दे सकता हूं जो कि मेरे पास है । मैं किसी विशेष जानकारी के आधार पर यह नहीं बता सकता ।

†श्री त्यागी : सभा यह जानना चाहती है कि इस का उत्तरदायित्व किस व्यक्ति पर है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अपने भाषण की समाप्ति पर मैं यह सब बातें कहूंगा । जो बातें बतलाई गयी हैं वे सब तथ्यपूर्ण हैं । मैं आपको तथ्यों से अवगत कराऊंगा । यह सच है कि मूंदडा वाले २१ जून को निगम के पास आये ताकि वह अपना कुछ बेच सकें । और २३ जून को वे दोबारा आये । हो सकता है जैसा कि श्री फीरोज़ गांधी कहते हैं उस दिन इतवार हो ।

उस की कुछ बातें निगम ने नहीं मानी जैसा कि कतिपय समवायों में उसके अंशों का विक्रय । निगम से दो तीन बार बातचीत करने के बाद निगम अंत में संयुक्त स्कंध समवायों के अंश खरीदने को तैयार हो गया । यह बात भी तै पाई गई कि निगम उन्हें वह राशि देगा, जो कि उसने मांगी हैं या जो कि उस दिन का बाजार का भाव हो किन्तु जो राशि कम होगी वही दी जायेगी ।

२३ तारीख को बात चीत शुरु हुई और २५ को समाप्त हुई । स्पष्ट कारणों से निगम इस मामले में अधिक विलम्ब न कर सकी अन्यथा कीमतें बढ़ जाती । इस २५ जून को जो जानकारी तुरन्त उपलब्ध थी उसी का पूरा पूरा उपयोग करने का निर्णय किया गया । अखबारों से तथा बम्बई के प्रसिद्ध दलालों से निगम ने कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली । इन लोगों तथा साधनों से कतिपय वस्तुओं की तुरन्त जानकारी प्राप्त करना आसान न था । टाइम्स आफ इंडिया के द्वारा तदनुसार कलकत्ता को एक संदेश भेजा गया जिसका यह उत्तर आया था :—

"इच्छित कीमतें निम्न हैं :—

स्मिथ स्टेन स्ट्रीट आर्डिनरी— १३।— ... ... ——" रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डस आर्डिनरी — — १५।२५ प्रेफ ८२ ।—ओसलर एण्ड लैम्प आर्डिनरी ४।—, प्रेफ—७५।—.

जहां जहां मुदंडा वालों ने कम कीमतें स्वयं मांगी थी उनके अतिरिक्त यह कीमतें उनके सामने रखी गयी थीं ।

स्मिथ स्टेन स्ट्रीट के प्रेफरेंस शेयर्स की कीमतों की जानकारी । इस लिये निगम ने इसे ७८ रुपये पर खरीद लिया । यह २० तारीख की कीमत थी ।

इस लिये जो जानकारी तुरन्त उपलब्ध थी उसके अनुसार निगम ने वही काम किया और बाजार तथा मुदंडा द्वारा कहे गये भाव में से जो भी कम था उसे ले लिया गया । इस आधार पर कोई अधिक भुगतान नहीं हुआ है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

इस सौदे के एक सप्ताह पूर्व बाजार पर सट्टेबाजों ने प्रभाव डाल रखा था । कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ती तथा घटती थीं । यदि निगम खुले बाजार में खरीद करता तो शायद भाव बढ़ जाते ।

सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या उन कीमतों से जिन से कि निगम को लाभ होता था खरीद की गई ताकि निगम का विनियोजन ठीक ढंग से हो। जिस भाव पर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे गये उस पर कर विमुक्त लाभ ५.५ प्रतिशत जेसप वाले अंशों में तथा ८ प्रतिशत स्मिथ स्टेन स्ट्रीट कम्पनी वाले अंशों में था ।

यद्यपि ब्रिटिश इंडिया निगम तथा ग्रौसलर इलेक्ट्रिक लैम्प मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी ने हाल के वर्षों में उतनी प्रगति नहीं दिखाई किन्तु यह आशा की जाती है कि यदि प्रवन्ध ठीक हो तो पहला समवाय जिसने अपनी कठिनाइयां हल कर ली थीं और जो आधुनिक मशीने भी लगा रहे थे वह युक्ति युक्त लाभांश की घोषणा करते । क्रय विनियोजन समिति की सलाह से ही किया गया था । किन्तु अभ्यासानुसार बाद में बैठको में उन्हें इस बात की सूचना भी दे दी गयी थी । अब यहां यह बात आ जाती है कि क्या किसी सदस्य ने उसका रिकार्ड रखा। इन बैठकों में ऐसा रिकार्ड नहीं रखा गया ।

इन दोनों बैठकों में विनियोजन सम्मिति के कई सदस्यों ने कहा कि मुदंडा का इन समवायों से सम्बन्ध था इस कारण निगम को इन समवायों की प्रगति पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये ताकि निगम के हितों की रक्षा हो सके। इन बैठकों में कभी भी यह प्रश्न नहीं उठा कि अंशों की दी गयी कीमतें अनुचित थीं।

क्रय करने के बाद जुलाई के सारे महीने तथा अगस्त के कुछ भाग में निगम के क्रय वाली दरों के समान बाजार भाव चलता रहा। इन्हीं सप्ताहों में कतिपय दलालों ने देखने के लिये निगम से कई बार कहा कि क्या निगम उन्हें उसी भाव पर देने को तैयार हैं । यह बड़ी दिलचस्प बात है कि इस प्रकार के प्रस्ताव अब तक भी किये जा रहे हैं।

श्री फीरोज गांधी ने कुछ बातों के बारे में कहा जो कि हुई हैं। जैसप के बारे में निगम ने अपने एक वर्गीय निदेशक को समवाय का निदेशक बनने के लिये कहा है । रिचर्डसन एण्ड क्रुन्डास के बारे में निगम ने कोर्ट में जाने की कार्यवाही करने का उपाय किया है । निगम के बोर्ड का एक सदस्य श्री धीरेन मित्र प्रशासक रहा है । मैं समझता हूं कि ग्रौसलर के बारे में भी कुछ कार्यवाही की जा रही है। जहां तक बी. आई. सी. का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि मामला न्यायालय में है और प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है। इन मामलों को पहले ठीक करना है । फिर श्री फीरोज गांधी कहते हैं आप जांच क्यों नहीं करवा लेते ? मैं ने उन्हें कहा कि पहले इन सब मामलों को ठीक ठाक करना है हो सकता है कि जांच से कई बातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

†**श्री त्यागी :** यह सौदा कैसे हुआ जांच इस चीज की करानी है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** जांच इस की अवश्य होनी चाहिये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** माननीय सदस्य इस बात को सुनते ही नहीं । जांच का कोई प्रश्न ही नहीं है । मैं ने बताया है कि विनियोजन एक विभिन्न प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित होना चाहिये। मैं ने उसी मामले को सभा के सामने रखा है। चूंकि सभा में यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

आरोप लगाये जा रहे हैं और संदेह की गुजांइश है इन सभी पदाधिकारियों को पहले साफ करना है उन्हें पहले पूछना है । हो सकता है उन्होंने गलती की हो । उन्हों ने कितनी गलती की है इस बात का अनुभव लगाना है ।

मैं सभा को बतलाऊंगा कि हमें क्या करना चाहिये । मैं यह नहीं कहना चाहता कि जांच कब की जाये। जांच की जायेगी। सभा को सब कुछ बतलाया जायगा। किन्तु कब की जायेगी इस बात का निर्णय सरकार को स्वतः करना होगा।

जांच अवश्य ही की जायेगी । किन्तु किस प्रकार से की जायेगी इस बात का निर्णय भी सरकार ही करेगी । क्योंकि कतिपय बातों का संरक्षण करना है इस कारण इसका समय निर्धारित करना तो बड़े ही महत्व की बात है।

मैं यह भी नहीं कह सकता कि अंशों को बेचा जाये । यदि हम कठिनाई में हैं तो भी ऐसी बातें करने में क्या लाभ है । जब तक अंश ठोस न हों वह इन्हें नहीं खरीदेंगे । मामले की देख-भाल की जायेगी । निस्संदेह जांच भी की जायेगी ।

जांच करने में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं मैं इस सम्बंध में पहले से कोई बात नहीं कहना चाहता। वास्तव में यह निर्णय सरकार ने करना है। सब बातों पर विचार किया जायगा । दबाव से हां करने का कोई प्रश्न नहीं है कि अच्छा भई संसद सदस्य भी जांच समिति में रखे जायेंगे । मैं वायदा नहीं करता किन्तु इतनी बात अवश्य कहता हूं कि जांच अवशय होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १७ दिसम्बर, १६५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२७३५–६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
११२६	उत्तर रेलवे में रेलवे लाइनें	२७३५–३६
११२८	दक्षिण रेलवे में अभ्यर्थियों का चुनाव	२७३६–३७
११३०	पत्तन विकास कार्यक्रम	२७३७–३८
११३१	पटसन	२७३९–४०
११३२	होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली	२७४०–४२
११३३	चीन के साथ डाक तथा तार सम्बन्धी करार	२७४२–४३
११३७	कृषि मंत्रियों का सम्मेलन	२७४३–४४
११४२	नौवहन कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज	२७४४–४५
११४४	झूमियों को ऋण	२७४५–४५
११४७	चावल की खपत	२७४६–४७
११४९	दूसरा पोत-निर्माण कारखाना	२७४७–४९
११५०	यमुना बाजार, दिल्ली, की गन्दी बस्ती को हटाना	२७४९–५०
११५२	डाक-तार कर्मचारी	२७५०–५२
११५६	दमदम का हवाई-अड्डा	२७५२–५३
११५७	यमुना जल-विद्युत् परियोजना	२७५३–५४
११६०	गोसदन	२७५४–५५
११६२	मण्डुआडीह रेलवे वर्कशाप	२७५५–५६
११६३	मुकेरियां रेलवे स्टेशन के निकट पुल	२७५६–५७
११६७	ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के लिये वृहद् योजना	२७५७–५८
११६८	हिमाचल प्रदेश में आलू के बीज	२७५८–५९
११६९	रेलों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों की सुविधा सम्बन्धी समिति	२७५९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
५	लखनऊ मेल में चोरी	२७६०–६२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर .	२७६२–२८०६

तारांकित

प्रश्न संख्या

११२६-क	खाद्यान्नों की कीमतें	२७६२–६३
११२६	गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क . .	२७६३
११३४	पौतुंदी योजना, केरल . .	२७६३
११३५	दिल्ली में "स्वामिहन भूमि" की स्थिति . .	२७६३–६४
११३६	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये अमरीकी सहायता .	२७६४
११३८	खाद्यान्नों का निर्यात	२७६४
११३६	सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लघु बचत आन्दोलन . . .	२७६४–६५
११४०	हिमाचल प्रदेश में परिवहन की समस्या .	२७६५
११४१	मनीपुर में ढोर-गणना .	२७६५–६६
११४३	नई दिल्ली के डाकघर में चोरी .	२७६६
११४५	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिये वृहद् योजना .	२७६६
११४६	गन्ने की फसल . .	२७६६–६७
११४८	चम्बल घाटी जल विद्युत् परियोजना .	२७६७
११५१	उड़ीसा में तार की लाइनें	२७६७
११५३	पंजाब में फल गवेषणा केन्द्र	२७६७
११५४	शिमशा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक वर्क्स, मैसूर .	२७६७
११५५	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड . .	२७६८
११५८	होटल प्रतिमान तथा दर समिति	२७६८–६६
११५६	सुख-सुविधा सम्बन्धी निरीक्षक	२७६६
११६१	परिवार आयोजन . . .	२७६६
११६४	रेलवे बोर्ड में केन्द्रीय अनुसंधान विभाग .	२७६६
११६५	रेलवे यात्री सुविधायें .	२७७०
११६६	हल्दी . . .	२७७०
११७१	नये डाक-घरों का खोला जाना . . .	२७७१
११७२	१९५७ में विभिन्न राज्यों में क्षय-रोग आदि के उन्मुलन के लिये नकद अनुदान . .	२७७१
११७३	दिल्ली में कोंच रक्षित जल परियोजना	२७७१
११७४	रेलों का आन्ध्र जोन	२७७२
११७५	नदी घाटी परियोजनाओं में इस्पात और सीमेंट के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं	२७७२
११७६	बस और रेल की टक्कर . .	२७७२
११७७	मनीपुर और त्रिपुरा में कुष्ठ रोग का सर्वेक्षण .	२७७३
११७८	परिवार आयोजन प्रशिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र .	२७७३
११७९	गाजियाबाद-तुगलकाबाद रेलवे लाइन .	२७७३–७४
११८०	कपास . .	२७७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११८१	रेलवे साइडिंग . .	२७७४
११८२	बिजली की रेलगाड़ियां .	२७७४-७५
११८३	रेलवे लाइनों तथा पुलों की रक्षा . .	२७७५
११८४	राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सहायता .	२७७५
११८५	चावल तथा धान . .	२७७६
११८६	मालगाड़ी दुर्घटना . .	२७७६
११८७	परिवहन सहकारी समितियां	२७७६-७७
११८८	परिवार आयोजन बोर्ड	२७७७
११८९	भारत-नार्वे परियोजना	२७७७

अतारांकित

प्रश्न संख्या		
१६७३	विदेशी पर्यटक . .	२७७७-७८
१६७४	टिकट कलक्टरों के वेतन . .	२७७८
१६७५	डाक-घरों के नाम में परिवर्तन . .	२७७८-७९
१६७६	नासिक का रेल का फाटक . . .	२७७९
१६७७	जम्मू तथा काश्मीर को वित्तीय सहायता .	२७७९-८१
१६७८	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, दिल्ली	२७८१-८२
१६७९	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था . .	२७८२-८३
१६८०	अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारी .	२७८३
१६८१	विकास आयुक्तों का पांचवां सम्मेलन . . .	२७८३
१६८२	छोटी सिंचाई परियोजनायें .	२७८४
१६८३	माल-डिब्बे . . .	२७८४
१६८४	दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकारमण्डल .	२७८४-८५
१६८५	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	२७८५
१६८६	श्रम (नियोजन) . . .	२७८५
१६८७	नंगल-ऊना रेलवे . . .	२७८६
१६८८	डीज़ल रेलगाड़ियां .	२७८६
१६८९	बिना टिकट यात्री . . .	२७८६-८७
१६९०	तीसरी श्रेणी की नौकरियां .	२७८७
१६९१	गंडक परियोजना . .	२७८७
१६९२	"अधिक अन्न उपजाओ" योजना	२७८७-८८
१६९३	त्रिची में हवाई अड्डा	२७८८
१६९४	मद्रास राज्य में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	२७८८
१६९५	खंड विकास अधिकारी . . .	२७८८-८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१६९६	दिल्ली में राजा पार्क में बस्ती	२७८९
१६९७	ईरान में सामुदायिक परियोजनायें	२७९०
१६९८	देहरादून वन गवेषणा संस्था	२७९०
१६९९	हावड़ा गुड्स शेड मार्क्समेन	२७९०
१७००	गाड़ियों का लूटना	२७९१
१७०१	हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थायें	२७९१-९२
१७०२	मनीपुर में भूमि का अर्जन	२७९२
१७०३	रेलवे यात्री सुविधायें	२७९२
१७०४	त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन	२७९३
१७०५	चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारियों का चुनाव	२७९३
१७०६	चीरा	२७९३-९४
१७०७	चीनी के कारखाने	२७९४
१७०८	लगेज गार्ड	२७९४-९५
१७०९	नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	२७९५
१७१०	भर्ती	२७९६
१७११	बर्तनों की चोरी	२७९६
१७१२	अकाउंट्स विभाग में प्रथम श्रेणी के पद	२७९७
१७१३	राजस्थान में तार घर	२७९७
१७१४	डाक घर खोलना	२७९७
१७१५	यात्रियों और सामान से आय	२७९८
१७१६	सवारी-डिब्बे	२७९८
१७१७	कालूपाड़ा घाट स्टेशन पर चाय की दूकान	२७९८
१७१८	चावल	२७९९
१७१९	हिमाचल प्रदेश में फल	२७९९-२८००
१७२०	पंजाब में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	२८००
१७२१	जगाधरी रेलवे वर्कशाप	२८००-०१
१७२२	विश्राम गृह	२८०१
१७२३	रेल के फाटक	२८०१-०२
१७२४	रेलवे लेखा कर्मचारी	२८०२
१७२५	श्रम विधियों का प्रशिक्षण	२८०२-०३
१७२६	यात्री सुविधायें	२८०३
१७२७	कीरतपुर में छोटा डाक घर	२८०३-०४
१७२८	अमृतसर रेलवे वर्कशाप	२८०४
१७२९	इन्दौर-दिल्ली रेल सम्पर्क	२८०४
१७३०	टेलीग्राफ सिगनलर	२८०४-०५
१७३१	पंजाब में परिवार आयोजन केन्द्र	२८०५
१७३२	औंगोल स्टेशन का नवनिर्माण	२८०५-०६
१७३३	रेलवे सेवा आयोग, मद्रास	२८०६

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	२८०६-०७
श्री ही० ना० मुकर्जी तथा अन्य सदस्यों ने हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध के समाचार के बारे में, जिस के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा अन्य कुछ घायल हुए हैं, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। अध्यक्ष ने उस की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपना निर्णय १८ दिसम्बर, १९५७ तक रोक लिया।	
राज्य सभा से सन्देश	२८०७
सचिव ने बताया कि राज्य-सभा से यह सन्देश मिला है कि ६ दिसम्बर, १९५७ को लोक-सभा द्वारा पारित भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक को राज्य-सभा ने अपनी १३ दिसम्बर, १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . .	२८०७
श्री पट्टाभिरामन् ने खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।	
विधेयक पुरःस्थापित . .	२८०८-१०
निम्न विधेयक पुरःस्थापित किये गये	
(१) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक	
(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक	
विधेयक पारित	२८०९-१०
वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने विनियोग संख्या (५) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत . .	२८१०-३७
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा के बाद प्रस्ताव संशोधित रूप में पारित हुआ।	
विचाराधीन विधेयक . .	२८३७-४९
वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई	

विषय	पृष्ठ
जीवन बीमा निगम की निधियों के विनियोजन पर चर्चा .	२८४९-६०
श्री फीरोज गांधी ने जीवन बीमा निगम की निधियों के विनियोजन पर चर्चा उठाई । वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	२८५३
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि	
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	